खण्ड-312, अंक-7
गुरूवार, 12 पौष, शक संवत् 1896
(2 जनवरी, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 312 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक 2 जनवरी, 1975 की कार्यवाही का शुद्धि-पत्र

क्रम-सं0	पृष्ठ-सं0	विवरण
1	840	ऊपर बायें कोष्ठक में "स्वामी दयाल सिंह" के स्थान पर "श्री स्वामी प्रसाद सिंह" पढ़ा जाय।
2	851	प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द "पशन" को "पेंशन" पढ़ा जाय।
3	857	आठवीं पंक्ति में सदस्य का नाम "श्री शफीकुर्रहमान बर्क" के स्थान पर "श्री शफीकुर्रहमान बर्क" पढ़ा जाय।
4	857	तारांकित प्रश्न संख्या 20 के दूसरे पैरा की प्रथम पंक्ति में "श्री हेमवती नन्दन बहुगणा" के स्थान पर "श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा" पढ़ा जाय।
5	859	तारांकित प्रश्न संख्या 26 की छठी पंक्ति में तथा तारांकित प्रश्न संख्या 27 की पांचवीं पंक्ति में "श्री हेमवती नन्दन बहुगण" के स्थान पर "श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा" पढ़ा जाय।
6	860	ऊपर बायें कोष्ठक में "श्री हेमवती नन्दन बहुगण" के स्थान पर "श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा" पढ़ा जाय।
7	862	तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर में "श्री हेमवती नन्दन बहुगणा" के स्थान पर "श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा" पढ़ा जाय।
8	868	तारांकित प्रश्न संख्या 57 की दूसरी पंक्ति में शब्द "सेरठ" को "मेरठ" पढ़ा जाय।
8-अ	877	अतारांकित प्रश्न संख्या 3 तथा 4 के उत्तरों में "हेमवती नन्दन बहुगणा" के स्थान पर "श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा" पढ़ा जाय।
9	901	ऊपर से अठारहवीं पंक्ति में प्रथम शब्द "कैस प्रोग्राम" को "क्रैश प्रोग्राम" पढ़ा जाय।
10	914	नीचे से चौदहवीं पंक्ति में "चौधरी चरन सिंह" को "चौधरी चरण सिंह" पढ़ा जाय।
11	914	नीचे से बाइसवीं पक्ति में "श्री ईश्वर सिंह" के स्थान पर "श्री ईश्वरी सिंह" पढ़ा जाय।
12	922	ऊपर बायें कोष्ठक में "श्री प्रिये दर्शी जैटली" के स्थान पर "चौधरी चरण सिंह" पढ़ा जाय।

Test Report

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 2 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—381

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
(एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल) ।
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़) ।
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़) ।
जंग बहादर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन वन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रूखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री

नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निर्भय नारायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम दास, चौ० (जिला मिर्जापुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपालसिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री

मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायमसिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराजसिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती

राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लाल राही, श्री
राम सिरोमणि दूबे, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री

सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 2 जनवरी, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पीलीभीत नगर में आगजनी व लूटपाट

**1—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली), श्री हरिशचन्द्र खन्डेलवाल (जिला पीलीभीत), तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 को पीलीभीत में हुए उपद्रव का कारण क्या था जिसमें कि एक छात्र की हत्या हुई तथा कर्फ्यू लगाना पड़ा ? इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार पीलीभीत नगर में दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को तीन छात्र कमल्लो के चौराहे से होकर पढ़ने जा रहे थे तो वहां पर कुछ व्यक्तियों ने छात्रों पर चाकू, लाठी से घातक प्रहार किये जिससे छात्र घायल हुये और एक छात्र की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में धारा 307/302 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। एक अभियुक्त घटनास्थल पर गिरफ्तार कर लिया गया। शेष अभियुक्त भाग गये। उनके विरुद्ध धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। मुकदमा विवेचनाधीन है।

उक्त घटना के बाद दिनांक 19 दिसम्बर, 74 को छात्रों ने शोक सभा की तथा एक जुलूस निकाला और दुकानदारों से बाजार बन्द करवाने की मांग की। कमल्ले के चौराहे पर दुकानदारों तथा छात्रों के बीच कहासुनी हुई और दोनों ओर से पथराव हुआ। इस घटना की सूचना फैल गई और शीघ्र ही असामाजिक तत्वों ने कुछ स्थानों पर आगजनी तथा लूटपाट की। जिला प्रशासन ने स्थिति पर विचार कर उसी दिन दोपहर 12-45 बजे से कर्फ्यू लगा दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिये सभी सम्भव कार्यवाही की गई। दिनांक 19-12-74 को सायंकाल मंडलायुक्त तथा उप पुलिस महानिरीक्षक, बरेली अतिरिक्त फोर्स सहित पीलीभीत पहुंच गये। अब स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। शासन ने मृतकों के परिवारों तथा घायलों को आर्थिक सहायता दिये जाने के आदेश दिये हैं। अब तक 8,000 रु0 सहायता के रूप में बांटा जा चुका है।

शासन के दो मंत्री क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आए हैं और उन्होंने वहां पर जनता के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से विचार विमर्ष करके स्थिति का मूल्यांकन भी किया।

संपत्ति की क्षति पूर्ति और विशेषतया सुनहरी मसजिद की संपत्ति की मरम्मत के लिये 60,000 रु0 की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई है।

आवश्यकतानुसार पीलीभीत के पुलिस फोर्स में बढ़ोत्तरी करने पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री सत्य प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्तों के क्या-क्या नाम हैं ? दूसरे वे अभियुक्त कौन कौन हैं, जो भाग गये हैं ? उन्हें अब तक क्यों नहीं पकड़ा जा सका तथा पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अभियुक्तों के नाम देना जनहित में नहीं है।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन अभियुक्तों के नाम एफ0 आई0 आर0 में दर्ज हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रथम सूचना रिपोर्ट में श्री पुत्तन रिक्शा वाला और सुलेमान के नाम हैं।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

क्या माननीय मंत्रो जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री के0 डी0 शर्मा, डी0 आई0 जी0, बरेली रेन्ज अपने बीबी व बच्चे के साथ वहां पर गये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना ऐसी ही है।

श्री सत्य प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो छात्र राम कुमार सक्सेना इसमें आहत हुए हैं, उसके घर वालों को उसकी क्षतिपूर्ति के लिये जो धनराशि दी गई, वह कितनी है और क्या उस धनराशि को बढ़ाकर 10,000 रुपया करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उसके घर वालों को ढाई हजार रुपया क्षति पूर्ति के लिए दिया गया है। जहां तक क्षति पूर्ति का सम्बन्ध है, यह तो अपूर्णीय क्षति है, इसमें एक जीवन ही चला गया है।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शिव कुमार सक्सेना हैं उनके सामने दुकानें जलाई गईं और उनके घर के सामने की दुकानें जलाई गईं और तहसील में जहां पर अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी उसके पास मस्जिद जलाई गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, शहर में कुछ दुकानें जलाई गयीं, किसका मकान जला, किसकी दुकान जली, किस जगह पर जली इसका विवरण तो नहीं हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

जो मुल्जिमान पकड़े गये हैं उनके नाम नहीं बताये ।

श्री अध्यक्ष—

बता दिये ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

बताये नहीं । आपने कहा लेकिन बताया नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

वही तो बतायें हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस सारे घटना चक्र में अब तक कुल 121 गिरफ्तारियां हुई हैं । उनमें से 96 की जमानत हो चुकी है । जो शेष बचे हैं उनके नाम है सर्वश्री मोहम्मदुल्ला, मोहम्मद शहजादे, दीनदयाल, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश वर्मा, अनवर हुसैन, राजकुमार, हीरालाल, रामस्वरूप, वकार अहमद, वीरबहादुर, मोहन लाल, अखलेश, इस्तगार हुसैन, छोटे लाल, कमरुद्दीन, गुल्लू, अब्दुल अलीम, अर्जुन लाल, अख्तर हुसेन, कल्लन, कुन्दन, मोहम्मद नबी, छोटेलाल, अशोक कुमार ।

श्री हरीश चन्द्र खन्डेलवाल—

झगड़े से कुल हुई क्षति के सम्बन्ध में जानकारी किन सूत्रों से करायी गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्षति का जो अनुमान लगाया गया है उससे 44 दुकानों को और 6 मकानों को क्षति पहुंची है और 1 लाख 68 हजार रुपये की क्षति हुई है ।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

शासन द्वारा की गयी उपेक्षा के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दोष निश्चित करना तो अभी बाकी है लेकिन इस बात को देखते हुये कि पहले दिन प्रबन्ध ही नहीं किया गया शासन ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, और शहर कोतवाल के तुरन्त स्थानान्तरण के आदेश दे दिये हैं ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

जहां तक मेरी जानकारी है दो मुसलमान हनीफ और अब्दुल समद मारे गये । तो क्या इन दोनों व्यक्तियों के शवों का पोस्ट मार्टम किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

श्री मुहम्मद मसूद खां (जिला आजमगढ़)—

इस सम्बन्ध में कुल कितनी दुकानें और मकान लूटे और जलाये गये और उसमें अकलियती फिरके के कितने थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा मैंने बताया कुल 44 दुकानों और 6 मकानों को क्षति पहुंची। जिनकी क्षति हुई उनके नाम हैं सर्वश्री नत्थूलाल—पान सिगरेट की दुकान, गोविन्द राम—दुकान आटाचक्की व मकान, हर प्रसाद—दुकान पान, सिगरेट, छोटे लाल-दुकान लांड्री, हीरालाल—दुकान चाय बिस्कुट ....

श्री अध्यक्ष—

यह लिस्ट बहुत लम्बी है। सारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुहम्मद मसूद खां—

हमने एक लिस्ट भेजी है उसमें 106 आता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी दोबारा वेरीफाई करायेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

फिर जांच करा लूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

हनीफ और समद जो मारे गये उनके परिवारों को भी कोई मुआविजा दिया गया?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

कितना और कब?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

22-23 तारीख के दौरान ढाई हजार रुपया दिया गया।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारगमन अनुमति पत्र नियमावली के अवैध होने की घोषणा

**2—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाई कोर्ट इलाहाबाद के न्यायाधीशों की एक बेन्च ने नवम्बर, 1974 को ट्रकों, बसों आदि पर नगर महापालिकाओं, नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज एवं नोटीफाइड एरियाज द्वारा चूंगी वसूली को अवैधानिक करार दे दिया है, फलस्वरूप इन संस्थाओं को लाखों रुपये रोज की हानि हो रही है, साथ ही सारे विकास कार्य एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान ठप्प हो गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अविलम्ब क्या कदम उठाये?

राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 6529/1972—(मेसर्स दि यूनाइटेड प्राविन्शियल ट्रांसपोर्ट कम्पनी तथा अन्य बनाम राज्य सरकार तथा अन्य)—में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेंच ने दिनांक 24 सितम्बर, 1974 को (न कि नवम्बर, 1974 को) दिये गये निर्णय के फलस्वरूप शासन द्वारा बनाये गये पारगमन

[स्वामी दयाल सिंह]

अनुमति-पत्र नियमावलियों को अवैध घोषित कर दिया है और उक्त नियमावलियों के आधार पर नागर स्थानीय निकायों द्वारा पारगमन शुल्क (न कि चुंगी) की वसूली पर रोक लगायी गयी है। नागर स्थानीय निकाय को इससे काफी आर्थिक क्षति होने की सम्भावना है। उच्च न्यायालय की बेंच के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच तथा इलाहाबाद में इसी आशय की एकल जज द्वारा निर्णीत अन्य रिट पिटीशनों में स्पेशल अपील दायर की जा चुकी है तथा उच्च न्यायालय की बेंच के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री अनवार जमील--

फुल बेंच का फैसला 24 सितम्बर, 1974 को हुआ था और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गयी है जिसके कारण स्थानीय निकायों को लाखों रुपयों का घाटा उठाना पड़ रहा है। तो जिन आदमियों के कारण अपील अभी तक नहीं हो पायी वे कौन-कौन हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

11 जनवरी तक अपील का टाइम है, तब तक हो जायेगी।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो काफी समय लग जायेगा तब तक जो क्षति इन स्थानीय निकायों को होगी, उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कोई कदम उठायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ये निकायें सब अपने-अपने रूल्स बनाने के लिये सक्षम हैं। निकायें अपने रूल्स चाहें तो बना सकती हैं।

श्री अनवार जमील--

स्टे प्राप्त करने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह कहना कठिन है।

नई दिल्ली में खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय

*3--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इसी मास केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित खाद्य मन्त्रियों के सम्मेलन के निश्चयानुसार प्रदेश के किन-किन शहरों में किन-किन आवश्यक वस्तुओं के वितरण की क्या योजना उन्होंने बनाई है ? पूरी योजना की क्या रूपरेखा है ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

20 दिसम्बर, 1974 को उत्तरी तथा केन्द्रीय जोन के खाद्य मन्त्रियों की दिल्ली में बैठक हुयी थी जिसमें खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक वस्तुओं की वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में विचार विमर्ष किया गया। अन्य राज्यों के खाद्य मन्त्रियों से भी इस तरह का विचार विमर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है और ऐसे विचार विमर्ष के बाद ही कोई विशिष्ट योजना बनाई जावेगी। अत: इस समय सम्भावित योजना की रूपरेखा

बताना अथवा यह कहना कि प्रदेश के किन नगरों में इस योजना को लागू किया जायेगा सम्भव नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वितरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा इसमें सुधार लाने के लिये कोई सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की गयी है, यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, काफी अर्से से राज्य सरकार के सामने यह सवाल बना हुआ है कि किस प्रकार से वितरण व्यवस्था को ठीक किया जा सके। इस दृष्टि से जब केन्द्रीय सरकार ने बैठक बुलाई तो मोटे तौर से हमने 3-4 बातें उनके सामने रखीं कि किन वस्तुओं की ओर विशेष ध्यान देना है। जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें केन्द्रीय सरकार द्वारा एलाट होती हैं, उनके द्वारा हमारे तक पहुंचती हैं, उनका वितरण कैसे ठीक हो, उसके लिये हमने सुझाव दिये हैं। वितरण की व्यवस्था में किन-किन असेंशियल कमोडिटीज को रखने के लिये राज्य सरकार ने सुझाव दिया। यों करीब-करीब 20 ऐसी वस्तुयें हैं जिनको कि असेंशियल कमोडिटीज के अन्दर रख कर उनके प्राइस डिस्प्ले वगैरह की बात की जाती है लेकिन समय-समय पर जब आर्टिफिशियल स्केयरसिटी हो जाती है तो यह सवाल उठता है कि इनको कैसे पूरा किया जाय। इसलिये राज्य सरकार की तरफ से एक लिस्ट बनायी गयी है कि इन-इन चीजों को असेंशियल कमोडिटीज के अन्दर और रखा जाय और उसके लिये भी अश्योर किया जाय। और हमारा एक सुझाव यह भी है कि जहां पर प्रोडक्शन होता है जहां से लाकर सप्लाई जो राज्य सरकार को होता है, उसके ऐनुअल बजटिंग में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हमारी सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूटने न पावे जिससे आगे चल कर दिक्कत पैदा हो। हमने यह भी सुझाव दिया है कि पीपुल्स शाप्स होनी चाहिये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो योजना वितरण की पेश की कयी है केन्द्रीय सरकार को, उसमें क्या ग्रामीण अंचलों को भी कवर करने की उनकी योजना है अथवा केवल बड़े-बड़े शहरों के लिये ही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

पूरी योजना में उन सारी आबादी के लिये जिसे वल्नरेबिल सेक्शन आफ सोसाइटी या वीकर सेक्शन आफ दि सोसाइटी कहते हैं, उन लोगों की ही व्यवस्था है। शहर और ग्रामीण अंचल दोनों को दृष्टि में रख कर यह पूरी योजना बनायी गयी है। लेकिन उसको आरम्भ करने के लिये अभी हमारे पास जो सुझाव आये हैं उसमें यह भी है कि बड़े-बड़े नगर जिनकी 5 लाख से अधिक आबादी है उस पर भी विचार किया जाय। लेकिन राज्य सरकार के खाद्य मन्त्रियों ने और मैंने अपना यह भी सुझाव दिया है कि हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों की जो गरीब जनता है उन दोनों को ही राहत पहुंच सके।

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी इन शिकायतों को देखते हुए कि वितरण की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है, मिनी स्टोर शाप्स की व्यवस्था करेंगे और देहातों में भी आवश्यक वस्तुयें पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जनता की दूकानों का तात्पर्य ही यह है ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

इस तरह की व्यवस्था के अन्दर सप्लाई आफिस में भ्रष्टाचार कोटेदारों की वजह से जो व्याप्त है, उसको दूर करने के लिये क्या प्रयास करेंगे ? उसके लिये कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जब तक व्यक्तिगत रूप से कोटेदार रहते हैं, यह भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। इसलिये माननीय सदस्य पूरी तरह से और सब लोग मिल कर सहयोग करें जिससे जनता की दूकानें कोआपरेटिव बेसिस पर बन कर बहुत बड़ी संख्या में चलें तभी लाभ पहुंच सकता है और उससे लोगों को सन्तोष होगा। जब जनता का इस पर नियन्त्रण होगा तभी ब्लैक आदि और सारी चीजें दूर हो सकती हैं। कोटा होल्डर्स के सम्बन्ध में जब कोई शिकायत आती है तो भ्रष्टाचार की तो उनको सस्पेन्ड किया जाता है, उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है। लेकिन यह जरूर है कि इसमें राजनैतिक भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। (कई माननीय सदस्य के खड़े होने पर) ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझको पूछने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष—

तो आप पूछिये।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, जैसा कि माननीया मन्त्री जी ने बताया कि कोआपरेटिव सोसाइटीज की मार्फत इसेंशियल कमोडिटीज के वितरण करने की योजना है तो इस पर मैं सूचना देना चाहता हूं कि, बनस्पति घी के वितरण में, जहां तक मुझको एक जिले की सूचना है, वहां पर वितरण ठीक से नहीं हो रहा है, तो ऐसी ही अन्य जगहों पर स्थिति होगी। क्योंकि प्राइवेट डीलर्स ठीक से वितरण नहीं करते हैं। तो क्या माननीय महोदया सहकारी समितियों द्वारा बनस्पति घी का वितरण भी सुचारू रूप से करायेंगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य का सुझाव ठीक है, इस पर विचार किया जायगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, क्या सरकार बतायेगी कि यह सही है कि शहर में ज्यादा लोग मालदार रहते हैं और वह अधिक कीमत देकर भी आवश्यक वस्तुयें खरीद सकते हैं। तो

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को चीजें सप्लाई करने के सिलसिले में विशेष रूप में कोई योजना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, अभी जो 20 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हुयी है वह इसी बात को ध्यान में रख कर की गयी है कि पूरे देश में वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा) —

मान्यवर, अगर इस प्रकार की दूकानें ग्रामीण क्षेत्रों में न खोली जा सकें तो कम से कम टाउन एरिया क्षेत्र में अवश्य खोली जानी चाहिये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र उसके नजदीक होते हैं और इस प्रकार लोग वहां से आसानी से चीजें प्राप्त कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

(सदस्यों के खड़े होने पर)

मान्यवर, जब मैं खड़ा होता हूं तो यही होता है।

श्री अध्यक्ष—

आप पूछिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, जैसा कि माननीया मन्त्री जी ने बताया कि राशन का वितरण कोआपरेटिव समितियों द्वारा कराया जायगा तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चीनी के वितरण में बड़ा भ्रष्टाचार है.....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न की परिधि के बाहर जा रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं अपने प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मान्यवर, तो क्या मन्त्री जी इस बात की घोषणा करेंगी कि निकट भविष्य में चीनी का वितरण इन्हीं कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे देंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य का आशय यह है कि चीनी का वितरण ठीक से हो। अब वह किस तरह से हो यह हमारे ऊपर आता है। घोषणा यहां कराने से काम नहीं चलता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है कि वितरण व्यवस्था सहकारी समितियों के माध्यम से भविष्य में होगी। तो मान्यवर, इन सहकारी समितियों में बड़ी दिक्कतें हैं और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। अगर वितरण व्यवस्था का इरादा इन समितियों के द्वारा है तो क्या इन समितियों को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं. अगर उठाये गये हैं तो वह क्या हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, जब यह योजना चलेगी तो इसके साथ सारी चीजें सुदृढ़ होकर चलेंगी।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो राशन वितरण की व्यवस्था बनाई है उसमें एक किलो चीनी प्रत्येक परिवार को गांव में और शहर में एक किलो प्रत्येक व्यक्ति को देने की। तो मैं चाहूंगा कि ग्राम न्याय पंचायत को छोड़कर ग्राम सभा में एक-एक दुकान जल्दी नियुक्त की जाय जिससे वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। इस सम्बन्ध में पहले भी पत्र लिखा जा चुका है, जिससे यह जो भ्रष्टाचार गांव में चीनी का व्याप्त है वह टूट जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका यह सुझाव है।

श्री सत्य प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वितरकों को जो कमीशन की वर्तमान दर है वह कम है जिसके कारण ही भ्रष्टाचार है। इसलिये जो केन्द्र द्वारा नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें क्या इस पर कुछ विचार किया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, इस पर विचार नहीं किया गया।

तारांकित प्रश्न

श्री दल सिंगार निवासी ग्राम तरकुलहा, जिला गोरखपुर के घर पर कथित डकैती

*1—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम तरकुलहा, थाना गुलरिहा, जिला गोरखपुर में दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 की रात श्रीमती रामरती, पत्नी दल सिंगार के घर पर डाका पड़ा था जिसकी रिपोर्ट थाने पर दिनांक 2 दिसम्बर, 1973 को सुबह साढ़े 9 बजे धारा 395/397 के अन्तर्गत दर्ज की गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमती रामरती पत्नी श्री दलसिंगार निवासिनी ग्राम तरकुलहा जिला गोरखपुर ने थाना गुलरिहा बाजार पर दिनांक 2 दिसम्बर, 1973 को सवेरे इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 1/2 दिसम्बर, 1973 की रात में लगभग 11 बजे जब वह तथा उसके पति अपनी मड़ई में सो रहे थे तो पांच नामजद हथियार बन्द अभियुक्तों ने आकर मार-पीट व नकदी, जेवर व अन्य सामान लूट कर भाग गये।

इस रिपोर्ट पर थाने पर एक मुकदमा धारा 395/397 भारती दन्ड विधान के अन्तर्गत कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से मामला केवल साधारण मार-पीट का पाया गया। अत : मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय मन्त्री जी कृपया यह बतायें कि 5 नामजद हथियार बन्द अभियुक्तों के नाम क्या थे और जो मार-पीट हुयी उसमें मेडिकल रिपोर्ट क्या है और क्या-क्या नकदी और सामान लूटा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो अपराधियों के नाम रिपोर्ट में दर्ज थे उसमें रिपोर्ट करने वाली श्रीमती रामरती देवी, स्त्री श्री दलसिंगार, ग्राम तरकुलहा, थाना गुलरिहा बाजार, गोरखपुर। रिपोर्ट में नामांकित अपराधियों के नाम व पते :—

(1) राजदेव, ग्राम तरकुलहा, थाना गुलरिहा बाजार, गोरखपुर।

(2) मकबूल, ग्राम तरकुलहा, थाना गुलरिहा बाजार, गोरखपुर।

(3) जमसेद, ग्राम तरकुलहा, थाना गुलरिहा बाजार, गोरखपुर।

(4) हलीम, ग्राम तरकुलहा, थाना गुलरिहा बाजार, गोरखपुर।

(5) रंगी केवट, ग्राम केवटलिया, थाना गुलरिहा बाजार, गोरखपुर ।

जो मेडिकल जांच हुई उसमें श्री दलसिंगार को इनसाइज्ज वून्ड, लेफ्ट साइड, इनसाइज्ड वून्ड आन हेड, लेसेरेटेड वून्ड, स्कैब्ड मल्टीपल एबेरेजनस, लेसेरेटेड वून्ड, स्कैब्ड एबेरेजन चोटें हैं। श्रीमती रामरती देबी को इनसाइज्ड वून्ड, स्कैब्ड एबेरेशन, लेफ्ट शोल्डर, स्कैब्ड एबेरेजन, इनसाइज्ड वून्ड, लेसेरेटेड वून्ड, कान्ट्यूजन आदि चोटें लगने के सम्बन्ध में डाक्टर की रिपोर्ट है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, नकदी और माल के सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जांच से कोई माल लूटना नहीं पाया गया।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, रिपोर्ट में किस-किस जेवर और नकदी की शिकायत की गयी है और क्या उन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में लिखा है—ई लोग मारब छोड़ि के हमार 7 थान सोने के, 5 थान चांदी के, 2,000 रु0 नकद एक पास बुक व एक पिन्सिल बुक ले के भाग गइले गवाह लोग चोर बत्ती के रोशनी में ऊ लोगन के भागत देखलें थोड़े दूर तक दौड़ालें पकड़ि नाहीं पवले। यह रिपोर्ट में लिखा गया है। लेकिन जांच से सामान लूटना नहीं पाया गया।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

श्री मधुकर दिघे—

इसकी विवेचना किसने की और उस विवेचना की क्या रिपोर्ट है जिसके कारण इस मुकदमें को अदालत में फाइल करने की सिफारिश की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह जांच करने वाले अधिकारी रामचन्द्र पांडेय, तत्कालीन थानाध्यक्ष हैं और कोर्ट ने जो स्वीकार किया उसकी विवेचना से यह मालूम होता है कि इस मुकदमें में नामांकित तीन अभियुक्त एक मुकदमें के गवाहान हैं जो दिलदार नामक व्यक्ति के विरुद्ध दायर किया गया था जो प्रधान हैं और अबसर आदमी हैं। गवाहान को परेशान करने के लिये श्रीमती रामरती के विरुद्ध उन्होंने मुकदमा दायर कराया ताकि इन व्यक्तियों को परेशान किया जा सके और सम्बन्धित मुकदमें में उस लड़के के खिलाफ गवाही वह न दे सकें। यह मुकदमा एक हरिजन महिला का सर मुड़ा कर ले जाने की शिकायत के सम्बन्ध में था और उसमें ये लोग गवाह थे।

श्री मधुकर दिघे—

जब यह साबित हो गया कि उनको चोट लगी थी और यह मेडिकल रिपोर्ट है तो इन मुलिजमों के खिलाफ जिन्होंने शिकायत की थी और यह कहा था कि यह मुलजिम हैं तो उनको गिरफ्तार न करने का क्या कारण है । यह माना विवेचना में यह साबित हो गया कि यह माल नहीं गया लेकिन जब 5 आदमी से ज्यादा इसमें इन्वाल्व थे तो उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जांच रिपोर्ट के अनुसार यह मारपीट बहुत साधारण थी और यह नान कागनिजेबिल आफेन्स बनता था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

5 आदमी या उससे अधिक जब होते हैं तो कानून के मुताबिक वह कागनिजेबिल आफेन्स बन जाता है और इसमें जब ऐसा था तो फिर पुलिस की ओर से क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री बद्रीनाथ मंदिर तथा उसकी बस्ती का अलकनन्दा नदी से कटाव और श्रीबिरला बन्धुओं द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार

*2—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राम चरन सिंह (जिला लखीमपुर-खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को इसकी जानकारी मिली है कि प्रसिद्ध मन्दिर बद्रीनाथ तथा उसकी बस्ती जिस पहाड़ पर स्थित है उसके समीप बहने वाली अलकनन्दा नदी उस पर्वत को बीच से काट रही है जिससे मन्दिर तथा बस्ती के अस्तित्व के लिये संकट उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है तथा उसकी रोक-थाम के लिये शासन द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

श्री बद्रीनाथ मन्दिर तथा उसकी बस्ती के नीचे की दीवारों एवं मिट्टी को अलकनन्दा नदी कुछ काट रही है जिससे कालान्तर में खतरा उत्पन्न हो सकता है । इसके बचाव के लिये 2,06,000 रु0 की एक योजना सिंचाई विभाग द्वारा अक्तूबर, 1974 में स्वीकृत की जा चुकी है और इससे बचाव हो जायेगा।

*3—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राम चरन शाह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बद्रीनाथ मन्दिर के जीर्णोद्धार हेतु वहां जो निर्माण कार्य श्री बिरला बन्धुओं द्वारा कराया जा रहा है उसके प्लान को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है अथवा नहीं ? यदि हां, तो स्वीकृति कब दी गयी तथा क्या सरकार उसकी रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*4—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*5—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

भिक्षुक कर्मशालाओं पर व्यय

*6—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भिक्षावृत्ति निवारण के लिये भिक्षुओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में कुल कितनी कर्मशालायें कार्यरत हैं तथा कहां-कहां ? उनमें कितने-कितने भिक्षु वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में रहे तथा कुल कितना रुपया व्यय हुआ ? तथा उपरोक्त कर्मशालाओं से प्रशिक्षण पाकर 1972-73 तथा 1973-74 में कुल कितने भिक्षु कर्मशाला से बाहर जाकर अपने निजी धन्धे में लगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 951 पर)

श्री मुंशी सिंह सन्त, उप सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*7—श्री मधुकर दिघे—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनके मुख्य मन्त्री कार्यालय के उप सचिव (श्री एम0 एस0 सन्त) के विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा कोई जांच की जा रही है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं और वे किन-किन जिलों में उनकी नियुक्ति से सम्बन्धित हैं ? ये मामले कब-कब सतर्कता आयोग को सौंपे गये तथा सतर्कता आयोग जांच के उपरान्त किसी परिणाम पर पहुंचा या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री मुंशी सिंह सन्त के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराई गई थी जिसका सम्बन्ध उनके सहायक बिक्री-कर आयुक्त (प्रशासन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर तैनाती की अवधि से था। जो मामले खुली जांच के लिये सतर्कता अधिष्ठान को सौंपे गये उनके आदेश दिनांक 28 जुलाई, 1971 तथा 30 नवम्बर, 1972 को दिये गये थे। सतर्कता अधिष्ठान से जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है और उसके आधार पर कुछ मामलों में उक्त अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया था जो अब प्राप्त हो चुका है और शासन के विचाराधीन है। जब तक अन्तिम निर्णय न ले लिया जाय तब तक आरोपों का विवरण सदन के सम्मुख रखना जनहित में न होगा।

श्री मधुकर दिघे—

मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह स्पष्टीकरण कब प्राप्त हुआ और जब सतर्कता आयोग ने इसकी जांच कर ली और स्पष्टीकरण मांगा गया तो क्या यह प्राइमा फेसाई केस साबित हो गया ? यदि हां, तो फिर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राइमा फेसाई केस साबित हो जाता है तो न्यायाधिकरण के पास भेज देते। सतर्कता आयोग ने जो बातें कही हैं और स्पष्टीकरण जो है उस पर विचार करने के बाद तय होगा कि प्राइमा फेसाई केस बना या नहीं बना ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलायेगी कि एम० एस० सन्त, सहायक बिक्री-कर आयुक्त कहां कार्य कर रहे थे और इस समय जिस जगह भेजे गये उसका क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वह लखनऊ में डी० डी० (सी०) हैं। वह सहायक बिक्री-कर आयुक्त कब थे यह सूचना नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मुख्य मन्त्री के कार्यालय से कब हट गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

एक महीने से अधिक हो गया है।

*8—श्री राम चरन शाह—

[3रे मंगलवार में प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*9—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[2रे सोमवार में प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, पीलीभीत के विरुद्ध गबन का मुकदमा

*10—श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका, पीलीभीत के खिलाफ जिला प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, पीलीभीत ने दिनांक 15 जनवरी, 1974

को 409 आई0 पी0 सी0 की रपट कोतवाली में लिखवाई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका पीलीभीत ने नगरपालिका कार्यालय की कतिपय महत्वपूर्ण पत्रावलियों तथा कार्यवाही रजिस्टरों के गुम होने के सम्बन्ध में एक लिखित रिपोर्ट थाना कोतवाली (पीलीभीत) पर भेजी जिसके आधार पर दिनांक 15 जनवरी, 1974 को भूतपूर्व अध्यक्ष नगरपालिका तथा 7 अन्य लोगों के विरुद्ध धारा 409 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया उक्त मुकदमा विवेचनाधीन है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमा जिला प्रभारी अधिकारी ने दर्ज किया, जो एस0 डी0 एम0 थे, तो यह मुकदमा सरकारी अधिकारी ने दर्ज कराया और 15-1-74 से अब तक एक साल हो गया, तो क्यों कार्यवाही नहीं हुई ? कागनीजेबुल अफेन्स में तो तुरन्त गिरफ्तारी की जाती है, क्या उनकी गिरफ्तारी इसलिये नहीं हुई कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

विवेचना जारी है । जब सम्बन्धित अभिलेखों का पता लग जावेगा, तभी कुछ हो सकेगा ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

जब जिला प्रभारी अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो सालभर में तो पता लग जाना चाहिये लेकिन एक साल होने पर भी विवेचना नहीं हो पाई, तो कितना समय और लगेगा ? चूंकि वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो क्या न्याय की पद्धति उनके लिये अलग होगी और साधारण आदमी के लिये अलग होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें कांग्रेस अध्यक्ष होने न होने का प्रश्न नहीं आता है । प्रश्न यह है कि साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके हैं, इसलिये विवेचना में कुछ समय लगा है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

409 कागनीजेबुल अफन्स है, यह जिसके खिलाफ दर्ज होता है वह या तो अदालत में हाजिर होकर जमानत कराये या गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो क्या उन्होंने जमानत कराई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह स्थिति नहीं आई है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

जब 409 का मुकदमा कायम है तो यह स्थिति कब आवे ी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसे ही विवेचना पूरी होगी, तो कार्यवाही होगी ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

409 के मुकदमें में तुरन्त गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है या नहीं यह बतला दें?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार किया जाता है।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

इतना पीरिअड हो गया, तो झूठा मुकदमा एस0 डी0 एम0 ने दायर किया तो क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक साल हो गया तो इस विवेचना को पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तमाम कागजात ढूंढे जा रहे हैं कि कहां-कहां हैं। कुछ मिले हैं जो एक बोरे में नगर पालिका के प्रांगण में पड़े थे। उनकी छानबीन हो रही है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट में कौन-कौन से कागजात का हवाला दिया है और क्या वे नगरपालिका के दफ्तर में हैं कि नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तालिका बड़ी लम्बी है, आप मान्यवर, इजाजत दें, तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

यह बता दें कि कागजात हैं कि नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, कुछ कागजात गुम हैं, जिनकी अलग-अलग फाइलें हैं जैसे फाइल डालचंद, फाइल प्रेम सिंह आदि।

पीलीभीत नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष की स्वतंत्रता संग्राम पेंशन

*11—श्री धीरेन्द्र सहाय—

द्वितीय सत्र 1974 के 8 वें गुरु0 के तारांकित प्रश्न 68 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपर्व अध्यक्ष नगरपालिका के राजनीतिक पीड़ित न होने की शिकायत पर जिलाधीश की जो जांच हुई उसमें किन-किन मुख्य बातों को स्वीकार किया गया और जिलाधीश ने अपनी क्या राय दी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि जांच के आधार पर श्री शिव कुमार शर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं बल्कि उपलब्ध रिकार्ड से यह पुष्टि होती है कि श्री शर्मा 2 मास से अधिक अवधि तक जेल में रहे। अतः वे स्वतंत्रता संग्राम

पशन/अनुदान नियमावली द्वारा निर्धारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में आते हैं और पेंशन के पात्र हैं ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच हुई है उसमें भूतपूर्व एम0 पी0 मखनलाल अग्रवाल और एम0 एल0 सी0 शिव नरायण लाल के बयान हैं तो वे बयान क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या प्रश्न पूछना है, वह पूंछे, उनके बयान से क्या मतलब ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्योंकि शिकायत यह है कि वह स्वतंत्रता–संग्राम सेनानी नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें बता तो दिया गया कि वह 2 मास जेल में थे । अब बयान से क्या मतलब ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने उनके खिलाफ क्या रिपोर्ट दी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिलाधीश की रिपोर्ट लम्बी है । मान्यवर अगर कहें तो निष्कर्ष बतला दें । जांच में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि श्री शिव कुमार शर्मा 12–9–42 से 22–4–43 तक जेल में रहे ।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, सी0 बी0 गुप्ता के सामने यह सवाल सदन में आया था । गुप्ताजी ने सदन में कहा था कि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हैं । यह प्रोसीडिंग्स में है : आप दिखवा सकते हैं । ऐसी स्थिति में मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह पार्टीगत सवाल से ऊपर जाकर इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से करायें ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

अगर दो महीने जेल में रहे तो कलक्टर की हिम्मत कैसे हुई उनके खिलाफ कार्यवाही करने की । तब क्या कलक्टर के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ?.....

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि उन्होंने जेलखाने का कोई सार्टीफिकेट दाखिल किया है और अगर किया है तो वह कब का है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिला मैजिस्ट्रेट ने सारे रिकार्ड देखकर यह संस्तुति दी है ।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मान्यवर, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जेलखाने का कोई सार्टीफिकेट दाखिल किया है कि नहीं ? अगर किया है, तो उसके बारे में बता दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सार्टिफिकेट तो इस फाइल में नहीं है। वह तो पोलिटिकल पेन्शन वाली फाइल में होगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

श्री मुकन्दीलाल एम० पी० और श्री जौहरी जो भूतपूर्व विधायक हैं उन्होंने जो बयान दिया है उसमें यह है कि वे किसी भी सूरत में इसके पात्र नहीं हैं तथा वे कभी जेल में नहीं गये हैं और उन्होंने ऐसा नहीं किया है। क्या यह सही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इन शब्दों में उन्होंने बयान दिया है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उन्होंने बयान जरूर दिया था।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

मान्यवर, एक और सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर इतने सवाल नहीं पूछे जा सकते।

*12—श्री शिवानन्द नौटियाल—

(सदस्य की प्रार्थना पर 4थे गुरुवार के प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

कानपुर जिले के थाना सचेंडी को प्रथम श्रेणी का थाना बनाने की मांग

*13—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि वर्ष 1972 या 73 में श्री कृष्ण प्रसाद श्रीवास्तव, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर ने थाना सचेंडी क्षेत्र में अपराधों की बढ़ती हुई गम्भीर स्थिति को देखते हुये अपराधों की रोकथाम के लिये थाना सचेंडी को प्रथम श्रेणी का थाना बनाये जाने के लिये अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और थाना सचेंडी को कब तक प्रथम श्रेणी का थाना घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिला कानपुर के थाना सचेंडी को प्रथम श्रेणी का थाना बनाने हेतु जिला पुलिस प्रशासन ने वर्ष 1973 में पुलिस महानिरीक्षक को लिखा था। पुलिस महानिरीक्षक ने विषय पर सामान्य रूप से विचार करने के पश्चात् यह प्रस्ताव किया कि उन सभी ग्रामीण थानों को जिनमें तीन या तीन से अधिक सब–इन्सपेक्टर नियुक्त हों, स्पेशल थाना घोषित किया जाय, उन्हें इन्सपेक्टर संवर्ग के अधिकारी के प्रभार में रखा जाय तथा तदनुसार इन्सपेक्टर संवर्ग के स्वीकृत नियतन में बृद्धि कर दी जाय। सचेंडी थाना उपरोक्त प्रस्ताव में सम्मिलित है। राज्य की वर्तमान विषम आर्थिक परिस्थिति में मितव्ययता की नीति के दृष्टि गत शासन ने इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना फिलहाल स्थगित कर दिया है।

सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षकों का स्थानान्तरण

*14—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ऐसे कार्यरत कौन से पुलिस अधिकारी हैं, जो अपने वर्तमान पदों पर 3 वर्ष से अधिक समय से नियुक्त हैं और उनके स्थानान्तरण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सतर्कता अधिष्ठान में दिनांक 8-11-74 को दो पुलिस अधीक्षक तथा 12 पुलिस उपाधीक्षक ऐसे थे, जो उक्त तिथि को 3 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके थे और स्थानान्तरित नहीं किये गये थे। इसका कारण यह है कि सतर्कता अधिष्ठान एक विभागाध्यक्ष का मुख्यालय हैं और उसके द्वारा सम्पादित कार्य विशिष्ट प्रकृति (Specialised nature) का है, जिसे करने वाले अधिकारी इस प्रकार के कार्य में दक्षता तथा विशेष अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। उनका जल्दी-जल्दी हटाना प्रशासन के हित मेंनहीं है। अतः उक्त अधिष्ठान में नियुक्त अधिकारियों पर 3 वर्ष वाला सामान्य नियम कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है।

*15—श्री त्रिवेणी सहाय—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस अधीक्षकों का स्थानान्तरण

*16—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे कौन-कौन से पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें कार्य करते तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, फिर भी उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अपराध अनुसंधान विभाग में दिनांक 12–11–74 को 3 पुलिस अधीक्षक तथा 11 पुलिस उपाधीक्षक ऐसे थे, जो उक्त तिथि को 3 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके थे और स्थानान्तरित नहीं किये गये थे। इसका कारण यह है कि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उक्त विभाग की एक विशिष्ट विशेषता है और उसमें नियुक्त अधिकारी अपने कार्य में विशिष्ट दक्षता तथा अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। अतः उनका जल्दी-जल्दी हटाया जाना प्रशासनिक हित में नहीं है और इस कारण विभाग के अधिकारियों पर 3 वर्ष वाला सामान्य नियम कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है।

श्री कृष्णा राय—

क्या ऐसी अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री जी उनका स्थानान्तरण करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जब बिलकुल जरूरी हो जायेगा, वरना नहीं ?

पदोन्नति प्राप्त हेड कांस्टेबिल का सब-इन्सपेक्टर के पद पर स्थायीकरण

*17—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि प्रदेश में इस समय पुलिस मैनुअल की धारा 191 के अन्तर्गत कितने स्थायी हेड कांस्टेबिल अस्थायी सब-इन्सपेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं ? उनकी सेवाओं को सब-इन्सपेक्टर पद पर स्थायी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ऐसे 148 स्थाई हेड कांस्टेबिल अस्थाई रूप से सब-इंसपेक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं। सब-इंसपेक्टर कोर्स हेतु चयन के पश्चात् एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही यथासमय इनका स्थाईकरण किया जा सकता है।

इटावा जिले के महेवा कस्बा के मन्दिर से मूर्ति की चोरी

*18—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक 5 अगस्त, 74 को रात्रि में कस्बा महेवा, थाना बकेवर, जिला इटावा के एक मंदिर में अष्टधातु की बनी राम लक्ष्मण की मूल्यवान मूर्ति चोरी हो गयी ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

महेबा मन्दिर, इटावा के पुजारी ने दिनांक 6-9-1974 को थाना बकेवर में यह लिखित सूचना दी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति श्री ठाकुर जी के मन्दिर में किसी प्रकार प्रवेश कर, श्री रामचन्द्र व श्री लक्ष्मण जी की अष्टधातु की मूर्तियां, उनके आभूषण तथा अन्य सामान चुरा ले गये तथा इसके अतिरिक्त मन्दिर में रहने वाले पुजारी व 5 अन्य विद्यार्थियों का सामान भी चोरी चला गया।

इस सूचना पर थाना बकेवर में 6-8-1974 को एक अभियोग अपराध संख्या 182 धारा 457 भारतीय दण्ड विधान दर्ज किया गया तथा विवेचना आरम्भ की गई। दिनांक 4-10-74 से यह विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है, जो अभी जारी है।

श्री राम लखन—

क्या माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में यह बतायेंगे कि अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही जांच किस स्तर पर है और अब तक क्या प्रगति है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, वे वही लिखकर भेज दें।

श्री राम लखन—

रिपोर्ट किस स्तर पर है क्या-क्या प्रगति है ....

श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मन्त्री जी जो जांच अब तक इस सम्बन्ध में हुई है, उसकी क्या प्रगति है, उसके तथ्य सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, पहले तो अपराध शाखा के जांचकर्ता ने स्थानीय पुलिस द्वारा तैयार किये गये अभिलेखों का अवलोकन किया तथा वादी श्री गिरीश चन्द्र पुजारी से बातचीत की। उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुये स्थानीय पुलिस द्वारा लिये गये बयान की पुष्टि की। आगे बताया कि मन्दिर में प्रवेश करने का, अलावा वातायन के, कोई अन्य रास्ता नहीं है। बाहर का ताला बन्द ही उन्हें प्रातः मिला है। मन्दिर के प्रांगण में श्री अवध बिहारी त्रिपाठी, श्रीमती उर्मिला गुप्ता, छंगे लाल व बिहारी लाल रहते हैं। ये लोग मूर्तियों की चोरी होने का समर्थन करते हैं। जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उससे स्पष्ट हुआ कि मूर्तियों की चोरी हुई है। यह भी इससे स्पष्ट हुआ कि विद्यार्थियों के सामान की भी चोरी हुई।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों से भी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी गईं हैं जिनमें प्रथम श्रेणी के आफिसर इनवाल्व हुए हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गैंग है जो मूर्तियों की चोरी करके विदेशों में भेजता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सामान्यतया इसमें सब सहमत होंगे कि मूर्तियों की चोरियां होती हैं अगर किसी खास के बारे में आप पूछें तो उसकी सूचना मंगा कर दी जा सकती है। ऐसा लगता है कि कोई गैंग मौजूद है जो मूर्तियों को चोरी करके बाहर भेज रहा है या बिक्री कर रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा माननीय हिम्मत सिंह जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर शाजिस चल रही है मूर्तियों के चुराने की जो अक्सर देखने में आता है इसके साथ ही जो मूर्तियां चुराई जाती हैं उसमें सबसे बड़ा (* * *) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह शब्द नहीं आयेंगे आप कैसे कह सकते हैं कि कोई पार्टी के आदमी हैं। यह शब्द नहीं आयेंगे, यह निकाल दिये जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महेवा मन्दिर से राम लक्ष्मण की मूर्ति चोरी गई उसकी कीमत क्या थी और दूसरा यह कि यह जो गैंग उत्तर प्रदेश में चल रहा है वह अक्सर दंगा करवाता है जैसा अभी इटावा नगर पालिका में मूर्तियां चोरी चली गईं। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, इटावा में दो-तीन बार दंगे हो गये हैं और उन घटनाओं ने हिन्दू मुस्लिम दंगे का रूप ले लिया। तो सरकार छानबीन करेगी ताकि यह गैंग इटावा से पूर्ण रूप से खत्म हो जाय ?

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक मूर्तियों के मूल्य का प्रश्न है इस मन्दिर के संस्थापक श्री गुरु नारायण चौबे थे जो जैपुर से मूर्तियां लाये थे। उनका 1934 में देहान्त हो गया तब से इस समिति के हाथ में यह मन्दिर है जिसमें 10 सदस्य हैं। राम चन्द्र जी की मूर्ति का वजन लगभग 28 किलोग्राम था और लक्ष्मण जी का भी यही बजन था। जिसकी कीमत पुजारी नहीं बता सके।

इटावा जिले के थाना बसरेहर के अन्तर्गत पुलिस की कथित मार से भिखारी की मृत्यु

*19—श्री राम लखन—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1974 के प्रथम सप्ताह म इटावा जिला के थाना बसरेहर में एक भिखारी को पुलिस ने इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री छिद्दू लाल, निवासी फर्रुखाबाद रोड, नई कालोनी, जिला इटावा ने दिनांक 8 अगस्त, 1974 को थाना कोतवाली पर यह सूचना दी कि दिनांक 7 अगस्त, 1974 को उनका पुत्र भिक्षा मांग कर लौट रहा था तो रास्ते में करीब 10-30 बजे दिन एक सब-इन्सपेक्टर व एक सिपाही ने उसे रोका और मारा-पीटा। दिनांक 8 अगस्त, 1974 को उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 304 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाना चौबिया पर कायम किया गया जिसमें विवेचना के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई? इस घटना की जांच एक मजिस्ट्रेट ने भी की है उनकी जांच से मृतक के साथ मार-पीट करना प्रमाणित नहीं हुआ।

श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उनके उत्तर से स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। मजिस्ट्रेट ने जो जांच की उसमें मार-पीट का प्रमाण नहीं मिला है। तो क्या इन्जरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट माननीय मन्त्री जी के पास आई है? यदि हां, तो क्या वह उसे सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से जो मालूम हुआ, उसके अनुसार कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं आया जो ऐसी किसी घटना की पुष्टि करता। किसी भी साक्षी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है, जिससे ऐसी कोई बात परिलक्षित होती हो जिससे पुलिस अथवा मृतक या उसके परिवार से रंजिश होना प्रकट होता हो...

श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

मैं तो यह जानना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम और इन्जरी रिपोर्ट क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट कोई नहीं है। डाक्टर ओंकार नाथ गौड़ जिन्होंने उसका इलाज किया उन्होंने कहा है हो सकता है कि किसी नशीली वस्तु के सेवन या अधिक मात्रा

में भोजन करने के उपरान्त खुले स्थान में लेटने के कारण बीमार हो गया और बाद में शरीर ऐंठ जाने के कारण इलाज के बावजूद उसकी स्वाभाविक मौत हो गई है। यह भी डाक्टर ने बताया कि जो चोट उसकी उंगली में लगी है वह सेप्टिक के कारण नहीं था उसका कारण उसकी मां ने यह बताया कि लकड़ी फाड़ते समय लकड़ी उछल कर लग जाने के कारण यह चोट लगी थी।

श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)—

काज आफ डेथ क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या वजह है कि उसका पोस्ट मार्टम नहीं कराया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह अभी मैंने मंगा लिया है, उसमें इस प्रकार है, लेकरेटेड उन्ड इर्रेगुलर मार्जिन्स 1''×1''/4 इंच स्किन डीप, बिटविन दि लेफ्ट थम्ब ऐन्ड लेफ्ट इन्डेक्स फिंगर (नो पस प्रेजेन्ट)—कान्टेन्स एबाउट 50 ग्राम्स आफ अमक्वायड यलोविश, व्हाइट मेटेरियल। काज आफ डेथ कुड नाट वि एसर्टेन्ड। विसरा हैव बीन प्रिजवर्ड। लेकिन बाद में जो डाक्टर ने बताया है कि वह मैंने बता दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस भिखारी की हत्या इस उद्देश्य से की गयी है कि उसके द्वारा संचित द्रव्य को हड़पा जा सके ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं कौशिक जी से पूछना चाहता हूं कि—

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि आपको जवाब देने का कौनसा हक हासिल है।

राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*20—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित राजकीय पद्धति बालिका विद्यालय (आर्य नगर बस्ती, लखनऊ) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो लगभग पन्द्रह वर्ष से कार्य कर रहे हैं, अब तक अस्थाई हैं ? यदि हां, तो स्थायी न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार इन अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालिका), लखनऊ में 18 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी को स्थायी कर दिया गया है। शेष 17 कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही निदेशक द्वारा की जा रही है।

*21—श्री सत्य प्रकाश—

[2रे सोमवार में प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*22—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[3रे शुक्रवार में प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*23—श्री बाबू लाल वर्मा—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

मुख्य मंत्री को पी० सी० एस० एसोसियेशन का कथित ज्ञापन

*24—श्री त्रिवेणी सहाय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 15 अक्तूबर, 1973 को एक ज्ञापन पी0 सी0 एस0 एसोसियेशन द्वारा मुख्य मन्त्री को दिया गया ? यदि हां, तो उस पर कब टिप्पणी प्रारम्भ हुयी और उसकी मुख्य मांग क्या है तथा उक्त मांगों में से कितनी मांगें अभी अनिर्णित पड़ी हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत् परिषद् क सेवा निवृत्त उप सचिव श्री एल० सी० बेशम्पायन की अवैतनिक कन्सल्टेन्ट के रूप में नियुक्ति

*25—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्य कार्यालय, लखनऊ के डिप्टी सेक्रेटरी श्री एल0 सी0 बशम्पायन को सेवा निवृत्त कब किया गया था ? क्या यह सही है कि अनेक वर्षों बाद उन्हें वर्ष 1974 में पुनः नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उनकी तकनीकी योग्यता तथा आयु क्या है ? वे किस कार्य के लिये कब तक के लिये रक्खे गये हैं तथा सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें पुन : रखने का क्या आधार है ?

श्रम एवं न्याय मन्त्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

श्री एल0 सी0 बेशम्पायन, उप सचिव, राज्य विद्युत् परिषद् दिनांक 31 अगस्त, 1967 को सेवा निवृत्त हुए।

राज्य विद्युत परिषद् ने दिनांक 14 मई, 1974 से इन्हें अवैतनिक कन्सल्टेन्ट के रूप में 6 माह की अवधि के लिये 500 रु0 प्रतिमाह मानदेय पर तैनात किया है। इस समय इनकी आयु 65 वर्ष है।

श्री बेशम्पायन उत्तर प्रदेश शासन के विद्युत् विभाग में अनु सचिव पद पर तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में उप सचिव पद पर काफी लम्बी अवधि तक कार्य कर चुके थे। उन्हें राज्य विद्युत् परिषद् के विषयों का, मुख्यत : नियमों का अच्छा ज्ञान है। इस कारण इन्हें सेवा सम्बन्धी नियम तथा इलैक्ट्रिसिटी मैनुअल आफ आर्डर्स आदि बनाने के लिए उपयुक्त पाया गया और राज्य विद्युत् परिषद् ने इन्हें उक्त कार्य के लिए तैनात किया।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब यह नियम है कि इतनी ज्यादा आयु का आदमी सर्विस में नहीं रखा जाता है तो इनको 65 वर्ष की आयु के बाद क्यों रखा गया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

श्रीमन् गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार है कि यदि वह किसी आदमी की सर्विसेज लाभ उठाना चाहती है तो उसकी सेवा ले सकती है।

श्री अध्यक्ष---

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

बाराबंकी जिले के ग्राम मीरापुर व नसीरनगर के कतिपय व्यक्तियों की पुलिस की मार से मृत्यु

*26---श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बाराबकी जनपद में थाना सफदरगंज के अन्तर्गत ग्राम मीरापुर के दो व्यक्तियों को दिनांक 1 सितम्बर, 1974 की सुबह व ग्राम नसीर नगर के एक व्यक्ति को पुलिस के लोग पकड़ लाये और बाद में पुलिस ने इतना मारा कि वह मर गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा ---

थाना सफदरगंज, जिला बाराबंकी के रिकार्ड के अनुसार दिनांक 1/2 सितम्बर, 1974 की रात में 3.40 बजे अब्दुल सलाम, निवासी ग्राम सालेपुर ने उक्त थाने में कई व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट दी जिसमें ग्राम भीटापुर मजरे किठुरी के पास बाग में उस रात इक्ट्ठा हुए बदमाशों तथा ग्राम वासियों के बीच मुठभेड़ होने के फलस्वरूप 3 व्यक्तियों की मृत्य हो जाने की सूचना दी गई थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 147/148/149/307 भारतीय दंड विधान व 25 आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा कायम किया गया। थानाध्यक्ष, सफदरगंज तथा दो सहायक थानाध्यक्षों ने 4 कान्स्टेबिलों सहित उक्त मुकदमा कायमी की रिपोर्ट में घटना स्थल के लिये अपनी रवानगी प्रदर्शित की। थानाध्यक्ष ने तीनों मृत व्यक्तियों का पंचायतनामा कर उनके शवों को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु सदर भेजा।

*27---श्री रामचंद्र बख्श सिंह--

क्या उपरोक्त मामले की इत्तिला मुख्य मन्त्री को तार द्वारा व आई0 जी0 पुलिस व डी0 आई0 जी0 पुलिस को प्रार्थना-पत्रों द्वारा हाल ही में दी गयी। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा---

उक्त मामले के सम्बन्ध में एक तार व कुछ प्रार्थना-पत्र शासन तथा उच्च अधिकारियों को प्राप्त होने पर मामले की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गई। अपराध अनुसन्धान विभाग की अब तक की विवेचना से ज्ञात हुआ है कि उक्त तीनों व्यक्तियों को थाना सफदरगंज की पुलिस दिनांक 1 सितम्बर, 1974 की सुबह उनके घरों से पकड़कर थाने ले गई थी तथा उनमें से दो व्यक्ति ग्राम मीरापुर के तथा एक व्यक्ति ग्राम नसीरनगर का निवसी था। अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा विवेचना जारी है। उक्त तीनों व्यक्तियों की मृत्यु के कारणों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दये हैं।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगणा]

उपरोक्त धारा 147/148/149/307, भारतीय दंड विधान/25 आर्म्स ऐक्ट के मुकदमें में अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा धारा 120 बी-302/201/218 भारतीय दन्ड विधान भी शामिल कर ली गई है। अपराध शाखा ने वादी सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। दोषी पुलिस कर्मचारी तथा अधिकारीगण जिले से स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। एक सब-इन्स्पेक्टर तथा 3 कांस्टेबिल निलम्बित भी किये जा चुके हैं।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित फर्जी अंक तालिकाओं की बिक्री

*28—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोखरपुर में स्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अंक तालिकायें, सचिव की मुहर लगी लेकिन बिना अंक भरे, 50 रु0 एवं 100 रु0 देने वालों को विश्वविद्यालय कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध हो रही है? यदि हां तो क्या सरकार इस अवैध व्यापार को रोकवाने के लिये सक्रिय कदम उठाने जा रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

विश्वविद्यालय की सूचना के अनुसार यह आरोप निराधार है परन्तु इसकी जांच की जा रही है।

जालौन जिले के माधोगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर की गिरफ्तारी

*29—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—, श्री दलसिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री राम लखन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को क्या इस बात की जानकारी है कि उरई में माधोगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर के साथ दिनांक 1-9-74 से दिनांक 12-9-74 के अन्दर पुलिस ने दुर्व्यवहार किया और उन्हें केवल जांघियां पहने नंगे पैर हथकड़ी लगाकर सड़क पर घुमाया एवं हवालात में 2 दिन तक भूखा-प्यासा ही बंद रखा? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक 3-9-74 को मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित श्री राम राज सिंह पुत्र पती सिंह, निवासी ग्राम हरोली, थाना माधोगढ़, जिला जालौन के बयान के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक श्री सुखरामपाल सिंह के नेतृत्व में दिनांक 6-9-74 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोगढ़ के डा0 आर0 एस0 गुप्ता के यहां ट्रैप डाला गया। डाक्टर के पास से मैजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित 10-10 के आठ नोट बरामद हुये। पुलिस उपाधीक्षक श्री सुखराम पाल सिंह, की मौखिक सूचना के आधार पर डा0 आर0 एस0 गुप्ता के विरुद्ध धारा 161, भारतीय दंड विधान धारा 5 (2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत थाना माधोगढ़ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

यह सही है कि डा0 आर0 एस0 गुप्ता को, उनके मकान से थाना माधोगढ़ नंगे पैर तथा जांघिया व बनियाइन, जो वह गिरफ्तारी के समय पहने थे, में लाया गया। थाना माधोगढ़ से थाना कोतवाली, उरई तथा वहां से चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उरई के न्यायालय तक हथकड़ी लगाकर ले जाये जाने की बात भी सही है किन्तु डाक्टर को हथकड़ी लगाकर

सड़क पर पैदल घुमाये जाने तथा हवालात में भूखे प्यासे रखे जाने की बात सही नहीं है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा डा0 आर0 एस0 गुप्ता की जमानत मंजूर हो जाने पर उन्हें 7–9–74 को जमानत पर छोड़ा गया।

डा0 आर0 एस0 गुप्ता के प्रति स्थानीय पुलिस द्वारा किये गये कथित दुर्व्यवहार के संबंध में आयुक्त, झांसी मण्डल से जांच कराई गई है। आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार डा0 आर0 एस0 गुप्ता को, उनके मकान से थाना माधोगढ़ नंगे पैर तथा बिना उचित कपड़ों में ले जाया जाना तथा थाना माधोगढ़ से थाना कोतवाली, उरई व वहां से चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उरई के न्यायालय तक हथकड़ी लगाकर ले जाया जाना उचित नहीं था। इस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*30—श्री मोहन लाल कपर, श्री तीरथ राम कोहली तथा श्री उमानाथ—

[चौथे गुरुवार के प्रश्न संख्या 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मैनपुरी जिले के कस्बा किशनी में डकैती

*31—श्री मुलायम सिंह यादव—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के 5 वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 22–12–73 को कस्बा किशनी, थाना किशनी, जिला मैनपुरी में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष का हाथ इस डकैती में था ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त डकैती की घटना के संबंध में अंकित अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है तथा विभिन्न लोगों से पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों व सूत्रों की छान-बीन की जा रही है। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अब तक की गई छानबीन से इस डकैती की घटना में थानाध्यक्ष का हाथ होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

लखनऊ मेडिकल कालेज के स्टूडेन्ट वार्ड की घटना से सम्बन्धित जांच आयोग की समाप्ति

*32—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज के स्टूडेन्ट वार्ड में हुयी अप्रिय घटनाओं की जांच के लिये 3–4–74 को गठित एक सदस्यीय जांच आयोग भंग कर दिय गया है ? यदि हां, तो आयोग क्यों गठित किया गया था तथा भंग क्यों किया गया तथा इस अवधि में आयोग पर कितना व्यय हुआ ? आयोग ने जांच के सम्बन्ध में कितना कार्य पूरा कर लिया था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। दिनांक 13–4–73 को लखनऊ मेडिकल कालेज में हुई घटना की न्यायिक जांच कराने के लिये मेडिकल कालेज के शिक्षकों ने अनुरोध किया था। अतएव शासन ने घटना की जांच के लिये दिनांक 19–4–73 को एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। आयोग के टर्म्स आफ रेफरेन्स स्पष्ट न होने के विरुद्ध लखनऊ मेडिकल कालेज शिक्षक संघ ने उच्च

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर कर दी थी जिस पर उच्च न्यायालय ने आयोग की कार्यवाही रोक दी थी। उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर ही आयोग की कार्यवाही आरम्भ हो सकती थी। ऐसा ज्ञात हुआ था कि मेडिकल कालेज के अध्यापक इस जांच की अब आवश्यकता नहीं समझते। श्री गोपाल त्रिपाठी भूतपूर्व उप कुलपति, लखनऊ विश्व-विद्यालय भी अपने पद से हट चुके थे तथा जो झगड़े विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा मेडिकल कालेज के अधिकारियों व अध्यापकों के बीच उत्पन्न हो गये थे वे भी समाप्त हो गये थे। वैसे भी जांच आयोग को गठित हुए बहुत समय बीत चुका था और वर्तमान परिस्थितियों में इस जांच आयोग की आवश्यकता नहीं रह गयी थी। मितव्ययता के कारण व उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आयोग समाप्त कर दिया गया। आयोग के भंग हो जाने के फलस्वरूप आयोग पर हुए व्यय तथा आयोग द्वारा जांच के सम्बन्ध में किये गये कार्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

*33—डाक्टर मलखान सिंह—

[स्थानीय निकायों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

देवरिया जिले के टेलीफोन लाइन मैन की बिजली के स्पर्शाघात से मृत्यु

*34—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या बिजली मंत्री को इसकी जानकारी है कि 27 जुलाई, 74 को देवरिया में बिजली के लटकते हुये तारों में करेंट होने से एक टेलीफोन लाइमैन की स्पर्शाघात से तत्काल मृत्यु हो गयी? यदि हां, तो दुर्घटना के लिये बिजली विभाग के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्य-वाही की गयी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

मामले की जांच कराई गई है।

श्रमायुक्त संगठन के प्रचार अनुभाग का पुनर्गठन

*35—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करगे कि श्रमायुक्त संगठन के प्रचार अनुभाग के सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन हेतु 1974–75 के आय–व्ययक में आयोजनान्तर्गत व्यय के अधीन कुल कितनी धनराशि दृश्य एवं श्रम सेवा के लिये निर्धारित की गयी तथा अगस्त, 1974 के अन्त तक इस धन का क्या-क्या उपयोग किया गया?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्रमायुक्त संगठन के प्रचार अनुभाग के सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन हेतु 1974–75 के आयोजनागत आय-व्ययक में दृश्य–श्रव्य प्रचार (आडियोविजुअल पब्लिसिटी) के निमित्त कुल दस हजार रु0 की धनराशि का प्राविधान था। अगस्त, 74 तक उक्त धनराशि में से कोई व्यय मितव्ययता के दृष्टिकोण से नहीं किया गया।

एटा जिले की अलीगंज कांड की जांच रिपोर्ट

*36—श्री वीर सिंह सेंगर (जिला जालौन)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 23–5–74 को अलीगंज, जिला एटा में दिन दहाड़े गोली काण्ड, आगजनी और लूटपाट की जांच हेतु उत्तर प्रदेश जनसंघ द्वारा जन ग

विधान मंडल दल, उत्तर प्रदेश के उपनेता श्री कल्याण सिंह विधायक के संयोजकत्व में गठित, जांच समिति का प्रतिवेदन दिनांकित 3–7–74 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रतिवेदन क्या है तथा जांच के निष्कर्ष क्या हैं और क्या–क्या मांगें की गयी हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

जी हां। उक्त जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि ही सूचनार्थ* संलग्न है।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों का अवशेष वेतन

*37––श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू0 पी0 स्टेट समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों को गत 5 माह से अधिक अवधि से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो वेतन न देने का कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के मुख्यालय पर होने वाले व्यय का, जिसमें मुख्यालय के कर्मचारियों का वेतन इत्यादि भी सम्मिलित है, आधा राज्य सरकार तथा आधा अंश केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। इन कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। तथापि, कर्मचारियों को पुराने वेतनमानों के आधार पर वेतन आदि के भुगतान हेतु राज्य बोर्ड को 40,000 रु0 का अनुदान तदर्थ रूप से स्वीकृत किया गया था जो वेतन आदि के रूप में राज्य अंश का भुगतान है ।

*38––श्री शिवानन्द नौटियाल––

[सदस्य की प्रार्थना पर 4 थे गुरुवार में प्रश्न संख्या 70 पर स्थानान्तरित।]

*39––श्री सत्य प्रकाश––

[5वें मंगलवार में प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग क विभागीय सुधार अधिकारियों के पदों का आरक्षण

*40––श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)––

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि सुधार अधिकारियों की भर्ती सीधे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती है और विभागीय कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या भविष्य में विभागीय कर्मचारियों के लिये कुछ स्थानों की पूर्ति पदोन्नति देकर कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा––

सुधार अधिकारियों के राजपत्रित पद पर नियमित नियुक्तियां लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से की जाती हैं जो विभागीय अभ्यर्थी उक्त पद के लिये निर्धारित अर्हतायें रखते हैं वह भी नियमानुसार आयोग द्वारा किये जाने वाले चयन में भाग ले सकते हैं। इस समय विभागीय अभ्यर्थियों के लिये उक्त सेवा में नियमित नियुक्ति के लिये किसी का आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। अभी उक्त पदों की सेवा नियमावली नहीं बनी है। सेवा नियमावली बनाते समय इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

*छापी नहीं गई ।

*41—श्री भुलायम सिंह यादव—

[सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

इलाहाबाद स्थित मेयोहाल का पट्टा

*42—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद में स्थित मेयोहाल की जो लीरा जीप फ्लैश लाईट कम्पनी के पक्ष में की गयी थी उस लीज डीड (पट्टा) के सम्बन्ध में सरकार को कानूनी सलाह प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कानूनी सलाह क्या है तथा कानूनी सलाह के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इलाहाबाद में स्थित मेयोहाल की, मेसर्स जीप फ्लैश लाईट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में की गई लीज के बारे में कानूनी सलाह प्राप्त की गई थी। किसी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि जीप फ्लैश लाइट कम्पनी ने इस इमारत का कब्जा स्वेच्छा से बिना कोई मुआवजा लिये हुये शासन के पक्ष में जिलाधिकारी को दे दिया है।

कोल जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित करने की मांग

*43—श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कोलों को जो कि आदिवासी माने जाते हैं सेड्यूल्ड कास्ट में रखा गया है जब कि भारतीय संविधान में कोलों के लिये सेड्यूल्ड ट्राईब का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार उन्हें सेड्यूल्ड ट्राईब्स में घोषित करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

यह सही है कि उत्तर प्रदेश में कोल जाति सेड्यूल्ड कास्ट्स की सूची में सम्मिलित है। यह भी सही है कि कोल एक आदिवासी जाति है लेकिन इनको अभी मान्यता नहीं दी गई है और अनुसूचित जन-जाति घोषित नहीं है।

यह सही नहीं है कि भारतीय संविधान में कोल जाति को सेड्यूल्ड ट्राईब्स घोषित करने का प्राविधान है। प्रदेश सरकार इस जाति को अनुसूचित जन जाति घोषित करने की सिफारिश भारत सरकार से कर रही है और यह प्रश्न अभी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

सीतापुर जिले के पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक देने की मांग

*44—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के जेल से फरार कुख्यात डकैत सब्बीर मास्टर अपने अन्य गिरोह के साथ पुलिस मुठभेड़ में 18 नवम्बर, 1971 को मारा गया और इस कार्य हेतु सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को 500 रु0 के नकद पुरस्कार तथा इंडियन पुलिस मेडिल देने की सन् 1972 में सिफारिश की गयी थी ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को पदोन्नति एवं पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

जी हां, कुख्यात डकैत शब्बीर उर्फ मास्टर अन्य व्यक्तियों के साथ दिनांक 18 नवम्बर, 1971 को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस व जनता के जिन व्यक्तियों ने सराहनीय कार्य किया था उनमें 1,000 रु0 वितरित किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है? जहां तक सम्बन्धित अधिकारियों की वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान किये जाने का सम्बन्ध है, यह संस्तुतियां गोपनीय होती हैं अत: इनके बारे में सूचना देना जनहित में न होगा। सम्बन्धित व्यक्तियों को पदोन्नति देने के सम्बन्ध में यथा समय नियमानुसार विचार किया जायगा।

*45--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]।

अमर शहीद श्री चन्द्र शेखर आजाद की पिस्तौल को इलाहाबाद में रखने की मांग

*46--श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद जिनका जन्म दिवस 23 जुलाई है और जो इलाहाबाद में 27 फरवरी, 1931 को शहीद हुये, अपनी आत्म रक्षा के लिये अपने पास एक पिस्तौल रखते थे? यदि हां, तो क्या वह पिस्तौल किसी अंग्रेज द्वारा इग्लैण्ड ले जायी गयी थी? क्या यह सही है कि वह पिस्तौल अब उत्तर प्रदेश में आ गयी है? यदि हां, तो वह क्या इलाहाबाद में रखी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। श्री चन्द्र शेखर आजाद अपनी आत्म रक्षा के लिये अपने पास एक पिस्तौल रखते थे।

यह पिस्तौल सर जान नाट बावर के पास इंग्लैंड में थी और अब यह उत्तर प्रदेश में आ गयी है?

सरकार ने इसे लखनऊ में रखने का निर्णय लिया था और यह राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षित है।

बहराइच जिले में बन्दूक के लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

*47--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले की तहसील बहराइच के थाना भिनगा व सिरसिया व इकौना के कितने लोगों की बन्दूक लाइसेन्स हेतु दरख्वास्तें विगत दो वर्षों से अभी तक अनिर्णीत पड़ी हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बहाराइच जिले की तहसील बहराइच के थाना भिनगा व सिरसिया व इकौना के बन्दूक के लाइसेंस हेतु 90 आवेदन-पत्र विगत दो वर्षों से अनिर्णीत हैं?

इन मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो पाई है।

*48--श्री काशीनाथ मिश्र तथा श्री धर्मवीर --

[न्यायालय के विचारधीन होने के कारण निरस्त।]

सीतापुर जिले में महमूदाबाद स्थित काल्विन कालेज में घटित घटना

*49—श्री काली चरन यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद के अन्तर्गत कस्बा महमूदाबाद के काल्विन कालेज में सितम्बर, 1974 के द्वितीय सप्ताह में विद्यार्थियों व पुलिस के बीच गम्भीर संघर्ष हुआ, यदि हां, तो विद्यालय में पुलिस प्रवेश का क्या कारण था और घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 1974 के द्वितीय सप्ताह में काल्विन कालेज, महमूदाबाद में छात्रों व पुलिस के बीच कोई संवर्ष नहीं हुआ। मामले का वास्तविक विवरण तथा विद्यालय में पुलिस के प्रवेश करने की परिस्थितियों की सूचना संलग्न नोट में दी हुई है।

[देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 952 पर।]

झांसी जिले के थाना समथर के कर्मचारियों का निलम्बन

*50—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मन्त्री को पता है कि श्री प्रेम नारायन बनाम प्रहलाद सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर, 316/73, आई0पी0सी0 384/342/392/34, में थाना समथर, जिला झांसी में ए0 डी0 एम0, जे0 के यहां दिनांक 5 फरवरी, 1974 को खारिज हो गया ? और मुल्जिमान पुलिस वालों को बाइज्जत बरी कर दिया गया तथा मोती राम बनाम आशा राम वगैरह मुकदमा नम्बर, 356/72, थाना समथर, जिला झांसी दफा आई0 पी0 सी0 302/201 भी ए0 डी0 एम0 जे0, झांसी के यहां से दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 को खारिज हो गया और मुल्जिमान बाइज्जत छोड़ दिये गये ? यदि हां, तो दोनों मुकदमों से बाइज्जत बरी होने के बाद भी सब-इन्स्पेक्ट्रान पुलिस व सिपाहियों को बहाल न करने व तनख्वाह न देने व विभागीय कार्यवाही करने का आधार क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी हां। दोनों मामलों से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दिनांक 4 जून, 1974 को बहाल कर दिया गया था। दोनों मामलों में सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायी गयी जिसके फलस्वरूप कुछ ऐसे तथ्य सामने आये जिनके आधार पर उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी। विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उनके निलम्बन काल के वेतन आदि पर निर्णय लिया जायेगा।

ललितपुर स्टेशन पर लूट-पाट की घटना

*51—श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 9 जुलाई, 1974 को दिल्ली में आयोजित युवक रैली में भाग लेने के लिये युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्त्ता —नागपुर से स्पेशल गाड़ी से जा रहे थे, उन्होंने ललितपुर स्टेशन के बाहर 8 जुलाई, 1974 को लूटपाट की, जिसके कारण आठ व्यक्ति बन्दी बनाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

प्रश्न में जिस घटना का संकेत किया गया है वह दिनांक 8 जुलाई, 1974 की नहीं बल्कि 8 अगस्त, 1974 की है ?

श्री गिरधारी, निवासी मोहल्ला सिवलि लाइन्स, ललितपुर ने थाना कोतवाली ललितपुर पर दिनांक 8 अगस्त, 1974 को इस आशय की एक लिखित सूचना दी कि उसी दिन ललितपुर स्टेशन पर बीना से आने वाली एक स्पेशल ट्रेन रुकी जिसमें से 400–500 आदमी उतर कर वादी तथा अन्य दुकानदारों का सामान उठा कर खाने लगे, कुछ सामान लेकर भागे, कुछ ने उनके सामान का नुकसान किया तथा कुछ ने उनका नकद रुपया-पैसा उठा लिया। वादी के हल्ला मचाने पर जनता के कुछ लोग इकट्ठा हो गये तथा अमुक आठ व्यक्तियों को पकड़ लिया व पुलिस जो थोड़ी देर बाद वहां आ गई थी, को सुपुर्द कर दिया था। इस सूचना पर थाना कोतवाली, ललितपुर पर धारा 395, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना से केवल धारा 427/379, भारतीय दण्ड विधान का जुर्म होना पाया गया किन्तु इस बात का सबूत नहीं मिल सका कि पकड़े गये आठ व्यक्तियों ने ही जुर्म किया था। मुकदमा चलाने योग्य साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण पकड़े गये व्यक्तियों को धारा 169 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिहा किये जाने की रिपोर्ट दी गई और मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई।

पी० ए० सी० के सहायक सब-इन्सपेक्टर (एम) श्री सुरेश नारायन मिश्र का निलम्बन

*52—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि फरवरी, 1968 में अनेकों सहायक सब इन्सपेक्टर पुलिस (एम) 25वीं बटालियन पी० ए० सी० निलम्बित किये गये थे, और अगस्त, 1968 में वैभागीय कार्यवाही के आदेश कमान्डेन्ट 25वीं बटालियन पी० ए० सी० द्वारा जारी किये गये थे और उक्त आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित व्यक्तियों ने डी० आई० जी०, पी० ए० सी०, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को तत्काल अपीलें दायर की थीं ? यदि हां, तो उन सम्बन्धित व्यक्तियों की अपीलें सैन्य नायक 25वीं बटालियन पी० ए० सी० ने किन-किन तारीखों में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहबाद को भेजा और उन अपीलों पर निर्णय किन-किन तारीखों में लिये गये ? यदि नहीं, तो इन निलम्बित व्यक्तियों की अपीलों पर निर्णय में इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

जी हां, ऐसे केवल एक सहायक सब इन्पेक्टर (एम) श्री सुरेश नारायन मिश्र थे। श्री मिश्र ने दिनांक 12 अगस्त, 1968 को याचिका प्रस्तुत की जिसे सेनानायक, 25वीं बटालियन पी० ए० सी० ने पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी० ए० सी०, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19 अगस्त, 1968 को अग्रसारित की तथा उस पर दिनांक 7 सितम्बर, 1968 को निर्णय ले लिया गया। इस प्रकार निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं हुआ ?

*53—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*54—श्री राम सेवक यादव—

(निधन हो जाने कारण निरस्त।)

देवरिया जिले में तांब व अल्यूमिनियम के तार की चोरी

*55—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) —

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिनांक 2 जुलाई, 1974 को कोतवाली पुलिस ने 24 क्विन्टल तांबा का तार और 36 क्विन्टल अल्यूमिनियम का तार बरामद किया है। यदि हां, तो यह कहां से बरामद किया गया तथा अब तक इस सम्बन्ध में कितने को गिरफ्तार किया गया और कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

तारों की चोरी के 2 मुकदमें की विवेचना के दौरान थाना कोतवाली, देवरिया की पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि जनता इन्डस्ट्रीज एवं संजय मेटल वर्क्स में चोरी के तार बेचे जाते हैं। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1974 को तलाशी लिये जाने पर 662 किलो तांबे का तार व 3060 किलो अल्युमिनियम का तार उक्त फर्मों के गोदामों से बरामद हुआ।

इस सूचना पर थाने पर धारा 54/411 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम होकर विवेचना प्रारम्भ की गई। इस सम्बन्ध में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना से उक्त फर्मों के दोषी न पाये जाने के कारण मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

सरकारी निदर्शनी में सचिवालय के टेलीफोन का नम्बर

*56—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के सभी टेलीफोनों को सितम्बर, 1974 तक प्रकाशित सरकारी निदर्शनीं में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और जिन टेलीफोनों को सरकारी निदर्शनी में सम्मिलित नहीं किया गया उनका ज्ञान कराने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

सरकारी निदर्शनी छापने का उद्देश्य केवल उन महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों को एक जगह पर दिखा देना है जिन अधिकारियों से अक्सर बात करने की आवश्यकता पड़ती है। यह डाक तथा तार विभाग द्वारा प्रकाशित निदर्शनी के स्थान पर नहीं छापी जाती है।

जो टेलीफोन नम्बर सरकारी निदर्शनी में नहीं दिखाये गये हैं उनको डाक तथा तार विभाग द्वारा प्रकाशित निदर्शनी में देखा जा सकता है ।

मेरठ डिवीजन में रोडवेज बसों को लूटने की घटना

*57—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या गृह मन्त्री बतलायेंगे कि मेरठ डिवीजन में रोडवेज की बसों को लूटने के अगस्त तथा सितम्बर, 1974 में कितने प्रयास किये गये और इसके मुकाबले में जो डाकू मारे गये उनके नाम व पते क्या हैं और इस पूरे गिरोह को खत्म करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

प्राप्त सूचना के अनुसार मेरठ डिवीजन में अगस्त तथा सितम्बर, 1974 में रोडवेज की बसें लूटने की तीन घटनायें हुईं। इनमें से एक घटना में निम्न डकैत मारे गये :

(1) गोपाल मोहन, सिम्भावली, थाना गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ।

(2) रामदास, सिम्भावली, थाना गढ़मुक्तेश्वर, मेरठ।

(2) चन्द्रभान, थाना स्याना, जिला बुलन्दशहर।

बाकी दो घटनाओं में कोई डकैत नहीं मारा गया, गिरोह को समाप्त करने के लिये अभियुक्तों का पता लगा कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों का स्थायीकरण

*58—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

विधान सभा के गत सत्र के पहले गुरुवार, दिनांक 6 जून, 1974 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 31 के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि स्थायी किये जाने वाले अवर वर्ग तथा प्रवर वर्ग सहायकों में कितने अन्प्लेस्ड अवर वर्ग तथा स्पेशल क्वालिफाइंग परीक्षा पास 1974 के अवर वर्ग सहायक थे जो सचिवालय में 1960 और 1957 से क्रमश : कार्य कर रहे हैं। क्या सरकार इन समस्त सहायकों की एक सूची उपलब्ध करायेगी और यह भी बतायेगी कि इन्हें कब तक स्थायी किया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

स्थायी किये गये सहायकों में कोई 'अन्प्लेस्ड' अवर वर्ग सहायक अथवा 'स्पेशल क्वालिफाइंग' परीक्षा, 1972 पास अवर वर्ग सहायक नहीं थे। कथित श्रेणी के अवर वर्ग सहायकों की सूचियां† प्रस्तुत हैं। इन सहायकों को पारस्परिक ज्येष्ठता का प्रश्न कुछ समय से शासन के विचाराधीन था। इस सिलसिले से शासन द्वारा हाल में लिये गये निर्णय के विरुद्ध कतिपय सहायकों द्वारा उच्च न्यायालय में सभादेश याचिका दायर की गई है, जिससे अब यह प्रश्न माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। माननीय न्यायालय ने 19 दिसम्बर, 1974 को पारित आदेशों द्वारा 'अन्प्लेस्ड' अवर वर्ग सहायकों का स्थायीकरण जिन्हें शासन ने ज्येष्ठतर माना था, स्थगित कर दिया है। जब तक इन सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता स्पष्ट नहीं हो जाती, इनमें से किन्हीं सहायकों के स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में कलेक्टरबकगंज स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्ती में अव्यवस्था

*59—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रम विभाग बरेली के सहायक श्रमायुक्त को बरेली में कलेक्टरबकगंज स्थित राज्य सरकार की औद्योगिक श्रमिक बस्ती की खस्ता हालत, उसमें व्याप्त भयानक गन्दगी, पीने के पानी का अभाव, मेन होल्स व सेफ्टी टैंक खुले रहने, बिजली के प्रकाश की व्यवस्था न होने आदि के सम्बन्ध में वहां के कर्मचारियों

†छापी नहीं गई।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

की यूनियन के सेक्रेटरी व अन्य लोगों द्वारा कोई शिकायती-पत्र अगस्त, 1974 के उत्तरार्ध में उनके कार्यालय में दिया गया? यदि हां, तो वह शिकायती-पत्र क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राज मंगल पांडेय—

सहायक श्रमायुक्त, बरेली को एक शिकायती-पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1974 को प्राप्त हुआ था। पत्र में वर्णित शिकायतों पर यथासम्भव कार्यवाही की जा चुकी है।

सम्भल, जिला मुरादाबाद में श्रम निरीक्षक कार्यालय खोलने की मांग

*60—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संभल, जिला मुरादाबाद के श्रम कार्यालय के लिये स्वीकृत धनराशि उपलब्ध होते हुये भी सम्भल के लिये मई, 1973 से श्रम निरीक्षक नियुक्त होते हुये भी अभी तक वहां श्रम कार्यालय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

वित्तीय वर्ष 1972-73 में सम्भल में एक श्रम निरीक्षक कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति शासन ने दी थी किन्तु स्थापना व्यय में मितव्ययता के आशय से, सम्भल में अलग श्रम निरीक्षक कार्यालय न खोल कर, विशिष्ट रूप से वहां के प्रवर्तन कार्य को देखने के लिये एक श्रम निरीक्षक चन्दौसी में, जहां श्रम निरीक्षक कार्यालय पहले से था, नियुक्त कर दिया गया।

*61—श्री रामरेखा यादव—

[5वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

*62—श्री दशरथ सिंह, श्री रामपति तथा श्री श्रीनारायन —

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

हाथरस व अलीगढ़ नगर में वेश्याओं की गिरफ्तारी

*63—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1971-72 व 1972-73 तथा 1973-74 में इम्मारल ट्रैफिक वोमन ऐक्ट के अन्तर्गत अलीगढ़ नगर व हाथरस नगर में कितने छापे मारे गये तथा उसमें कितनी वेश्यायें गिरफ्तार की गयीं और क्या यह सही है कि जमानतशुदा वेश्यायें पुनः इम्मारल ट्रैफिक के काम में लगी हुयी हैं? यदि हां, तो सरकार इसके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 में सप्रेशन आफ इम्मारल-ट्रैफिक इन वीमेन ऐन्ड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत हाथरस नगर में कोई छापा नहीं मारा गया परन्तु अलीगढ़ नगर में 3 छापे मारे गये तथा उसमें 65 वेश्यायें गिरफ्तार की गयीं जो जमानत पर छोड़ दी गईं। इन 65 जमानत शुदा वेश्याओं में से 3 वेश्यायें पुनः इम्मारल ट्रैफिक कोर्स के कार्य में लगी हुई हैं। इन वेश्याओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्रमजीवी महिला छात्रावासों में उपलब्ध सुविधा

*64—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास किन-किन जिलों में हैं और उन महिलाओं को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक छात्रावास में कितनी महिलायें रहती हैं? क्या उनमें प्रत्येक महिला नियमानुकूल प्रवेश पाकर रह रही है। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रदेश में कानपुर तथा लखनऊ में एक-एक श्रमजीवी महिला छात्रावास स्थापित हैं जिनमें महिलाओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ बिजली, पानी, फर्नीचर, खेल-कूद का सामान, पत्र-पत्रिकायें तथा खाना पकाने के बर्तन आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनको होस्टल वार्डेन, रसोइया, कहार, चौकीदार तथा मेहतर की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। इन छात्रावासों की क्षमता पचास-पचास महिलाओं की है जिसके विरुद्ध वर्ष 1974 में कानपुर में 14 तथा लखनऊ में 18 महिलायें औसतन रहीं?

इन छात्रावासों की प्रत्येक महिला नियमानुसार प्रवेश पाकर रह रही हैं। प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जिले के आर० ई० आई० डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*65—श्री हरिकेवल—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के आर0 ई0 आई0 डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई गम्भीर आरोप पत्र वहां के नागरिकों का वर्ष 1974 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो आरोप क्या है और उक्त शिकायती-पत्र पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

आरोप का विवरण संलग्न है। उक्त शिकायती पत्र पर आगरा विश्वविद्यालय से आख्या मांगी गयी थी जो 30-12-74 को प्राप्त हो गयी है। उसका परीक्षण किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. 953 पर।)

लिंग्विस्टिक एवं रिलीजस माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

*66—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले तीन वर्षों में लिंग्विस्टिक एवं रिलीजस माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश भेजे हैं? यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं और इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कदम उठाये हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लिंग्विस्टिक एवं रिलीजस माइनारटीज कमीशन के गठन के बारे में कोई सूचना प्रान्तीय सरकार के पास नहीं है। भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई है। पिछली 3 रिपोर्टों में से 14वीं रिपोर्ट तो छप चुकी है। 15वीं व 16वीं रिपोर्ट के बारे में प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रश्नावली के उत्तर भेज दिये गये हैं। 14वीं रिपोर्ट के कार्यान्वियन के बारे में आंशिक सूचना भी भेज दी गई है।

हरदोई जिले के ग्राम मिठौली में डकैती

*67—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के अन्तर्गत थाना सन्डीला के ग्राम मिठौली में जुलाई, 1974 के दूसरे सप्ताह में डकैती पड़ी? यदि हां तो उसमें कितने लोग पकड़े गये? उसमें गांव के रहने वाले लाइसेंसदारों ने अपने कर्त्तव्यों का पालन किया? अगर नहीं तो क्यों? उस ग्राम में कौन-कौन लाइसेन्सदार हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ग्राम मिठौली, जिला हरदोई में 13/14-7-74 की रात्रि में एक डकैती पड़ी थी जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना संडीला पर धारा 395/397 भारतीय दंड विधान का एक मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से 24 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 13 पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इन गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में से 10 का चालान किया जा चुका है।

उक्त ग्राम में केवल श्री जंगबहादुर सिंह तथा श्री छेदा ही आग्नेयास्त्रों के लाइसेंसी हैं। घटना की तिथि को श्री जंगबहादुर सिंह की बन्दूक एक मुकदमें के संबंध में पुलिस के कब्जे में थी। दूसरे लाइसेंसी श्री छेदा ने गांव वालों से घटना की सूचना मिलने पर भी घटनास्थल पर पहुंच कर डकैतों का सामना नहीं किया। अतः पुलिस द्वारा इनका लाइसेंस निलम्बित किए जाने हेतु रिपोर्ट दी गई।

*68—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*69—श्री शिव प्रसाद गुप्त—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

थाना झंगहा व बेलीपार, जिला गोरखपुर के अन्तर्गत बन्दूक के लाइसेंस का निलम्बन

*70—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा बेलीपार के क्षेत्र के किन-किन लाइसेंसी बन्दूकधारियों की बन्दूकों के विरुद्ध शिकायतें शासन एवं जिलाधिकारियों को मई, 1974 से 10 अक्टूबर, 1974 तक प्राप्त हुयी हैं? यदि हां, तो इनमें से किन-किन के बन्दूक निलम्बित करके लाइसेंस निरस्त किया गया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री राम दुलारे गुप्त, बन्दूक लाइसेंसी, ग्राम विशुनपुर मटियारा, थाना झंगहा, जिला गोरखपुर के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 19-9-74 का प्राप्त हुआ था। जांच के

पश्चात् उक्त व्यक्ति का लाइसेंस दिनांक 23-11-74 को निलम्बित कर दिया गया और उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है।

थाना बेलीपार क्षेत्र के किसी लाइसेंसी के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

राज्य विद्युत् परिषद् के सहायक अभियन्ताओं की वरीयता सूची

*71—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा—

क्या सरकार को यह मालूम है कि राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा 1964 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की वरीयता अनेक बार बदली गयी है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि विद्युत् परिषद् ने एक आदेश द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 को 1964 में नियुक्त 68 सहायक अभियन्ताओं की वरीयता 85 अभियन्ताओं के बीच निश्चित की? यदि हां, तो ऐसा करने का आधार क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची के संबंध में कतिपय सहायक अभियन्ताओं के प्रत्यावेदनों के मामलों में विचारोपरान्त केवल एक बार वर्ष 1964 में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं की वरीयता सूची राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बदली गई।

अभियन्ताओं की ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के बारे मे अपनी संस्तुति देने हेतु राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर 85 अभियन्ताओं के बीच वरीयता निश्चित की गई है।

गोरखपुर जिले के बैकुंठपुर विद्युत् घर का निर्माण

*72—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में बैकुंठपुर (महराजगंज) विद्युत् घर के निर्माण में 15 सितम्बर, 1974 तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ है और क्या यह सच है कि इस विद्युत् घर को स्थानान्तरित कर इसी जिले के दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्यों और किन परिस्थितियों में?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत बैकुंठपुर (महराजगंज) विद्युत् उपगृह के निर्माण में 15-9-74 तक कुल रुपया 8,88,582.00 व्यय किया गया है। इस विद्युत् उपगृह को स्थानान्तरित कर इस जिले के किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में विद्युत् की उत्पादन क्षमता

*73—श्री गिरिजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की 1972 में विद्युत् उत्पादन क्षमता क्या थी और 1974 अक्तूबर में क्या हो गयी है? यदि यह घटी है तो इसके क्या कारण हैं और उसकी पूर्ति हेतु सरकार ने कौन-कौन से ठोस कदम उठाये हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक 31 मार्च, 1972 और दिनांक 1 अक्टूबर, 1974 को प्रदेश की कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता क्रमश: 1571.943 मेगावाट एवं 1673.69 मेगावाट थी।

उपरोक्त आंकड़ों से यह विदित होगा कि प्रदेश की विद्युत् उत्पादन क्षमता में 31 मार्च, 1972 की अपेक्षा 1 अक्टूबर, 1974 को 101.747 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है।

*74--श्री शिव प्रसाद गुप्त--

(4थे मंगल में प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

वाराणसी जिले में विद्युत् विभाग द्वारा खरीदा गया सामान और पिंडरा विद्युत् गृह की इनकमिंग में खराबी

*75--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् विभाग (हाईडिल), जिला वाराणसी में मड़ुआडीह तथा जिले के और सब स्टेशनों एवं राजा तालाब में लाखों रुपये का ट्रांसफार्मर तथा तार एवं खंभे तथा दूसरी मशीनरी के सामान अर्सा से खरीद कर रक्खे गये हैं और बहुत सा सामान वाराणसी स्टेशन पर है ? यदि हां, तो ये सामान कब और क्यों खरीदे गये ? इनकी टोटल कीमत क्या है ? पूरे रीजन में इस वक्त कितने ट्रांसफार्मर स्टोरों में हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*76--श्री ऊदल--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत् गृह पिंडरा, वाराणसी में इनकमिंग 6 माह से ऊपर हुआ जल गया है और पांचों फीडरों में विद्युत् सप्लाई नियमित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो अब तक इनकमिंग क्यों ठीक नहीं किया गया ? यह जिम्मेदारी किसकी है और एक दो फीडर की रोस्टिंग हमेशा हो रही है ? क्या सरकार प्रत्येक फीडर कम विद्युत् सप्लाई जनवरी, 1974 से लेकर 15 अक्तूबर, 1974 तक बतायेगी और उसकी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रामपुर जिले में कथित जाली नोटों का वितरण

*77--श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 सितम्बर, 1974 को रामपुर में जाली नोट वितरित करने वाले गिरोह के कुछ लोग गिरफ्तार किये गये जिनके पास विदेश में छपे भारतीय करेंसी के नोट पकड़े गये ? यदि हां, तो इस गिरोह में कौन-कौन व्यक्ति हैं और यह नोट किस देश में छापे गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार रामपुर में किसी जाली नोट वितरण करने वाले गिरोह का कोई सदस्य नहीं पकड़ा गया। न ही उक्त जनपद के किसी थाने में इस प्रकार का कोई अपराध अंकित हुआ।

फर्रुखाबाद जिले में हरिजन कालोनी का निर्माण

*78--श्री अनवार जमील--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में इस समय कहां-कहां हरिजन कालोनी बनायी गयी है? क्या क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये ग्राम शेखपुर विकास क्षेत्र, कायमगंज में भी हरिजन कालोनी बनवाने पर सरकार यथाशीघ्र विचार करेगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना एकत्र की जा रही है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति का समय

*79--श्री अनवार जमील--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने का समय निश्चित कर दिया गया है? यदि हां, तो फर्रुखाबाद जनपद में विशेषतया छिबरामऊ तहसील में बिजली का समय निश्चित न करने का क्या कारण है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

जुडिशियल मैजिस्ट्रेट-न्यायालय के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के अधीन करने की मांग

*80--श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारी जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों और जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में कार्य कर रहे हैं उनकी सेवायें स्थायी रूप से उच्च न्यायालय के अधीन कर दी गयी हैं? यदि नहीं, तो सरकार ऐसे कर्मचारियों के भविष्य के बारे में क्या कर रही है?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

ऐसे कर्मचारियों की सेवायें अभी उच्च न्यायालय के अधीन स्थायी रूप से नहीं की गईं। उनके बारे में सिद्धान्तत: यह निर्णय ले लिया गया है कि यथा सम्भव उन्हें दीवानी न्यायालय के कर्मचारी वर्ग में खपाया जाय। इसके लिये उनसे विकल्प लिया जायगा। जो इसके पक्ष में विकल्प देंगे यदि वे कलेक्ट्रेट के स्थायी कर्मचारी हैं तो उनकी उपयुक्तता देखने की आवश्यकता न होगी, किन्तु अस्थायी कर्मचारियों की दशा में उपयुक्तता देखने के बाद केवल योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को ही खपाया जायगा। स्थायी कर्मचारियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से दी जायगी; किन्तु अस्थायी कर्मचारियों के लिए उनकी नियमित निरन्तर नियुक्ति के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित की जायगी। अस्थायी कर्मचारियों की ज्येष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में अभी उच्च न्यायालय सहमत नहीं हुए हैं और परामर्श किया जा रहा है। उच्च न्यायालय से प्रक्रिया सम्बन्धी मामले पर परामर्श पूरा होते ही इन्हें दीवानी न्यायालय के कर्मचारी वर्ग में खपाने के लिये अग्र स्तर कार्यवाही की जायगी।

अतारांकित प्रश्न

जिला निर्वाचन कार्यालय, सुल्तानपुर तथा फैजाबाद के कर्मचारियों का स्थायीकरण

1—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर तथा फैजाबाद जिलों के जिला निर्वाचन कार्यालयों में इस समय कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? इनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जो तीन वर्ष से अधिक सेवारत होने पर भी अभी तक अस्थायी हैं? क्या सरकार इनके पदों को स्थायी करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर तथा फैजाबाद में दिसम्बर, 1974 में कर्मचारियों की कुल संख्या 10 एवं 14 है। इनमें से क्रमशः 5 व 8 अस्थायी कर्मचारियों की सेवायें तीन वर्ष से अधिक हैं। नियमित रूप से चल रहे दो पदों का स्थायीकरण विचाराधीन है। शेष अस्थायी पद विशिष्ट कार्य हेतु निर्धारित अवधि के लिये सृजित होते रहे हैं और उनके भविष्य में निरंतर चलते रहने की अभी संभावना नहीं है।

पी० सी० एस० (ई०) अधिकारियों के वेतन क्रम को आई० ए० एस० अधिकारियों के समान करने की मांग

2—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि आई० ए० एस० में टाइम बाउन्ड स्केल हैं अर्थात् आई० ए० एस० अधिकारियों को 4 वर्ष के भीतर सीनियर स्केल (1200–2000), 10 वर्ष बाद ज्वाइन्ट सेक्रेट्रीशिप, 16 वर्ष में सेलेक्शन ग्रेड (2000–2250), 18 वर्ष में सुपर टाइम स्केल (2500–2750) अवश्य दे दिया जाता है? क्या सरकार इसी प्रकार का टाइम बाउन्ड स्केल इस राज्य की वरिष्ठतम सेवा पी० सी० एस० (ई०) और अन्य सेवाओं में देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नियमों के अन्तर्गत आई० ए० एस० अधिकारियों के लिये समय बन्द वेतनमान दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। सामान्यतया सीधी भर्ती से लिये गये आई० ए० एस० अधिकारियों को उनकी सेवा के पांचवें वर्ष में सीनियर स्केल के पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। आई० ए० एस० के उन अधिकारियों को, जो सचिवालय में तैनात हों, फिलहाल 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर संयुक्त सचिव का स्तर दे दिया जाता है। सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति तथा सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति किसी निर्धारित अवधि के भीतर नहीं की जाती, वरन पदों की उपलब्धता तथा अधिकारी की उपयुक्तता की समीक्षा करने के बाद की जाती है।

राज्याधीन सेवाओं के वेतनमान हाल ही में वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित किये गये हैं। पी० सी० एस० (ई०) तथा अन्य राज्य सेवाओं में सरकार का समयबद्ध वेतन-मान देने का कोई विचार नहीं है।

आई० ए० एस० अधिकारियों की सीनियर स्केल में प्रोन्नति

3—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 1970 का जो बैच मार्च और मई, 1974 के बीच आई0ए0एस0 के सीनियर स्केल में प्रवेश में प्रोन्नत हुआ उसके अधिकारियों को मासिक वेतन में कितने रुपयों का जम्प मिलेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा —

1970 बैच के जिन आई0ए0एस0 अधिकारियों की मार्च, 1974 और मई, 1974 के बीच प्रदेश में सीनियर स्केल में प्रोन्नति हुयी उन्हें 360 रुपये का जम्प मिलेगा ?

थानाध्यक्ष शिवराजपुर, जिला कानपुर द्वारा कथित मंदिर का निर्माण

4—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि माह जनवरी, 1973 से 10 मई, 1974 के मध्य में थानाध्यक्ष शिवराजपुर,जिला कानपुर द्वारा एक ट्रस्ट की स्थापना करके, थाना शिवराजपुर की सरकारी भूमि पर एक मन्दिर का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो प्रश्नगत ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कब कराया गया, सरकारी भूमि पर मन्दिर निर्माण कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुमति कब प्राप्त की गयी ? मन्दिर निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ है और यह धन कहां से प्राप्त किया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा —

कथित अवधि में थानाध्यक्ष शिवराजपुर, जिला कानपुर के द्वारा न तो किसी ट्रस्ट की स्थापना की गई और न थाना शिवराजपुर की सरकारी भूमि पर मन्दिर का निर्माण कराया गया है। अत : प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों का नया वेतनमान

5—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री मोहन लाल कपूर—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन मान सरकार प्रदेश में कब से लागू करने जा रही है तथा अब तक सरकार द्वारा इसके लागू न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिये निर्धारित नवीन पुनरीक्षित वेतनमान प्रदेश में 1 जनवरी, 1973 से लागू कर दिये गये हैं।

6—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[सदस्य की प्रार्थना पर 9वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

7—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री सत्य प्रकाश, श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर-खीरी) —

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 31 अगस्त, 1974 को पुलिस विभाग में जवान तथा कार्यालयों में कार्यरत सहायक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं, (पुलिस की विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों की जानकारी चाहिये) में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी जो कि 3 वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से अथवा

लीव वैकेन्सी पर सेवारत थे ? (जानकारी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक अपेक्षित है) उन्हें अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है तथा कब तक स्थायी घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला नियोजन एवं सूचना विभाग द्वारा प्रसारित जनपद बहराइच के "बढ़ते कदम" परिपत्र में उल्लिखित महत्वपूर्ण योजनायें

8—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन एवं सूचना विभाग द्वारा प्रसारित परिपत्र "जनपद बहराइच के बढ़ते कदम" फरवरी, 1974 में जनपद बहराइच में बांटा गया था ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित महत्वपूर्ण योजनायें कौन-कौन सी हैं जो कार्यान्वित की जा रही हैं तथा उनकी प्रगति क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

विवरण संलग्न† है।

मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्स गंज में जुडिशियल कोर्ट की स्थापना की मांग

9—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर की तहसील राबर्ट्सगंज में पहाड़ी क्षेत्रों की कठिनाइयों को दृष्टिगत कर मुन्सिफ एवं जुडिशियल कोर्ट स्थापित करने का आदेश पारित हुआ है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कोर्ट की स्थापना हो जायगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं।

गोरखपुर में पकड़े गये अपराधी एवं अवैध हथियार

10—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में जून महीने में अपराध निरोधक अभियान के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में किन-किन धाराओं में कितने अपराधी और अवैध हथियार पकड़े गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. 955 पर)

कानपुर जिले में विद्युतीकरण का कार्य

11—श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत तहसील भोगनीपुर व घाटमपुर में 1972 से जुलाई, 1974 तक कितनी नयी लाइनें दी गयी हैं कितने कनेक्शन हुये हैं और किन-किन गांव में लाइन बिछाकर बिजली देने का कार्य होने को है या हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापा नहीं गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 956 पर ।)

प्रदेश में प्रधान मंत्री के दौरे पर व्यय

12—श्री कल्याण सिंह—

द्वितीय सत्र 1974 के 8वें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह अक्तूबर, 1973 से 26 फरवरी, 1974 तक की अवधि में भारत की प्रधान मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश में किये गये दौरों पर कुल कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश शासन को व्यय करनी पड़ी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न में मांगी गयी सूचना देना जनहित में न होगा ।

श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावासों की स्थापना

13—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा श्री राम चरन शाह—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आय-व्ययक 1974-75 में आयोजनान्तर्गत व्यय के अधीन श्रमजीवी महिलाओं के लिये जिन तीन छात्रावासों की स्थापना का प्राविधान किया गया है वह किस-किस नगर में स्थापित होने हैं ? छात्रावासों के निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्रीमजीवी महिलाओं के छात्रावासों की स्थापना आगरा, इलाहाबाद तथा वाराणसी के नगरों में की जानी है ।

ये सभी छात्रावास किराये के भवनों में स्थापित किये जायेंगे अतः छात्रावास भवनों के निर्माण की प्रगति का प्रश्न नहीं उठता ।

सतर्कता अधिष्ठान के अधीन विचाराधीन मामले

14—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 30 अगस्त, 1974 को सतर्कता आयोग के पास ऐसे कितनी जांच के मामले विचाराधीन थे जो कि आयोग को उपरोक्त तिथि से एक वर्ष पूर्व प्राप्त हुये थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सतर्कता आयोग कोई जांच नहीं करता है । जांच सतर्कता अधिष्ठान तथा दो प्रशासनाधिकरणों के माध्यम से की जाती है जिसके बारे में वांछित सूचना निम्नवत् है:—

दिनांक 30-8-74 को एक वर्ष से अधिक विचाराधीन जांचों की संख्या सतर्कता अधिष्ठान के पास 108, प्रशासनाधिकरण-1 के पास 12 तथा प्रशासनाधिकरण-2 के पास 9 थी ।

15--श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी--

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

रायबरेली मार्ग पर कनकहा के पास ट्रक की लूट

16--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, डाक्टर मलखान सिंह तथा श्री वीर सिंह सेंगर--

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक 21 अगस्त, 1974 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन रायबरेली मार्ग पर कनकहा रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रक में लगभग 50 हजार रुपये की चीनी लूट ली गयी ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

दिनांक 29-8-74 को प्रातः 5.30 बजे श्री बसंत लाल ड्राइवर (ट्रक सं0 यू0 एस0 एस0 6384) द्वारा थाना मोहनलालगंज पर इस आशय की सूचना दी गई कि उसी दिन करीब प्रातः 3.30 बजे जबकि वह अपने ट्रक में 102 बोरा खांडसारी शक्कर भरकर लखनऊ से इलाहाबाद ले जा रहा था तो कनकहा रेलवे स्टेशन के करीब उसकी ट्रक को रास्ते में एक ट्रक लगाकर रोक लिया गया और उस दूसरी ट्रक पर बैठे कुछ व्यक्तियों ने उसे व क्लीनर को चाकू व पिस्टल दिखाकर डराया-धमकाया, मारा-पीटा तथा जबरदस्ती उसकी ट्रक से 64 बोरा खांडसारी शक्कर उतारकर अपनी ट्रक में लादली व उसकी घड़ी व रुपये भी छीन कर भाग गये। इस सूचना के आधार पर थाने पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दंड विधान कायम किया गया।

दिनांक 31-8-74 को सिद्धन प्रसाद, निवासी डिप्टी पड़ाव, जिला कानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से उक्त लूटी हुई खांडसारी के 59 बोरे बरामद हुए। तफ्तीश के दौरान कुछ अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए हैं जिनको गिरफ्तार किए जाने के प्रयास जारी हैं।

विधायक निवास 'अ'-खंड के कक्ष पर अनधिकृत कब्जा

17--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री को इस बात की जानकारी है कि विधायक निवास 'अ'-खंड, कमरा नं0 188 पर श्री हबीबुल रहमान नोमानी, महामंत्री कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश का अनधिकृत कब्जा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? इसको खाली करा कर अन्य विधायक को एलाट करने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी हां।

5 मार्च, 1974 से सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् श्री नोमानी ने कक्ष अभी तक खाली नहीं किया है। कक्ष खाली कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कासिमपुर पावर हाउस, जिला अलीगढ़ में रूसी अभियन्ताओं के प्रयोगार्थ एयर कन्डीशनर्स, कूलर्स की खरीद

18—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1970 से मई, 1974 तक कासिमपुर पावर हाउस, हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में रूस से आये हुये अभियन्ताओं के लिये कितने मूल्य के एयर कन्डीशनर्स, कूलर्स और रेफ्रीजेरेटर्स खरीदे गये ? और अब वह सम्पूण सामान कहां किसके उपयोग में आ रहा है और कब से ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वर्ष 1970 से मई, 1974 तक कासिमपुर पावर हाउस, हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में रूस से आये हुए अभियन्ताओं के लिये कोई एयर कन्डीशनर्स, कूलर्स और रेफ्रीजेरेटर्स नहीं खरीदे गये। वस्तुत: 1966 से 1968 तक रूस से आये हुए अभियन्ताओं के लिये 3,75,839 रु0 के मूल्य के 87 नग एयर कन्डीशनर्स, कूलर्स और रेफीजेरेटर्स खरीदे गये जो उनके उपयोग में वर्ष 1970 तक रहे। उसके बाद यह सामान 1970 से 1973 तक चेकोसलवाकिया तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स आफ इन्डिया के अभियन्ताओं के उपयोग में आया। अब इन सामानों का उपयोग आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यालयों एवं निरीक्षण गृहों में हो रहा है ?

बरेली जिले में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की कथित योजना

19—श्री सत्य प्रकाश—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में बरेली-लखनऊ रोड पर ट्रकों की भीड़ को समाप्त करने हेतु ट्रान्सपोर्ट नगर बसाया जा रहा है ? यदि हां तो यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

बरेली जनपद में बरेली-लखनऊ मार्ग पर ट्रान्सपोर्ट नगर बसाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ?

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया में हरिजन प्रशिक्षणार्थी

20—श्री हरिकेवल—

उद्योग एवं श्रम मन्त्री बतायेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0 टी0 आई0), देवरिया में विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश हेतु 1974 में कितने छात्रों ने आवेदन दिया था और विभिन्न ट्रेडों में कितने छात्र साक्षात्कार समिति के समक्ष पेश हुये तथा उनकी भर्ती का आधार क्या है और सभी ट्रेडों में हरिजनों का प्रतिशत क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

वर्ष 1974 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देवरिया में विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश हेतु आवेदकों की संख्या साक्षात्कार समिति के समक्ष पेश हुये अभ्यर्थियों की संख्या तथा हरिजनों का प्रतिशत निम्नलिखित है :--

ट्रेड का नाम	आवेदकों की संख्या	साक्षात्कार समिति के समक्ष पेश हुये अभ्यर्थियों की संख्या	हरिजनों का प्रतिशत
1	2	3	4
1--विद्युत्कार	242	220	12.24
2--फिटर	465	425	12.12
3--ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिक)	27	26	20
4--मशीनिस्ट ग्राइन्डर	16	14	..
5--टर्नर	105	98	11.36
6--वायरमैन	80	73	13.51
7--मशीनिस्ट कम्पोजिट	26	24	..
8--मोटर मैकेनिक	123	109	13.63
9--वेल्डर	78	65	10.71
10--डीजल मैकेनिक	30	27	17.65
11--ब्लैकस्मिथ	20	19	6.25
12--मोल्डर	19	19	..
13--शीट मेटल	18	15	..
14--रेफ्रीजिरेशन मैकेनिक	19	17	12.5
15--स्टेनोग्राफी हिन्दी	335	299	15.9

विभिन्न व्यवसायों के लिये अभ्यर्थियों की न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये उनकी जन संख्या के अनुपान में आरक्षण भर्ती का आधार माना जाता है ।

प्रतिनिहित विधायन समिति का 35 वां प्रतिवेदन†

(श्री अध्यक्ष द्वारा सचिव को पुकारने पर।)

श्री शिवकुमार पांडे (जिला सुल्तानपुर) —

माननीय अध्यक्ष महोदय , मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इस समय कृपया बैठिये । सचिव के बीच में आप कैसे बोल सकते हैं।

श्री शिवकुमार पांडेय--

मैं बैठूंगा नहीं ?

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप बैठेंगे नहीं तो मैं आपको निकालूंगा।

श्री शिवकुमार पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और न आपको बोलने देंगे। इस तरह का अभद्र व्यवहार वही मनुष्य करता है जो संसदीय नियमों को न जानता हो। अब सचिव प्रतिनिहित विधायन समिति के 35 वें प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी आज्ञा से (व्यवधान)।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय आप कमजोर सदस्य को डांट देते हैं और जबर्दस्त सदस्य से कुछ नहीं कहते हैं।

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्षअ, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति के 35वें प्रतिवेदन को, जो पंचम विधान सभा के विघटन के पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय काशीनाथ मिश्र जी को संसदीय कार्य को जानने वाला समझता था लेकिन सचिव को बीच में टोकने का बड़ा अनुचित कार्य किया है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर यह माधव बाबू का असर जो कभी-कभी माननीय सदस्यों में आ जाता है।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न का सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोतीलाल देहलवी ने सूचना दी है कि माननीय शिक्षा मन्त्री ने 31 दिसम्बर, 1974 को श्री शिवानन्द नौटियाल के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का जानबूझकर गलत उत्तर देकर सदन को गुमराह किया है वह असलियत को छिपाया है और इस प्रकार सदन का अवमान किया है। माननीय श्री देहलवी ने अपनी सूचना में तत्कालीन उप शिक्षा मन्त्री श्री राजबिहारी सिंह के दिनांक 29 दिसम्बर, 1974 के एक पत्र का उल्लेख किया है। दिनांक 29 दिसम्बर, 1974 को माननीय राज बिहारी सिंह, उप शिक्षा मन्त्री नहीं थे। इसके अतिरिक्त माननीय श्री देहलवी ने श्री राधेश्याम शर्मा, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के 28 जनवरी, 1974 के पत्र और सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित "उत्तर प्रदेश में जनतांत्रिक सरकार के 55 दिन" व "उत्तर प्रदेश के बढ़ते कदम अध्यापकों के लिये" पैम्फलेटों का भी उल्लेख किया है और उक्त लेखों के आधार पर माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय श्री राजबिहारी सिंह द्वारा दिया गया आश्वासन मौखिक नहीं, अपितु लिखित रूप में था।

[श्री अध्यक्ष]

उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 64 के अनुसार यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी। माननीय श्री मोतीलाल देहलवी ने तत्कालीन उप शिक्षा मन्त्री, श्री राजबिहारी सिंह, श्री राधेश्याम शर्मा, उपसचिव तथा उपर्युक्त दोनों पैम्फलेटों की प्रतियां संलग्न नहीं की हैं तथा श्री राजबिहारी सिंह के पत्र के दिनांक का जो उल्लेख किया है वह स्पष्टतया गलत है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण–द्वितीय अंक के पैरा 207 के अनुसार यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मन्त्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाये जो गलत सिद्ध हो तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे। जब तक सदन को गुमराह करने का कोई षड़यन्त्र न हो केवल सदन में किसी असत्य कथन के विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता है। अत : उपयुक्त कारणों से मैं श्री मोतीलाल देहलवी की सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन आपसे यह है कि . .

श्री अध्यक्ष—

मैं समय नहीं देता।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की कठिनाइयों के बारे में है। आप भी शिक्षक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप बार-बार न कहें कि मैं शिक्षक रहा हूं। मैं विधान सभा का स्पीकर हूं।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप थोड़ा सा समय अवश्य दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप उसको लिखकर दे दीजिये।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप जरा एक मिनट सुन लें। शासन के जो आदेश हैं कि शिक्षकों के वेतन . . . .

श्री अध्यक्ष—

आज समय नहीं है। जब अविश्वास का प्रस्ताव हो तो स्पीकर इन सब बातों के लिए समय नहीं देगा।

30 दिसम्बर, 1974 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल मलिक द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के बारे में वक्तव्य

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 को श्री कल्याण सिंह द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल मलिक ने अनुपूरक प्रश्न में यह बात कही थी कि वर्ष 1971 से बराबर गेहूं का रकबा घटता चला जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्रम-सं0	वर्ष		गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्रफल (लाख हेक्टर में)	
1	2		3	
1	1970–71	..	59.07	
2	1971–72	..	60.45	
3	1972–73	..	61.35	
4	1973–74	..	60.55	
5	1974–75	..	65.00	(लक्ष्य)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में वर्ष 1970-71 से गेहूं का क्षेत्रफल वर्ष 1972-73 तक बराबर बढ़ता रहा। वर्ष 1973-74 में गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्रफल वर्ष 1972-73 से लगभग 80,000 हेक्टर की कमी हुई, परन्तु वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 की तुलना में गेहूं का क्षेत्रफल वर्ष 1973-74 में अधिक था। वर्ष 1974-75 में गेहूं के क्षेत्रफल का लक्ष्य 65 लाख हेक्टर निर्धारित किया गया है। इस वर्ष की रबी में गेहूं के अन्तर्गत बोए गये क्षेत्रफल के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

विधान सभा के वर्तमान सत्र 1974 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री कल्याण सिंह के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नोत्तर का उद्धरण —

* * * * *

श्री सत्यपाल मलिक मान्यवर, 1971 से बराबर गेहूं का रकबा घटता चला जा रहा है। मन्त्री जी के पास आंकड़े नहीं हैं तो क्या वे एक सदन की समिति बनायेंगे जो इस बात की जांच करे कि प्रदेश में गेहूं बोने का क्षेत्रफल कितना घट गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य

मान्यवर, मैंने रबी के क्षेत्रफल की बात की है। लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि कमेटी बनाकर पता लगाया जाय कि गेहूं का रकबा क्यों कम होता जा रहा है। कमेटी की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो विभाग के उच्च अधिकारियों से छानबीन कराकर मैं सदन को अवगत कर सकता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजेन्द्र कुमार गर्ग ने कार्य--स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसमें यह है कि "आज चीनी मिल मालिकों की लूट से गन्ना किसानों, शुगर मिल मजदूरों और चीनी उपभोक्ताओं में गहरा असन्तोष एवं गुस्सा उत्पन्न हो गया है। उस पर काबू पाने के लिए और देश के हित में चीनी को विदेशों में निर्यात करने और बाहरी मुद्रा कमाने के लिए इस सदन के 17 सदस्यों ने चीनी मिलों के तुरन्त राष्ट्रीयकरण की मांग की है। परन्तु सरकार ने आज तक चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो समिति बनायी थी उसकी रिपोर्ट को न तो सदन के पटल पर ही रखा और न सदन को इस पर विचार करने का अवसर दिया? यदि यह सदन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण पर तुरन्त अपने विचार व्यक्त नहीं करता और राष्ट्रीयकरण कराने का फैसला नहीं लेता, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण रोका नहीं जा सकेगा पिछले साल की भांति चीनी मिल मालिक इस वर्ष दो सौ करोड़ रुपये से भी कहीं ज्यादा रकम जनता से लूट लेंगे। चीनी मिल मालिकों की लूट को तुरन्त खत्म करने के लिये चीनी मिलों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है। अत: मैं कार्य-स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।"

इसे अस्वीकृत किया गया।

सामुदायिक विकासमंत्री के वक्तव्य पर प्रश्न कर सकने के सम्बन्ध में जानकारी

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिये हैं और जो आंकड़े उसमें हैं, उस पर कुछ प्रश्न किये जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वह सीधा वक्तव्य है, उस पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो वक्तव्य है, उसका हवाला देकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वक्तव्य मांग सकते हैं, लेकिन आज नहीं, नोटिस दें उस पर।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है इस सम्मानित सदन में जितने भी माननीय सदस्य चुनकर आये हैं, उनकी मर्यादा है। लेकिन आप हम लोगों को हलवाहे की तरह डांटते हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का सवाल क्या है।

श्री शिवकुमार पाण्डेय—

मान्यवर, आप जब उस कुर्सी पर रहते हैं, तो इस ढंग से डांटते हैं हम लोगों को कि जैसे हम लोगों की कोई मर्यादा ही नहीं है ... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

आप यह समझते हैं कि आप जब चाहें तब बोलें।

.श्री शिव कुमार पाण्डेय—

मान्यवर, क्या आप उस कुर्सी पर बैठकर क्रोधित हो सकते हैं? मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

हां (व्यवधान)।

श्री शिव कुमार पाण्डेय—

मान्यवर, इस सदन की मर्यादा की यह बात नहीं है। आखिर माननीय सदस्यों की भी कुछ मर्यादा है..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि स्पीकर एक दिन के लिये सबको निकाल सकते हैं और यह न करें कि वह अवसर आये।

(व्यवधान)।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय अध्यक्ष जी, क्षमा करें अगर कोई बात बुरी लगी हो। क्षमा करेंगे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको गुस्सा कैसे आ जाता है?

श्री अध्यक्ष—

मुझे खुद आ जाता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, आपको इतना कम गुस्सा क्यों आता है? आखिर आपको क्रोध करने का बुनियादी हक हासिल है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

मुझे हर एक व्यक्ति से प्रेम और आंखें दिखाने का हक हासिल है। बशर्ते कि हाथ न चले।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, क्रोधित होकर आप कभी-कभी कुर्सी को छोड़ देते हैं.....

(व्यवधान)।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) —

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है..... (व्यवधान) मान्यवर, आपको इतना क्रोध क्यों आ जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर क्रोध नहीं है, तो फिर वह जीवन क्या।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, आपका क्रोध तो बुनियादी है ..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

मुझे क्रोध कहां आता है ? (व्यवधान)।

अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस के लिये अधिक समय की मांग

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी–गढ़वाल)—

मान्यवर, समय को आपने किस ढंग से नेताओं को दिया है, इसकी कुछ सूचना आप दे सकें, तो द दें।

श्री अध्यक्ष—

10 घंटे का आज और कल का समय है। 10 घंटे में 5 घंटे–5 घंटे।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, आपने दो दिन का कैसे तय कर दिया ? मैं कह रहा था 4 दिन, आप कह रहे थे दो दिन, अध्यक्ष महोदय, विचार कीजिये। आप पहले प्रीसीडेंस देखिये, पहली बार दो दिन बहस हुई है। लेकिन दो एक बार चार दिन की भी बहस हुई है। वैसे अधिकतर 3 दिन दिये गये हैं बहस के लिये, लेकिन पहले दिये गये हैं या नहीं अब तो तब से समस्यायें बहुत बढ़ गयी हैं इसलिये आवश्यक है कि तीन दिन तक उस पर बहस की जावे। आपने स्वयं ऐसे बहुत से मसले यह कह कर टाल दिये और वह ठीक ही था कि जब नो कान्फीडेंस मोशन आ गया है सरकार के खिलाफ तो और विषय उसी में आ जावेंगे, इसलिये भी तीन दिन तक बहस होनी ही चाहिये, आज, कल और 6 तारीख को .....

श्री अध्यक्ष—

सन् 57 से इधर जितने भी अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं उनमें एवरेज दो दिन का है। जो बात हमारे यहां तय हुई थी उसमें यही तय हुआ था।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अब यह बात अगर आ रही है तो मैं जाब्ते से प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर दो दिन की बहस हो।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष जी, अधिकार तो उनको सारे हैं, वे एक दिन भी कर सकते थे उनको कौन रोकता है लेकिन इसका मतलब यह होगा कि गवर्नमेन्ट के खिलाफ या उसके प्रशासन के विरुद्ध जो जो शिकायतें हैं वे पूरी तरह से उनके सामने नहीं आ सकती हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो जो आप कहते जायेंगे चौधरी साहब मैं उनको मान लेने की कोशिश करूंगा।

चौधरी चरण सिंह—

सारे दृष्टिकोण से जो गलतियां सरकार की हमने बताने का इरादा किया है, इसमें कोई शक नहीं कि आज परिस्थिति अत्यधिक विषम हैं, असाधारण है, लोगों को बहुत तकलीफें हैं, बहुत शिकायतें हैं तो अगर बहुगुणा जी गवर्नमेन्ट अच्छी चलाना चाहते हैं जैसा कि, मेरा विश्वास है, उनका उद्देश्य है तो सारे ही लोगों को अपनी अपनी बात कहने का मौका देना चाहिये, इसलिये मैं चाहता हूं कि 4 दिन की बहस का मौका आप इस पर देवें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं चौधरी साहब का अनुग्रहीत हूं कि उनके दिल में यह बात है कि इस गवर्नमेन्ट की ख्वाहिश है कि प्रशासन अच्छा चले लेकिन ब्रेविटी इज सोल, चौधरी साहब सिद्धान्त रूप में बोलतें रहेंगे और हम समझते रहेंगे। अगर यही है तो विपक्ष को 6 घंटे और इधर के लोगों को 4 घंटे ही बोलने का मौका रहे।

चौधरी चरण सिंह—

जहां तक इस वक्त बोलने की बात है माननीय माधव प्रसाद जी इस समय बोलेंगे, मेरी बजाय अगर आपको मेरे बोलने में एतराज हो कि मैं लम्बा बोल जाता हूं। मैं डेढ़ घंटे में अपनी बात कह दूंगा लेकिन आप चार दिन के लिये मान जाइये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस समय यह सम्भव नहीं है चौधरी साहब।

चौधरी चरण सिंह—

अगर यह बात है कि वह नहीं मान सकते तो क्या आप मेजारिटी की ही बात को मानेंगे। आप हम अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षक हैं। आपको यह तय करना है कि कितने दिन बहस होगी और आपको उनकी ही राय से गाइड होना है तो अगर एक दिन का प्रस्ताव उनकी तरफ से आये तो वह भी मान लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि लोक सभा में भी हुआ कि आखिरी दिन जब ऐसा प्रस्ताव आया तो अधिक देर तक बैठकर उन्होंने भाषण दिये और रात में भी बैठे। तो हम भी एक घंटा दो घंटा वैसे ही बैठ सकते हैं। कार्यमंत्रणा समिति में भी यही बात हुई कि सब विषयों को पूरा ही लेने के लिये ज्यादा देर तक बैठकर इसको कर सकते हैं और आज भी और कल भी हम देर तक बैठ सकते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हमें भी और बहुत से काम लगे हुये हैं। हमें सम्मेलन भी जो लखनऊ में हो रहा है उसको देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको यहां क्या सुनना है, यहां आप क्यों बैठना चाहेंगे? दूसरे काम सदन के काम से ज्यादा आपके लिये महत्व रखते हैं। अगर 6 को नहीं चाहते तो 4 को ही हम बैठ जावें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

4 तारीख को इसी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के जिला परिषदों के अध्यक्षों का सम्मेलन होने वाला है। हमने भी अपने कार्यक्रम बना रखे हैं। शुरू में हम चाहते थे कि आप

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

अविश्वास के प्रस्ताव को इतना महत्व देते हैं कि आप शुरू में ही ले लें लेकिन शुरू में आप अपना मन नहीं बना सके। तो अब हमें और भी बहुत से काम करने हैं इसलिये हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि हम ज्यादा दिन बैठ सकें और यह अनावश्यक भी है कि हम तीन दिन बैठें ही, दो दिन में ज्यादा देर बैठकर भी वह हो सकता है। अगर दो रोज बहस की जाये और कल दो घंटा ज्यादा बैठकर वह पूरा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है दो घंटा कल भी बढ़ सकता है।

चौधरी चरण सिंह—

ठीक है अगर विधान सभा के काम का महत्व कम है तो ऐसा आप कहेंगे ही कि आपको इसके अलावा और भी काम करने हैं लेकिन सारा काम हमारा इसी पर निर्भर करता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार चल रही है और हमको और विरोधी दल के लोगों को पूरा हक है कि हम सरकार की सारी गलतियां बतलावें। श्रीमन् आपने स्वयं कई चीजों को टाल दिया यह कह कर कि अविश्वास के प्रस्ताव के समय इनको उठालें। उसे हमने मान लिया कि तभी उठायेंगे। तो ऐसी सूरत में अगर 3 दिन भी नहीं देना चाहते हैं तो ठीक है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उत्तर प्रदेश की जनता गरीब है मैंने प्रस्ताव किया था कि विधान सभा की बैठक शनिवार को भी कर ली जाया करे लेकिन चौधरी साहब ने फरमाया कि शनिश्चर को उन्होंने अपने कार्यक्रम लगा रखे हैं। मैं तो यहां तक तैयार हूं कि हमारे जो नियम हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये ताकि शनिश्चर के दिन भी हम यहां पर काम कर सकें। मैं तो यह प्रस्ताव भी लाने वाला हूं।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

कृपया यह बताने का कष्ट करें कि दूसरे वक्ताओं को आप कितना-कितना समय देंगे, इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलने के लिये ?

नेता विरोधी दल की मान्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, आज अविश्वास का प्रस्ताव होने जा रहा है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि नेता विरोधी दल किस दल के नेता हैं। सदन के अन्दर अभी तक भारतीय क्रान्ति दल की ही मान्यता है और विधान सभा के अन्दर भारतीय लोक दल के गठन की घोषणा अध्यक्ष की ओर से नहीं हुई है और न उन्होंने यह लिख कर ही दिया है।

दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग के सामने यह प्रश्न अभी विचाराधीन है कि बी0 के0 डी0 या भारतीय लोक दल को मान्यता दी जाय। तो क्या सदन के बाहर जिस दल की कानूनी स्थिति नहीं है तो उस दल की स्थिति कैसे यहां पर कबूल करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह किस हैसियत से सदन में बैठे हैं, नेता भारतीय क्रान्ति दल की हैसियत से या भारतीय लोक दल की हैसियत से। बी0 के0 डी0 के टिकट पर ये चुने गये हैं। जो प्रश्न मैंने लिखकर आपको दिया है, उसे आप क्लियर करने की कृपा करें कि किस दल की तरफ से ये यहां पर बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय काशी नाथ मिश्र ने जो प्रश्न उठाया है और लिखकर भी दिया है, मैं उनका ध्यान विधान सभा सचिवालय के पत्र संख्या 2922/29(सं)-74, दिनांक 21 अक्तूबर, 1974 की ओर. . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, आप हमारी सूचना को पढ़ दीजिए ? यह बहुत बड़ा अहम सवाल है। सारे देश की राजनीति से इसका सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष---

यह अहम सवाल नहीं है। देश में अनिश्चित है। आज जो प्रश्न देश में अनिश्चित है, उसे आप चाहते हैं कि अध्यक्ष निश्चित कर दें।

जो औचित्य का प्रश्न माननीय काशी नाथ मिश्र ने उठाया है, वह इस प्रकार है :

"(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा में अभी तक माननीय अध्यक्ष द्वारा विधान सभा के अन्दर भारतीय लोकदल के गठन की विधिवत् घोषणा नहीं हो पाई है। अभी तक सदन के अन्दर भारतीय क्रान्ति दल की ही मान्यता है और माननीय नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रान्ति दल के ही टिकट पर चुनकर आये है---सदन के बाहर अभी देश में भारतीय क्रान्ति दल की स्थिति बनी हुई है। माननीय चौधरी चरण सिंह ने लिखित रूप से माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, के पास अपना और अपने दल के सदस्यों की सूची भारतीय लोक दल की हैसियत से सदन में बैठने की औपचारिक घोषणा करने हेतु अभी तक नहीं भेजी है।

(2) क्या माननीय अध्यक्ष किसी ऐसे राजनीतिक दल की मान्यता सदन के अन्दर दे सकते हैं जिसकी मान्यता का मामला चुनाव आयुक्त के विचाराधीन हो ?

(3) क्या देश की कोई विधान सभा या उसका माननीय अध्यक्ष किसी नये राजनैतिक दल के गठन की शुरुआत विधान सभा में करा सकता है जिस दल की कानूनी स्थिति सदन के बाहर नहीं है, सदन के भीतर कैसे हो सकती है"।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के संसदीय विभाग द्वारा छठी विधान सभा की सूची 5 दिसम्बर, 1974 तक संशोधित प्रकाशित की गई है जिसकी प्रति इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को वितरित की गई है। इसमें बी0 एल0 डी0 के प्रत्येक व्यक्ति का नाम दिया हुआ है।

श्री काशी नाथ मिश्र---

मेरा एतराज ही इस पर है।

श्री अध्यक्ष---

अब मैं काशीनाथ जी मिश्र का ध्यान विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश, संसदीय अनुभाग के पत्र संख्या अमुक-अमुक प्रेषित 31 अक्तूबर, 1974 की ओर दिलाता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

यह पत्र आप सब को मिल चुका है। "मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल ने माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा को यह सूचना देते हुये कि भारतीय क्रान्ति दल अब भारतीय लोक दल में परिवर्तित हो गया है और भविष्य में यह दल भारतीय लोक दल के नाम से जाना जायगा यह निवेदन किया है कि विधान सभा सचिवालय के अभिलेखों में तदनसार परिवर्तन कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष ने भारतीय क्रान्ति दल का नाम भारतीय लोक दल के नाम में परिवर्तित किये जाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या अध्यक्ष विधान सभा सक्षम है कि विधान सभा के अन्दर किसी ऐसे राजनीतिक दल के गठन का स्वरूप बना सकते हैं जो राजनीतिक दल सदन के बाहर न हो ?

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा में जो स्थिति हो उसको मैं स्वीकार करता हूं। जो स्थिति बाहर दल की है उसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं दल गठन नहीं करता।

श्री मुलायमसिंह यादव (जिला इटावा)—

कल जब अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ और जब उस पर मत लिया गया तो सारे विरोधी दल के लोग खड़े हो गये लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग खड़े नहीं हुये। इसलिये जो यहां बोलने के लिये समय दिया जाय वह कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाय, हमारे लोगों का समय बर्बाद न किया जाय।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

चूंकि हम इधर भी रखेंगे उधर भी रखेंगे इसलिये हमको दूना समय दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

वह तो जब चौधरी चरण सिंह की तानाशाही होगी इस देश में तब कम्युनिस्ट पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिये मैं मुलायम सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि प्रयास करें कि चौधरी चरण सिंह की तानाशाही इस देश में आ जाय ताकि औरतों को, समाज के गरीब तबकों को, किसी को कोई अधिकार न रहे।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

वैसे तो अविश्वास के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस सरकर के कारनामे एक खुली किताब है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस प्रदेश में जो इस सरकार से संतुष्ट हो। हां जो भीष्म जी के सिद्धान्त को मानता है और इनका नमक खाता है किसी न किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप में वह भी हृदय में मसोस लिये रहता है परन्तु विरोध नहीं करता। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा नहीं एक तो यह परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति यह है कि इस समय आज यह चर्चा करने जा रहे हैं मैं समझता हूं कि यह विडम्बना है एलेक्शन के कानून की कि आज 32 फीसदी के खिलाफ अविश्वास प्रकट करने के लिए 68 फीसदी और चौधरी साहब के कहने के मुताबिक 65 फीसदी या 62 फीसदी जा रही है। वरना आज इनके हाथों में बागडोर सौंपने के बाद रोना न पड़ता। मैं एक बात और कहूंगा कि अविश्वास के प्रस्ताव पर अनेक बातें कही जाती हैं। मैं इसका प्रयास करूंगा कि जहां तक सम्भव होगा मैं नीचे स्तर की बात यहां नहीं कहूंगा ऊंचे स्तर की बात ही कहूंगा। (व्यवधान) अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, माननीय काशीनाथ मिश्र चाहेंगे तो मैं उसे भी सामने रख सकता हूं, मेरे पास नीचे स्तर वाला भी मसाला काफी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसे न रखूं।

मान्यवर, जब माननीय बहुगुणा जी मुख्य मंत्री के आसन पर बिराजने जा रहे थे तो हम लोगों ने जो कल्पना उस समय की थी वह सही निकली। उस समय उनके विरोध में हमने भी प्रदर्शन किया था, उन्होंने भी किया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि माननीय बहुगुणा जी बड़े गतिमान व्यक्ति हैं, उनके आने से प्रदेश की गरीबी मिटेगी, प्रदेश का भला होगा, लेकिन आज प्रदेश की जनता ने देखा कि हुआ उलटा। उस समय यह कहा गया था कि बहुगुणा जी आयेंगे, प्रदेश में बहार आयेगी, बहुगुणा जी आये और विपत्ति आयी।

सबसे पहले मैं यह बात कहना चहता हूं कि जब चुनाव हुये, चाहे 1971 के हों, चाहे 1974 के हों, चुनाव में यह नारा दिया गया कि यदि केन्द्र और प्रान्त में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो प्रदेश का भला होगा, विपत्ति के समय केन्द्र मदद करता है, अगर ऐसा नहीं होगा तो केन्द्र प्रदेश की मदद नहीं करेगा, प्रदेश का नुकसान होगा। हमने इसको भी आजमा लिया, अच्छी तरह से देख लिया कि आज प्रान्त और केन्द्र में एक ही पार्टी की सरकर होने पर भी प्रदेश का अहित ही हुआ। आवश्यकता पड़ने पर हमने देखा कि केन्द्र ने हमारी सहायता नहीं की। इसके प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगा। इसके प्रमाण में मैं पहली बात तो आपके सामने यह कहूंगा कि विकास कार्यों में बाढ़ और सूखे के संकट के समय में, जबकि उसे देख कर किसी के भी आंसू गिरने लगते थे, केन्द्र का हृदय नहीं पसीजा। अखबारों में हमने अनेक बार पढ़ा, मगर केन्द्र नहीं पसीजा। उसका कारण था कि केन्द्र और प्रदेश में पटरी मेल नहीं खा रही थी दोनों का दिल एक नहीं था बड़े-बड़े संघर्ष आपस में थे। उसके कारण जनता पिस रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर केन्द्र ने प्रदेश की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? दूसरा प्रमाण और देना चाहता हूं।

मैं कई बार यहां उस चीज को कह चुका हूं। आज फिर कहना चाहता हूं। हरदुआगंज थर्मल प्लान्ट के बारे में केन्द्र के मंत्री ने कहा है कि पावर हाऊस को प्राइवेट पार्टियों को बेचने आदि के संबंध में कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्र से परामर्श आवश्यक था। कांग्रेस की सरकार तो यहां भी थी, इतना झकझोरने की क्या जरूरत थी। इसने इस भावना को बुरी तरह चूर-चूर कर दिया कि प्रान्त और केन्द्र की सरकार एक ही पार्टी की होने से सहायता मिलती है। इस भावना का भंडाफोड़ हो गया। आपके आने से पहले जितनी भी कांग्रेस की सरकारें रहीं नालायक रहीं। यह मैं नहीं कहता आपकी दृष्टि में भले ही ऐसा हो मगर आपने जो वायदे किये उनको पूरा नहीं किया। संविद की सरकार को तो 10 महीने का समय मिला, एक बार 4 माह का समय मिला, उसकी करनी तो सामने आ ही नहीं पायी, मगर आपको

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

तो इतना समय मिला, आपने अनेकों वायदे किये, कोई वायदा पूरा नहीं किया। आपने प्रदेश का ब ा अहित किया। यदि आपमें थो ा भी आत्म सम्मान होता तो आप स्वयं सरकार को छोड़ देते ।

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जब बजट बनाया तो उस वक्त यहां 18 करोड़ का घाटा दिखाया। और जैसा कि चौधरी साहब ने उस पर उस दिन प्रिविलेज का प्रश्न उठाया था तो कह दिया कि हां पहले से मुझे मालूम था कि 18 करोड़ का घाटा है और वह घाटा आगे बढ़ कर उससे बहुत अधिक यानी 211 करोड़ हो गया। आज तक ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि मुख्य मंत्री ने, वित्त मंत्री ने और वित्त सचिव तीनों ही स्वीकार करें कि ऐसी स्थिति है और हमने झूठा बना दिया। वे लोग जो प्रदेश के 9 करोड़ जनता की जान हैं, उसके जीवन हैं, इस तरह के असत्य भाषण करें या इस तरह से गोलमाल करके बजट तैयार करें तो इससे प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता है। इच्छा आपकी जो भी रही है, नीयत आपकी कितनी भी अच्छो रही हो कि घाटा बतला देंगे तो केन्द्र से अधिक पैसा मिल जायगा—यह मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह बात इतने ब ड़े प्रान्त जो भारतवर्ष का हृदय है और सारे भारत की जनता के 18 या 19 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, उसका मुख्य मंत्री इस तरह की बात कहे कि यह कर्त्तव्य तो था विरोधी दल के नेता का कि वे हमको बतलाते, मैं समझता हूं कि यह कोई शोभा की बात नहीं है। अगर इनमें आत्म सम्मान और मर्यादा का खयाल होता तो वे अपने इस पद को छो ड़ देते। यह एक मिसाल है कि 32 प्रतिशत मत पायी हुई सरकार 68 प्रतिशत मत पाने वालों के ऊपर भी शासन करती है।

ऐसी मिसाल यह है कि इसके अस्तित्व का कोई औचित्य ही नहीं है मान्यवर। दूसरी बात मुझे मिनिस्टरी के सम्बन्ध में कहनी है। इसकी छाया कहां पर आती है। मान्यवर, मैं कहूंगा कि जितने मिनिस्टर हैं, एक-एक मिनिस्टर के पास इतने विभाग हैं कि उनको वे ठीक से देख नहीं पाते। मैं व्यक्तिगत किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लेता और न किसी के ऊपर कोई आक्षेप करना चाहता हूं। क्योंकि मैं डिबेट के स्तर को ऊंचा रखना चहता हूं। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि मिनिस्टरों की संख्या इतने बड़े प्रदेश के लिये बहुत कम है। आप कह सकते हैं कि आप इकानामी चाहते हैं और उसकी वजह से उसे नहीं बढ़ाते। लेकिन यह बात नहीं है। "खत का मजमूं भांप लेते हैं, लिफाफा देख कर"। आपस में पटरी नहीं है, ऊपर से आदेश नहीं है। मानते हैं कि योग्य मंत्री सब नहीं हैं, अयोग्य मंत्री भी हैं, कैपेबिल मंत्री नहीं हैं और मंत्रियों के कारनामे सभी लोग जानते हैं। मैं जानता हूं कि मन्त्रिमन्डल बढ़ाना है उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है और वह ब ाया जायेगा लेकिन कहा यह जाता है कि रुपये की दृष्टि से नहीं बढ़ा रहे हैं, इकोनामी के ख्याल से नहीं बढ़ा रहे हैं लेकिन एक बार मुझसे किसी ने कहा कि जरा पूछ लीजिये कि कितनी मर्तबा हेलिकाप्टर से दिल्ली गये और उस पर कितना खर्च हुआ।

आखिर रोज-रोज दिल्ली दौड़ कर क्यों जाते हैं। अखबारों में भी इस सम्बन्ध में कई बार निकला है। जैसे शुगर इन्डस्ट्रीज को नेशनलाइज करने के नाम पर शुगर, इन्डस्ट्रीट पर अपना शिकंजा डाला और उनको बार-बार गारा—मैंने तो कहा था कि सोशलाइजेशन के लिये हम कहते हैं, आप वैसा कर दीजिये लेकिन नहीं ये तो केवल इसका नारा देते हैं और इस तरह से जैसा कि मैंने उस दिन अर्ज किया—ये मन्त्रि परिषद् की गरिमा को नष्ट

करते हैं। यह नारा कि मिनिस्टरी आज बदलेगी, कल बदलेगी, एक डेमोक्रेटिक स्वोर्ड उनके ऊपर लटकी रहती है जिससे एफिशिएंसी भी इनएफिशिएंसी में बदल जाती है। उनकी समझ में नहीं आता कि काम करें कि न करें, रहें या न रहें। जैसे रिटायरिंग आफिसर 10–5 रोज के लिये होते हैं जो अपनी अन्धाधुन्धी करते हैं, उसी तरह से ये भी यहां कुछ अन्धाधुन्धी कर रहे हैं। इस तरह से इस प्रदेश का प्रशासन चौपट हो गया है। चौधरी साहब ने जैसा कि कल भी कहा था कि अगर किसी के ऊपर सन्देह हो जाय तो वह बेईमान है, तो जरा भी आशंका होने पर भी उसकी जांच होनी चाहिये। लेकिन चाहे केन्द्र की सरकार हो या यहां की सरकार हो इस तरह की जांच नहीं हो सकती। यह खबर पढ़ कर तो मुझे और भी डर हो गया कि अगर हमने जांच की मांग की तो जैसे सी0 बी0 आई0 का आदमी मार डाला गया, जैसे नागरवाला कांड के सब लोग मार डाले गये, वैसे ही उथल-पुथल की परिस्थिति में हम लोगों की भी क्या स्थिति होगी, कुछ नहीं कह सकते। आजकल मिनिस्टरों की कल्पना क्या है, कुछ जुमले मैं पढ़ देता हूं जो अंग्रेजी में है—उसकी हिन्दी मैं बाद में कर दूंगा —

The Ministerial image has reached an all time low in the present-day India. Ministers are known to practice nepotism, favouritism, casteism, communalism and hoarding of money through dubious means.

मान्यवर, मैं यह "पायोनियर" अखबार से पढ़ रहा था। आप कहेंगे तो मैं इसको दे दूंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माधव बाबू तारीख बता दें?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी–

यह 6 अक्तूबर का है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

सन् भी बता दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

6 अक्तूबर, सन् 1974 का है।

मान्यवर, मैंने इतना ही पढ़ा है। यह दुखी होंगे इसलिये आगे नहीं पढ़ रहा हूं। बस मैंने इशारा कर दिया है।

मान्यवर, इनकी कार्य प्रणाली को तो देखिये जिससे नाराज हो गये, जो इनसे नाराज हो गया उसको यह कमेटीज और कारपोरेशन में रख देंगे। इन्होंने क्या नया तरीका निकाला है। मान्यवर कारपोरेशन्श बनेंगे, कमेटीज बनेंगी। यह चेयरमैन बना सकते हैं पर आज मान्यवर यह एडमिनिस्ट्रेशन को कहां भेज रहे हैं। कहीं पर भी इनका नियन्त्रण नहीं है। कारपोरेशन और कमेटीज बनाने से मान्यवर और तो कुछ नहीं होगा पर इनकी जो आलोचना की जाती थी उससे तो बचत होगी। फाइनेन्स नहीं देखा जायगा। मान्यवर, यह कारपोरेशन और कमेटीज इनके बचाव का डंडा है। इनका निर्माण करके यह निश्चित हो जाते हैं। मान्यवर, ब्रिज कारपोरेशन कहीं पर बनायेंगे और कहीं पर खाना सप्लाई करने वाला कारपोरेशन बनायेंगे। मान्यवर, यह कारपोरेशन यह बनाते जायं मैं कुछ नहीं कह सकता पर जिनका लहू पीकर यह बनाये जा रहे हैं उनके लिये कुछ करने का तरीका यह सरकार अपनाती नहीं है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

मान्यवर, एक बार मैंने चीफ सेक्रेटरी से लिख कर पुंछा कि पिछले 10 सालों में कितने कारपोरेशन बनाये गये आप बता दीजिये, पर मान्यवर, किसी बात का उत्तर नहीं दिया गया। बल्कि उत्तर दिया गया कि यह तो बड़ा ही विस्तृत प्रश्न है इसका जवाब नहीं दे सकते हैं यह जवाब आया है। मान्यवर, हो सकता है कि उन्होंने मुख्य मन्त्री जी से कन्सल्ट किया हो। इसलिये हमें जवाब नहीं दिया हो। मुमकिन है कि अगर इसकी सूचना मुझको दे दी जाती तो मैं मुख्य मन्त्री जी को कुंछ इस विषय पर सलाह दे सकता। पर मान्यवर, मैंने जो जवाब मांगा वह नहीं दिया गया।

मान्यवर, कमीशन या कमेटी होगी, उसका काम केवल दो महीने का होगा पर 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। सरकार देती है। पूछती भी नहीं कि तुम्हाराकाम दो महीने का यह 2 साल कैसे लगे। करोड़ों रुपया नष्ट किया जाता है। उस गरीब का जो दिन रात मेहनत करता है। मान्यवर, यह जो टैक्स यह लगा देते हैं अगर इन सब बातों पर ध्यान देते तो इनको गरीब पर टैक्स न लगाना पड़ता। अगर कमीशन बन जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं आती है और अगर रिपोर्ट सदन में रख दी जाती है तो उसका कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। मान्यवर, यह सारा प्रदेश ही खिलवाड़ बन कर रह गया है। मान्यवर, मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि पिछले 10 सालों में जितने कमीशन आदि बनें हों उनकी रिपोर्ट दी जाय, हमने भी जो बनाये हों उनको भी दें। मैं इस जिम्मेदारी से अलग नहीं होना चाहता हूं।

मान्यवर, सालों हो गये हैं अभी तक सर्विस रूल्स नही बने हैं। जब कोई मांग करता है तो कहा जाता है कि सैकड़ो केसेज पड़े हैं। मान्यवर, ऐसी स्थिति है कि पेंशन रूल्स बहुत से नहीं बने हैं। मान्यवर, मैं तो परेशान हो जाता हूं। यह क्या सरकार है, यह कैसी सरकार है, यह क्या करती है। माननीय बहुगुणा जी कहते हैं कि पूर्व सरकार की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, पर आज क्या किया जा रहा है, क्या उससे इस सरकार की क्रेडिटिबिलिटी बढ़ रही है? मान्यवर, मैं तो यही सोचा करता हूं कि सरकार आखिर क्या चाहती है और क्या कर रही है। मान्यवर, मैंने वर्तमान गठित सरकार के बारे में यह चर्चा की है मान्यवर, अभी हाल में राम सहाय कमीशन मुकर्रर किया था। उसकी रिपोर्ट अभी आयी है और उसकी चर्चा मैं अभी नहीं आगे करूंगा। लेकिन जो बात जरूरी होगी उस पर कमीशन नहीं बिठायेंगे जैसे कि पी0 ए0 सी0 का रिवोल्ट जो हुआ था और यूनिवर्सिटी में आग कैसे लगी। तो इन पर कमीशन इन्क्वायरी के लिये नहीं बिठायेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात 85 फीसदी किसान के आधार पर यह सरकार गठित हुयी है और जैसा कि चौधरी साहब ने अनेकों बार कहा है कि किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिये। भारत की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान हैं। लेकिन किसान को विरोध पर खड़ा किया गया है। आप कहेंगे कि माधव बाबू व उनकी पार्टी रिएक्सनरी यहां बोला करते हैं। अब इनका रिएक्सनरी का भूत ऐसा हो गया है कि गांधी जी का प्रतिपादित सिद्धान्त इनके लिये पुराना हो गया है और आगे जो आयेगा वह अपनायेंगे। इसलिये किसानों की उपेक्षा की गयी है।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र बाढ़ और सूखा से पीड़ित है। बाढ़ और सूखा दोनों ही बस्ती जिले में है। मैं, और मेरे अनेकों भाई इससे दुखी हैं। आपने भी दुखी होकर कहा था

कि ये क्षेत्र सबसे ज्यदा पीड़ित और दुखी हैं? परन्तु केन्द्र से आपको सहायता मिलेगी नहीं, इसलिये आप उनके लिये कुछ करेंगे नहीं। फ़लस्वरूप वे खुद अपना क्षेत्र छोड़कर भाग आते हैं और उनको आप राहत नहीं देते हैं। मुझे मुंह देखना पड़ता है दूसरे विभागों का। इसलिये आप वहां राहत शुरू करें। परन्तु आप कहते हैं कि वहां पैदावार ज्यादा होती है इसलिये हर वर्ष बाढ़ आया करे जिससे मान्यवर ये कुछ वहां नहीं करना चाहते हैं। वहां बाढ़ आती है परन्तु बांध नहीं बनवाते हैं। सिंचाई विभाग का मुंह देखना पड़ता है। परन्तु कलेक्टर साहब मुझ से नाराज हैं इसलिये कोई प्रबन्ध इसका नहीं किया है। यह भी प्रबन्ध नहीं किया है कि भोजन कैसे मिले। मैं भागता फिरता हूं। रेवेन्यू सचिव 4 दिनों से नहीं मिले क्योंकि वे व्यस्त हैं। मुख्य मन्त्री जी भी व्यस्त हैं और यहीं देख पाता हूं परन्तु बाहर भेंट नहीं हो पाती है।

मान्यवर, किसानों की चाहत है खाद। तो खाद की स्थिति को देख लिया जाय। खाद की कीमत 50 रु0 से बढ़ाकर 60 रुपया किया और अब 110 रुपया हो गया है जो कि दूने से ज्यादा हो गया है। इस पर कहते हैं कि उनके प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति जो हैं वे शर्तें लगा देते हैं और ठीक से वितरण नहीं करते हैं। अब खाद की स्थिति क्या हो गयी है कि 27 करोड़ की खाद एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ में पड़ी है। सहकारी संघ ऐसा है कि वहां जो चीज जाय उसका पता ही न चले। पहले खाद के लिये लम्बी लाइन लगती थी और जो जाते थे उनको खाद मिलती ही नहीं थी और अब 70 लाख टन वहां पड़ी है जो कि 27 करोड़ रुपये की होती है। आपके अधिकारी मौज उड़ाते हैं और किसानों को खाद नहीं देते हैं। खाद वे देते किसी को हैं और लिखते किसी के नाम हैं इस प्रकार गड़बड़ी करके पैसा कमाते हैं। पानी समय पर देते नहीं हैं, बिजली आती और चली जाती है। उनको लिखकर दे दिया कि इतने दिन बिजली रहेगी। मैं तीन दिन से सिंचाई मन्त्री से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं 6 वर्ष से एक ट्यूववेल लगवा रहा हूं। इसके लिये सरकार ने 25,000 रुपये ठेकेदार को दे भी दिये लेकिन उसका पानी बाहर निकल कर फिर उसी में चला जाता है। ट्यूबवेल 25 प्रतिशत चलते हैं, बाकी कागज में चलते हैं। वह कागज पर ही रहते हैं, धरती पर आने की क्या जरूरत है। तो मैं कह रहा था कि बिजली का रेट 15 रुयये हार्स पावर कर दिया। कीमत बढ़ा दी और बिजली मिली नहीं। 15 रुपये देना पड़ेगा तो इस वर्ष बहुत से ट्यूबवेल बन्द हो जायेंगे। प्रदेश को कहा जाता है कि 1800 मैगावाट बिजली सिंचाई के लिये चाहिये लेकिन सिर्फ 852 मेगावाट ही है। फिर भी किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं।

सरकार के पास दो विभाग किसानों को अपने पंजे में कसने के लिये हैं। एक है कोआपरेटिव और दूसरा कम्युनिटी डेवलपमेंन्ट। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में आपको मालूम है 2,000 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई 3 करोड़ का मामला इन्वाल्व है। पूरा शायद 100 करोड़ का गोलमाल है। फिर भी कहते हैं कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी है? आपका कोआपरेटिव पर नियन्त्रण भ्रष्ट है। कर्ज ए को दिया जाता है और बी का नाम लिखा जाता है। आधा अधिकारी लेता है और आधा आप ले लेते हैं। कम्युनिटी डिपार्टमेंट की अभी रिपोर्ट आई है। आर्याजी को मालूम है, सांख्यिकों ने कहा है कि ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आपकी दो संस्थायें जो किसान के सबसे नजदीक रहती है उसको

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

चूस रही है। बिजली की कमी दूर नहीं की जावेगी, भ्रष्टाचार रोकेंगे नहीं, लेकिन पैसे बढ़ा देंगे। किसान जो वोट देने वाला था अब सरकार का महाजन भी बन गया है। पहले डेवलपमेंट लेवी लगाई, लैन्ड रेवेन्यू लगी और अब बिजली के दाम भी बढ़ा दिये। किसान के इस्तेमाल के ट्रक वगैरह को भी नहीं छोड़ा है। इससे हर चीज की कीमत बढ़ गई। अब वोट देने वाला महाजन, पैसे देने वाला महाजन भी हो गया।

आल इन्डिया कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर में पास किया, जमींदारी अबालिशन में भी निर्णय हुआ, लेकिन आज उसको उलट दिया है। कहते है कि अब पहले के हालात नहीं हैं, किसान की हालत बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन हालत यह है कि बहुत से किसानों के दरवाजों के पल्ले नही लगे हैं। आपका ग्रीन रेवोल्युशन बड़े आदमियों के लिये हुआ है। गरीबों की तकलीफ जानने को इनको फुरसत नहीं। न खाद, न पानी, न बिजली और कहते हैं मैंने विकास किया है। अरे मैं कहता हूं कि अगर आपको ईश्वर में विश्वास है, तो मैं कहता हूं कि लोग केवल पाप के भागी हैं और कुछ नहीं। किसान को अभी तक आप वोट का महाजन समझते थे, अब रुपये का भी महाजन समझ लिया है।

मान्यवर, आज लोग क्यों असन्तुष्ट हैं? नरोरा में इनका एक नाटक हुआ....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, माधव बाबू शायद नाटक-नाटक करते-करते नाटक में बहुत दिलचस्पी रखने लगे हैं और बहुत शौक है नाटक से उनको।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जब मैं नाटक के बारे में सोचता हूं तो बहुगुणा जी को अपना प्रतिनिधि समझकर खुश हो जाता हूं। तो मान्यवर, नरोरा में कहा कि 3 महीनों के अन्दर हरिजनों की सारी समस्याओं को हल कर दूंगा। मैं कहता हूं कि कहां तक ओट के पीछे तबाह रहोगे? कहीं इसकी डिमिनिसिंग यूटीलिटी न हो जाय। मैं पूंछना चाहता हूं कि 27 साल में क्यों नहीं हरिजनों की हालत सुधारी। लेकिन ये हरिजनों की हालत नहीं सुधारना चाहते। क्योंकि वे इनके कैशेबुल ओट हैं। इसीलिये उनको दुखी रखना चाहते हैं। मान्यवर, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मंगलदेव विशारद कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि गांव सभाओं की जमीन भूमिहीन हरिजनों को दी जाय और इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिये जिला लेविल और तहसील लेविल पर कमेटी बनें। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मान्यवर यह उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन सबसे पीछे है। ये कान्स्टीट्यूशन को भी डिफाई कर रहे हैं। मैं पूंछता हूं कि केन्द्र और प्रान्त में इनकी सरकार है लेकिन क्यों नहीं हरिजनों की हालत सुधरी? यही नहीं मंगलदेव विशारद कमेटी ने यह भी कहा कि ज्यादातर कांग्रेसी लोगों के पास ज्यादा जमीन है। हजारों और सैकड़ों एकड़ जमीन इन लोगों के पास है। हम हरियाणा की बात नहीं करते। यही नैनीताल में किच्छा में देख लिया जाय (तिवारी जी बैठे है) कि वहां कितनी जमीन कांग्रेसी लोगों के पास है। तो, मान्यवर, आर्थिक स्थिति ये संभाल नहीं पाये। हरिजनों की और किसानों की दशा सुधार नहीं पाये। जिस किसान को वोट का महाजन बनाया था, उसको अब पैसे का भी महाजन बना दिया।

अब जरा क्राइम की स्थिति देखिये। 1967 में गैर-दस्तन्दाजी अपराधों की संख्या 5,474 और दस्तन्दाजी अपराधों की संख्या 1,754 थी; और अब 1974

तक गैरदस्तन्दाजी 5,474 से बढ़कर 15,330 हो गये। शाबासी है बहुगुणा जी की। इसी तरह से दस्तन्दाजी 1,754 से बढ़कर 5,773 हो गये। यह स्थिति है मान्यवर आज क्राइम्स की। कोई सुधार नहीं। स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही जा रही है। इनको हरिजनों और गरीबों से प्रेम नहीं। दिल से उनसे प्रेम नहीं। केवल बहाना है।

अब दो शब्द अभाव और महंगाई के बारे में कहना चाहता हू। मान्यवर, ये ही लोग अभाव और बढ़ती हुई कीमतों के भी जिम्मेदार हैं। 6 महीनों में (जबसे इन लोगों के चरण-कमलों का पदार्पण हुआ) 40 प्रतिशत कीमतें बढ़ गयीं। हाजी मस्तान और बखिया, जो कांग्रेस की बखिया उधेड़ता है, का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। यहां भी बहुत से हाजी मस्तान और सुखदेव नरायण बखिया बैठे हुये हैं। तो कीमतें चरम सीमा पर जा रही हैं। लोग भूख से मर रहे हैं। मैं 2-3 मिसाल देना चाहता हूं। बस्ती में दिनांक 28 दिसम्बर, 1974 को एक अहीर परिवार का ठाकुर प्रसाद खाने के बिना तड़पकर मर गया। दूसरी बात है लखनऊ की राम सरन की। वह माइनर इर्रीगेशन में था। रात में बच्चा दूध मांग रहा था लेकिन घर में खाने पीने तक का प्रबन्ध नहीं था बच्चे को दूध कहां से देता। वह फांसी लगा कर लटक गया और इस प्रकार की आत्महत्या बिना अन्न के मरना ही है।

तीसरी मिसाल बेकारी की मैं दे दूं। एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था प्रतापगढ़ में। बेकारी के आलम में घूमता फिरता था और मीन्स का प्रबन्ध जब नहीं कर पाया तो फांसी लगा ली। स्थिति खराब होने के कारण उसने आत्म हत्या कर ली। यह यश आपने कमाया ? जान की रक्षा नहीं करेंगे, भोजन देंगे नहीं, दवा की जरूरत पड़े तो वह बाजार में मिलेगी नहीं, मकानों के मिलने की स्थिति क्या है यह किसी से छिपी हुई नहीं है। आपने कहा था कि गरीबों के लिये मिलें 10 परसेंट, 20 परसेंट मोटा कपड़ा बनायेंगी लेकिन उन सेठ साहूकारों से कह दिया कि फिक्र मत करो यह 10-20 फीसदी मोटे कपड़े को बनाने की। तुम जुर्माना दे देना, इसके लिये क्लाज रख दिया है। लिहाजा वह जुर्माना देना कबूल करते हैं, नतीजा है कि मोटा कपड़ा गरीबों को नहीं मिल पाता है। अगर मिलता है तो ऊंचे दामों पर मिलता है। 200 आदमी ठंड से मर गये। स्वराज्य के बाद यह कल्पना थी कपड़ा, भोजन और मकान गरीब को मिल सकेगा वह ध्वस्त हो गयी। चेम्बर आफ कामर्स के प्रेसीडेन्ट का बयान है सारे कागज ट्रान्जेक्शन पर होते हैं और सारी चीजें ब्लैक मार्केट में चली जाती हैं। लेना देना मुकम्मल हो जाता है। यह कृपा कर रहे हैं आप गरीबों पर ?

अब दवा का मुलाहिजा कीजिये। दो एक केस मित्रों के पकड़े गये तो दवा की हालत आज यह हो गयी है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स का मिलना दुश्वार हो गया है और कीमतें बेतहाशा बढ़ गयी हैं। मौत के साथ आप सौदा कर रहे हैं। सरकारी एक संस्था है आई0 डी0 पी0 एल0 उसने 100 फीसदी कीमतें बढ़ालीं और कई करोड़ का रा मेटीरियल दाबे पड़े हैं। नतीजा यह है कि सरकारी अस्पतालों में आज बीमारों के लिये दवा नहीं मिल पाती है और यह स्थिति आप पैदा कर रहे हैं कि ग्लूकोस सेलाइन मिलता ही नहीं, सल्फा ड्रग्स के दाम दूने हो गये। वेसलीन के दाम चौगुने हो गये और गरीबी हटाने का जो धोखा आपने दिया था 76 में फिर गरीबों पर आपकी यह कृपा हो गई और उनके प्रति आपके दिल में प्रेम उमड़ आयेगा जिसके कारण 32 फीसदी आज 68 फीसदी की छाती पर राज्य कर रहा है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ऐसा गोरख धन्धा है कि जीवन दूभर हो गया है। गरीबों को आज आप भोजन, वस्त्र तथा दवा दे नहीं सकते। मकान की बात तो बहुत दूर की हो जाती है।

कहा था सस्ता न्याय मिलेगा वह सस्ता न्याय भी आज नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि दो लाख क्रिमिनल केसेज इस वक्त पेंडिंग हैं कोर्ट्स में और 93 हजार केसेज हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। यह है आपके न्याय और प्रशासन की हालत। इतना रुपया आपके पास है क्यों नहीं आप प्रशासन की हालत को सुधारते हैं। 211 करोड़ रुपया आपको टैक्स की हालत में मिल रहा है तो कम से कम आप एडमिनिस्ट्रेशन को ती ठीक करते। मैं समझता हूं कि यदि आप इस संबंध में बैलेट पेपर से वोट लें तो ज्यादा लोग मेरी ओर हो जायेंगे। यह सरकार इतनी भ्रष्ट और अकुशल हो गयी है जिसकी कि कोई सीमा नहीं है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आये दिन हजारों यूनिट्स बिजली की चोरी होती हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों से अधिकारी लोग मिले हुये होते हैं और गरीब बेचारा मारा जाता है। उसके ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाते चले जाते हैं। एक आदमी को आपने जरूर पकड़ा जिस पर 48 हजार का बकाया था। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन बालिगा साहब ने बताया कि 3 महीने में 3 ट्रांसफारमर चोरी हो गये। यह केवल आपके भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ही मिसाल है। आप कहते हैं कि केन्द्र हमको सहायता नहीं कर रहा है। यह क्या बात है कि केन्द्र और प्रान्त आपस में लड़े और मरे गरीब। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सरकार लड़े और मारा जाय गरीब। तीन महीने में तीन-तीन ट्रांसफारमर की चोरी हुई और आपके बालिगा साहब कहते हैं कि "आइ एम नाट रिजाइनिंग ओवर दि एजिल्स।" आप कहते हैं कि सत्य मेव जयते लेकिन आज तो असत्य मेव जयते हो रही है। बड़ी-बड़ी कम्पनियों की ओर से आर्डर्स प्लेस किये जाते हैं, उनकी चोरी हो जाती है, फिर आर्डर प्लेस होते हैं और उन्हीं कम्पनियों के होते हैं क्यों कि आपके सब इन्जीनियर्स मिले हुये होते हैं। इसलिये फिर कहना चाहता हूं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है।

आज प्रदेश की क्या हालत हो गई है। बहुगुणा जी कहते हैं कि 36/37 करोड़ की हानि इसलिये होती है कि लाइन गलत रही हैं। यह सब कुछ नहीं। आपको हमने, 31 मार्च, 74 तक के बजट में इतना रुपया दिया हुआ है क्यों आप प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका प्रशासन गलत है। विकास खंडों में कोई काम नहीं होता। स्थानीय अधिकारी वहां पर आपके रहते हैं उनकी रिपोर्ट है। आपका वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप अपने कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को सम्भालिये। पौष्टिक आहार योजना के लिये 25 लाख रुपये मोडर्न बेकरीज और गर्भवती बहनों के लिये था। उसका क्या हुआ? बीच में मूसर आ जाता है फाइनेन्स डिपार्टमेंट। मुझे पाकिस्तान रेडियो का एक किस्सा याद आता है जो उसने केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि एक मां के पेट में दो बच्चे थे। जब 9–10 महीने हुये और उनके निकलने का समय आया तो एक कहने लगा भाई जान आप निकलिये, दूसरा उसके लिये कहने लगा भाईजान आप निकलिये। नतीजा यह हुआ कि कोई नहीं निकल सका और दोनों बूढ़े हो गये। यही हालत फाइनेन्स डिपार्टमेंट की है। मान्यवर, नौबत ही नहीं आती। भगवान जानें कब इन्हें सद्बुद्धि आयेगी।

इन्डस्ट्री के बारे में जो स्माल स्केल के डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, उनकी एक रिपोर्ट है। 2,918 लघु–उद्योगों में 50 फीसदी उद्योग केवल कागज पर हैं। इसको देखने की

आपकी हिम्मत नहीं होती है। क्यों कि उसमें आपकी दिलचस्पी है। आपके पास बड़े–बड़े उद्योगपति हैं। आपने किसानों से 98 फीसदी नहीं 100 फीसदी वसूल कर लिया है। इतना ही नहीं कानपुर में अगोड़ी में 110 फीसदी वसूल कर लिया है लेकिन इंडस्ट्रीलिस्ट से बड़ा वकाया है। ठीक हमदर्दी हो जाती है अपने मित्रों से मनुष्य स्वभाव है कि अपने शुभचिंतकों से हमदर्दी हो जाती है मगर आप ऐसा तो न करें उन गरीबों के खून पर यह करें गरीबों का नाम लेकर आप करोड़पतियों का साथ देते हैं फिर उन गरीबों का नाम लेते हैं यह उनके साथ अन्याय है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप उधर देख कर कह रहे हैं मेरी तरफ भी देख कर बोलें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपकी तरफ देखता हूं तो खुशी होती है। दूसरा अब मैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूं कि आज सारे एग्रील्कचर, पी0 डब्लू0 डी0 या दूसरे डिपार्टमेंट बदनाम हो रहे हैं। अभी एक सेंट्रल वर्कशाप दिल्ली को 76 हजार रुपया एडवांस कर दिये कोई औजार के लिये बोरिंग का औजार मंगाने के लिये किसने आर्डर दिये, कौन वहां गया लाने के लिये और क्या सामान लाया इसका पता नहीं है और अगर बताऊं तो तबियत हरी हो जायेगी। कमिश्नर ने किया, क्यों किया ? किस का कसूर है ? वह जाने।

कैस प्रोग्राम में रोड रोलर मंगाये गये उसमें हर जिले को एडवांस किया लेकिन जो फर्म थी सप्लाई करनेवाली वह बोगस निकली। तो इस पर मैं यही कहूंगा कि आपने गरीबों के करोड़ों रुपये की नदी बहाई है।

(इस समय 1 बजकर 13 मिट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

इसके बाद डेवलपमेंट की बात कहता हूं। इसमें मैं यही कहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी एक ही जगह सच बोले हैं उन्होंने दिल की बात कह दी. उन्होंने कहा कि स्टेट दिवालिया हो गया है। अगर तनख्वाह ही दें तो विकास के नाम पर एक इंट भी नहीं लग सकेगी। तो इसमें ही फैसला हो गया आप छोड़ दीजिये। कानून में कहते है 'एक्यूज्ड हैज कंफेस्ड हिज गिल्ट' मुलजिम नेअपराध स्वीकार कर लिया है तो उसमें सीधे सजा हो जाती है। हां दस वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दें तो वह अलग बात है। क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया है, आपने स्वीकार कर लिया है कि स्टेट दिवालिया हो गया और विकास के लिये एक पैसा नहीं दे सकते है। सारा डेवलपमेंट का काम इस समय रखा हुआ है। शारदा में इंजीनियर बैठे हुए हैं व कहते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं रह गया है। प्लानिंग आफिसर कहते हैं कि कोई काम नहीं है। लेकिन मंत्री जी चाहते हैं कि कुछ काम हो दुनियां को दिखाने के लिये। शारदा में 5 करोड़ रुपया मांगा गया था उसमें एक करोड़ दिया गया है, लेकिन कोई चीज मैटीरियल के नाम पर वहां पर दिखाई नहीं देती है। मान्यवर, आपको मालूम होगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के उसमें से 32 डिवीजन बंद हो गये हैं। तो वहां के जो इंजीनियर हैं वह अमीनों का काम कर रहे हैं पता नहीं कितनी तनख्वाह पाते हैं 5 सौ 6 सौ या हजार क्योंकि मुझे तो कभी तनख्वाह मिली नहीं एम0 एल0 ए0 के अलावा क्योंकि मैंने कभी सरविस की नहीं। वह लोग इधर उधर वैसे ही फिरते हैं। हमारे पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर ने बयान दिया है

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

पता नहीं वह यहां पर नहीं हैं कहा कि पलैट हो गया है। तो मान्यवर आप इस प्रकार से सरकार चला रहे हैं। तो पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर यह कहते हैं। डिपार्टमेन्ट के पास पैसा नहीं ह मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हम अपने इंजीनियर्स को दूसरे विभागों में डेपुटेशन में भेज रहे हैं जैसे ब्लड बैंक करता वैसे ही पी0 डब्लू0 डी0 और इर्रीगेशन के डिपार्टमेन्ट इंजीनियरों के ब्लड बैंक की तरह बैंक हो गया है। आपको भगवान कायम रखे हमारे इर्रीगेशन और पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर जो एक ही हैं वह इस तरह से बैंक बने रहें और उनसे दूसरे पैसा निकालते रहें।

मान्यवर, हम रे बलदेवसिंह जी आर्य वह कैश प्रोग्राम के बारेमें हमसे नार ज हैं। आज 4,480 कि0 मी0 सड़कें इस प्रोग्राम की अधूरी पड़ी हैं और जो सड़कें बनी हैं वह सिर्फ 4253 कि0 मी0 बनी है। तो इस तरह से प्रदेश का कैसे भला होने वाला है। लोग किस तरह से आप पर विश्वास रखेंगे। आप अलग हो जांय क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं रह गया है।

आपने स्कीम चलाई–हाफ ए मिलिएन जाब। उससे सबको आशाएं दिलायीं, बेकारों को उम्मीदें बंधाईं, लेकिन जब एलेक्शन निकल गया, तो सब काम जहां का तहां ठप हो गया। सबका पैसा रूक गया, कहां उनका एरियर और कहां उनका जाब। उनको कुछ नहीं मिला। डेवलपमेंट की दृष्टि से दो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं––शुगर और काटन। किन्तु दोनों अपने प्रदेश में सिसक रही हैं। शुगर इंडस्ट्री के प्रति तो किसान हतोत्साहित हो गया है, क्योंकि आप उनको गन्ने की उचित कीमतें नहीं दे रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा अब कौन सा कारण है कि आज कपड़े का प्रोडक्शन गिर गया। चैम्बर आफ कामर्स ने यह कहा है कि 80 परसेंट कपड़ा मिलें प्रदेश में बिजली की शार्टेज के कारण बहुत जल्दी बन्द होने जा रही हैं। इस प्रदेश के 6 इंडस्ट्रलिस्ट प्रदेश के बाहर चले गये हैं। यही है इस प्रदेश के विकाश का नमूना?

अब जरा ला ऐण्ड आर्डर पर आ जाइए। सारा डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ला एण्ड आर्डर नहीं हुआ तो क्या नतीजा होगा। सब व्यर्थ हो जाएगा। एक दिन हमारे लोकपाल सिंह जी किस्सा सुना रहे थे कि एक गीदड़ ने कहा हम सब टीडी को खा जाएंगे। जब खाने लगे तो वह सब खा गया वह परेशान हो गया और कहने लगा अब हम ही को खा जाओ। तो ला एण्ड आर्डर की यह स्थिति है। ट्रेन में डकैती, बहू–बेटियों के साथ बलात्कार, किडनेपिंग, राहजनी, लूटमार, चारों और एक अराजकता की स्थिति फैली हुई है। यह मालूम नहीं पड़ता है कि हम एकराज्य में रह रहे हैं जहां कोई सरकार भी है। उन्नाव में या कहीं 9–10 आदमी अभी मारे गये। आज जीवन बिलकुल सुरक्षित नहीं है। हमारे खाने-पीने का प्रबन्ध तो दूर रहा, जो मुख्य चीज है वह हमारे जीने काही कोई प्रबन्ध नहीं है। लेकिन आपका दृष्टिकोण हमेशा वाइस्ड रहता है। लखीमपुर में 16–8–72 को लाठी चार्ज हुआ और 17–8– को गोला में फायरिंग हुई। आपके आदमियों ने कह दिया कि उसमें जनसंघ का हाथ है। बिना सोचे-समझे आपने इतना बड़ा दोषारोपण कर दिया। उसमें कमीशन बैठा जांच के लिये। अब उसकी जांच रिपोर्ट यह है कि इंस्पेक्टर, एस0 डी0 एम0 और कलेक्टर उन कांड के लिये दोषी हैं। आपको इनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की। उस कमीशन ने स्पष्ट लिखा है कि इसमें किसी राजनैतिक पार्टी

का हाथ कह देना गलत है। आप स्वयं सोचें, कहां–किसको इस तरह से न्याय मिल सकता है। वहां पर इंचार्ज कोई राम नारायन, एस0 डी0 ओ0 थे और रिजवी एक अफसर थे, उनके खिलाफ कमीशन ने कार्यवाही रिकमेन्ड किया है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है।

आपके प्रशासन में हर 24 घंटे में 14 हत्यायें, 7 डकैती, 21 राहजनी, 125 सेंधमारी और 40 दंगे के अपराध होते हैं। इतनी शोचनीय स्थिति है, किन्तु आप उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनकी पुलिस का नमूना यह आंकड़े दे रहे हैं। गोरखपुर की हालत तो और भी खराब है, गोरखपुर के 4 व्यापारियों को चेतगंज थाना बनारस के एस0 ओ0 ने लूट लिया और उनका माल छीन लिया लहुराबीर चौराहे पर एस0 ओ0 ने उनसे पैसे मांगे, न देने पर उन्हें बुरी तरह से मारा। हवालात में बन्द कर दिया और उनका 35,000 रुपया छीन लिया। जब दौड़धूप हुई थी एस0 एस0 पी0 ने वह रुपया उसके पास से बरामद किया और उसे अरेस्ट किया। अब बेचारी जनता किसके पास जाए जब आपकी पुलिस ही रक्षक से भक्षक बनी हुई है और जनता का भक्षण कर रही है। इसी तरह से मेरठ में, मुजफ्फरनगर में जहां कल्यानसिंह और इब्राहीम कांस्टेबिल ने एक व्यापारी से 2,200 रुपये हड़प लिए। जब दुनियां जान गई तो आपने उनको पकड़ लिया तो यह कौन बड़ी बात हुई। ऐसे ही एक थाना हरदयालपुर हरदोई का है वहां के दो दरोगा और एक कांस्टेबिल को रेप और रिश्वत लेने में निलंबित किया। इसी तरह से सितम्बर के प्रथम सप्ताह में 8 पी0 ए0 सी0 के आदमियों ने एक सिपाही को मार डाला 2,600 रुपया लेकर।

यह भी आपको मालूम है कि यह सारी बातें माननीय बहुगुणा जी के रिजीम की हैं। इसी तरह से जिला बस्ती में एक दुखिहरिया नामक ग्राम है। वहां एक मुकदमा चला रहा था। वहां के लोग कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज थे। लेकिन इलेक्शन का समय आया तो गवर्नर महोदय ने एक दिन पहले वहां पत्र लिखा कि मुकदमा वापस ले लिया जाय। उसी दिन मुकदमा वापस हो गया और दूसरे दिन चुनाव था। मुकदमा वापस होने से वहां चुनाव का पांसा ही पलट गया। यह तो मैंने अपने प्रदेश की ला एन्ड आर्डर की पोजीशन कुछ उदाहरण देकर बताई है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई अपनी बहू-बेटियों को लेकर सफर करना नहीं चाहता है क्योंकि वह समझता है कि इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई है कि किसी बहू-बेटी को बाहर निकलने से किसी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। मुझे स्वयं शाहजहांपुर जाना है। अभी से मुझे चिन्ता लगी है कि मैं वापस लौटूं या न लौटूं। दिन को मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी रात को ही जाना पड़ेगा। वैसे ऐसी कोई आशंका मुझे नहीं है कि ऐसी बात हो सकती है। लेकिन आजकल सब के मन में ऐसी शंका हो गई है। शासक दल के लोगों को कोई नहीं छुयेगा। विरोधी लोगों को शैडो दिया नहीं जायेगा। अगर दिया भी जायेगा तो वापस ले लिया जायेगा। हमने चार आदमियों के लिये शैडों की सिफारिश की थी लेकिन एक को भी नहीं दिया गया। हम किस के पास जायं, जिला बस्ती का कलेक्टर कहता है कि माधव प्रसाद त्रिपाठी कलेक्टर हैं। बहुगुणा जी ने हमारी बड़ी मजबूरी कर दी है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये।

अब आपके सत्ता के दुरुपयोग का प्रश्न आता है। इसकी सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। यह ऐसा हो गया है जैसे गागर में सागर। कहीं हमारे चोट लगी है और हम कोट पहने हैं तो चोट दिखाई नहीं देगी। इन्होंने रैली की। वह बेशर्मी कमाल के दर्जे की है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

यह कहते हैं कि हमें चोट नहीं लगती है क्योंकि हम कोट पहने हैं। इन्होंने रैली के लिये तमाम प्रदेश के आर० टी० ओज से कह दिया कि सारी ट्रकों को भेजो और मालिकों से कह दिया कि तुम लोग रुपया दो। सेठ साहूकार बहुत होशियार होते हैं। वह बिना स्वार्थ के पैसा अपने बाप को भी नहीं देते हैं। इधर पैसा देते हैं तो उधर ले लेते हैं। इन्होंने सेठ साहूकारों से और आर० टी० ओज से सांठ-गांठ करके रैलीके लिये सारी ट्रकों का प्रबंध किया। यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है तो क्या है। एक-एक आदमी को 20/25 रुपये दिये गये। इस बात को ध्यान में रखना चाहिये हिन्दुस्तान की बिगेस्ट डैमोक्रेसी है। इसका इस तरह से गला घोटना है। आज श्री जय प्रकाश नारायण जी के आंदोलन इसी आधार पर प्रारम्भ हुआ है। आज हमारे यहां डैमोक्रेसी खत्म हो रही है, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, चोरी, डकैतियां और कत्ल बढ़ रही हैं। इन सारी चीजों की वजह से आंदोलन शुरू हुआ है। जब आपने रैली की तो एक बड़ा भारी कमाल किया। असल रैली तो सरकार के विरुद्ध अपोजीशन किया करता है। लेकिन जब गवर्नमेन्ट पार्टी के लोग रैली करते हैं तो इसके माने हैं कि सरकार से हम भी नाराज हैं और वह लोग भी नाराज हैं तो आपको बाहर चला जाना चाहिये। फिर आपको यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपने रैली क्यों की? वह रैली बेमिसाल है।

कल माननीय चौधरी साहब ने कहा था अपने देश के प्रेस के बारे में जैसे नैपोलियन कहा करता था कि 6 प्रेस 6 हजार बायनेट्स के बराबर हैं। इनको गलत काम करने में कमाल हासिल है। इसमें यह बड़े माहिर हैं। यह लोग ऐसी एजेन्सीज बनाते हैं जिनमें सोलह आने इनके ही लोग भरे हों। अगर कोई शिकायत करे तो चौगने नाराज हो जाइये। आपने प्रेस को कंट्रोल किया। लेकिन दूसरों को परेशान करते हैं, उनको जेलों में बन्द करते हैं।

मान्यवर, कौमी आवाज के बारे में कृषि विकास एवं ग्राम्य आयुक्त ने कहा कि कौमी आवाज को खरीद लीजिए। भाई कौमी आवाज को क्यों खरीद लेंगें? मान्यवर, लखीमपुर में एक और सेकेंड ग्रेड सिटिजेन का नमूना दे दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी सुनें कृपा करके। लखीमपुर के एक स्कूल के बारे में डी० आई० ओ० एस० रिजवी ने रिपोर्ट कर दिया कि यह स्कूल खराब है, इसके मैनेजमेंट के बारे में रिपोर्ट दिया कि इस स्कूल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। उसी स्कूल के बारे में डी० आई० ओ० एस के बाद डी० डी० आई० ने रिपोर्ट दिया कि इस स्कूल का मैनेजमेंट ठीक है। मान्यवर, डी० डी० आई० ने उस स्कूल की बड़ी प्रसंशा की। उसके बाद डी० डी० आर० ने अपनी जांच की रिपोर्ट दी। फिर हमारी सरकार क्या फरमाती है कि डी० डी० आर० ने नहीं ठीक किया, किसी ने नहीं ठीक जांच किया, डी० एम० रिपोर्ट दें। तो मान्यवर, यह कमाल है। मैं एक बात आपसे कहता हूं कि तो मान्यवर, यह व्यवहार ठीक नहीं है डिमोक्रेसी का। आप अपने वसूल से जाइये, अपनी नीति से जाइये, मगर हास्पिटल है या स्कूल है उसको ठीक करें। आप अपोजीशन का सहयोग का नाम नहीं लेते।

मान्यवर, एक बात कहकर समाप्त करता हूं कि मान्यवर, हमारे प्रदेश में जैसे कि आज पूरे देश में रूल आफ ला डिमोक्रेसी में नहीं है, चाहे वह खबर देने की बात हो, चाहे वह व्यवहार करनेकी बात हो, मैं नाम नहीं लेता हूं, अफसर का नाम नहीं लेता? मान्यवर, पहले था जैसे प्रजा वैसे राजा और अब है जैसे राजा वैसे प्रजा। मान्यवर, इसके बारे में एक बात कह दूं माननीय मुख्य मंत्री जी आज इस देश का यह हाल है कि जब ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार है तो नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार होगा ही। मुझे जबाब देने का मौका मिलेगा, तो उस

समय जबाब दूंगा । आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विकास कार्य में आप सब कुछ दीजिये, लाखों रुपया खर्च करिये, अरबों रूपया खर्च करिये लेकिन अगर नापाक हाथ में जाता है, उनका सदुपयोग नहीं होता तो फिर कैसे कल्याण होगा इस देश का ? लेकिन भ्रष्टाचार दूर कैसे किया जाय ? मान्यवर, मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार सदैव रहा है, सदैव रहेगा। लेकिन ऐसा भी रहा है कि कोई जमाना था कि इतने में से बेईमान अफसर कौन है ? भाई अब यह कहना होता है कि ईमानदार कौन है। यह हमारी सरकार की देन है । एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि कभी भी इतिहास के पर्दे में यह बात नहीं रही है कि सबसे ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार रहा हो। आज ऊपर के लोग जब ईमानदारी न करें तो नीचे वालों का कोई दोष नहीं है। मैंने सोच लिया कि जब तक प्रसंग में नहीं आयेगा, अफसर के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा।

मान्यवर, आज इन्होंने 2 काम बहुत गड़बड़ किए हैं। एक तो कान्सी-ट्यूशन को माडीफाई किया है और दूसरा जो शेड्यूल्ड कास्ट को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उसको नहीं दिला पाये हैं। शिक्षा को फ्री करना था, लेकिन वह भी नहीं कर पाये। आखिर ये कर क्या पाये हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं। कान्स्टीट्यूशन को जितना इन्होंने बेइज्जत किया है उतना किसी ने नहीं किया है। कहते हैं कि जिसके पास टिकट होता है वह नहीं बोलता है और जिसके पास टिकट होता है वह चढ़ बैठता है। अगर हम केन्द्रीय सरकार की तरफ देखना चाहते हैं तो बहन जी को देखना पड़ता है। हमारे निक्सन नीचे गिर गये केवल एक वाटर कान्ड में। गिर गये केवल एक वाटर कान्ड में। लेकिन यहां देखिये 3-3 वाटर कान्ड हो गये। मारूति कान्ड, नागरवाला कान्ड और न मालूम कितने कान्ड हुए। आप लाइसेंस स्कैंडल को ले लीजिये। इसमें जो कारनामें हुए हैं उसने जनता का कीमा बना दिया है। तो मान्यवर, आज हम इनसे निराश हो गये हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इन्होंने सी0 बी0 आई0 का सत्यानाश कर दिया। मान्यवर, आप बाजरा कान्ड को ले लीजिये, धान कान्ड को ले लीजिए। यह सब क्या है ? मैं कहता हूं कि इनमें इस सरकार का हाथ रहा है। आज इस स्तर पर पहुंच गये हैं कि चाहे बाजरा कान्ड हो, मिनिस्टर इनवाल्व है, पैडी कान्ड है, मिनिस्टर इनवाल्व है, लाइसेंस कान्ड है, उसमें भी मिनिस्टर इनवाल्व है और यही नहीं कानपुर में जो रजत कुमार मारे गये उसमें भी बड़े-बड़े लोग और मिनिस्टर इनवाल्व हैं ? यह सब क्या है ? सरकार क्या करने वाली है ? मुझे ऐसा लगता है कि कान्स्टीट्यूशन मेथड्स आर आफ नो यूज। कोई ऐसा तरीका निकाला गया कि इसमें सुधार हो, मैं यह पूंछना चाहता हूं इस सरकार से ? बड़े-बड़े लोग यह जब यह करने पर उतर आये हैं तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है। आज आप ऊपर से नीचे तक देख लें, क्या हो रहा है। बड़े लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो नीचे की क्या कहूं ? हम देखते हैं पी0 डब्ल्यू0 डी0, सिचाई विभाग, बिजली विभाग और न मालूम कितने विभागों में पैसा लेकर स्थानान्तरण किये जाते हैं, लेकिन इस सरकार के कभी जूं नहीं रेंगती।

श्री अधिष्ठाता —

कितना समय आप अभी और लेंगे। अनुमान से बता दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

15 मिनट में समाप्त कर लूंगा। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि भ्रष्टाचार कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे तब तक भ्रष्टाचार

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

नहीं समाप्त होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इनको सुधारने वाला कोई नहीं है। भगवान भी नहीं सुधार सकते हैं। ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हैं। जब तक भ्रष्टाचार को आप नहीं समाप्त करते तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। यह जो सारा प्रशासन आज का है वह अस्तव्यस्त है, एनएफीशियेन्सी है, करप्शन है, वह तब तक दूर हो नहीं सकता, जब तक यह मिनिस्ट्री रहेगी, जब तक यह लोग प्रशासन में रहेंगे, जब तक इस टाइप के लोग, इतने भ्रष्ट लोग रहेंगे। जनता में सरकार के प्रति विश्वास नहीं रह गया है, यह आज बिलकुल स्पष्ट है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूं और आगे अवसर आयेगा जब इनको सुनकर मैं उनका जवाब दूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

श्री काशीनाथ मिश्र।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री अधिष्ठाता---

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री प्रेम दत्त---

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी जब माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी बोल रहे थे तो यह कह रहे थे कि 32 परसेंट के बल पर यह सरकार बनी है। आज हर कास्टीटुयेंसी में 1 लाख 10 हजार के करीब वोटर्स होते हैं तो मैं जानना चाहता हूं त्रिपाठी जी से कि क्या उनको 56 हजार वोट मिले हैं।

श्री अधिष्ठाता----

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठिये। अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री प्रेमदत्त---

त्रिपाठी जी से इतना पूछना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय काशीनाथ मिश्र।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) ---

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन के अन्दर विरोधी दल के पक्ष में सबसे जबरदस्त हथियार अविश्वास के प्रस्ताव का है। और बहुत सी चीजों को कहने के लिये विरोधी दलों को जब मौका नहीं मिलता तो यही एक हथियार ऐसा है जिसके जरिये से वह सरकार और उसके प्रशासन के विभिन्न अंगों की आलोचना कर सकता है। लेकिन इस सदन के अध्यक्ष माननीय वासुदेव सिंह जी जैसे उदार और जनतन्त्र में विश्वास रखने वाले हैं उन्होंने समय-समय पर हमेशा ही नेता विरोधी दल और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को तमाम बातें नियमों के विरुद्ध कहने का मौका देते रहते हैं तो ऐसे सदन में अविश्वास का प्रस्ताव आये उसका कोई औचित्य होता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी पिछले बजट के बहस में जितनी बातें माननीय माधव प्रसाद और माननीय चरण सिंह ने कहीं थीं आज उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है? आपको कहना चाहिये था कि कांग्रेस पार्टी ने क्या घोषणा-पत्र में लिखा था और क्या-क्या वादे करके यहां आयी थीं और एक साल के अन्दर उनमें से उसने कौन से काम किये और कौन-कौन काम नहीं किये। सोने की तौल माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के दल के सिद्धान्तों की तौल पर नहीं होगी? सोने की जांच करनी है तो उसके लिये कसौटी चाहिये, तांबे और चांदी के मापतौल या घंटखरे से तो आप सोने को नहीं तौल सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार की आलोचना अगर करनी है तो उसके घोषणा-पत्र के आधार पर होगी या हो सकती है। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जितनी बातें अभी कह रहे थे उनके लिये मैंने कल भी कहा था कि वे सिद्धान्त के अन्दर नहीं हैं। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी वेस्टेड इंटरेसट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और माननीय चरण सिंह कुल को रिप्रेजेंट करते हैं, वे सरमायेदारों को, थैलीशाहों को रिप्रेजेंट करते हैं और यह सरकार और मुख्य मन्त्री जी जितने कायदे कानून बने हैं, उनके मुताबिक काम करते हैं तो आप बखूबी उनकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन जो डिस्क्रीशनरी पावर्स हैं जैसे किस जगह पर कितने मेम्बर्स होंगे, पब्लिक सरविस कमीशन में या किस कमेटी में कौन मेम्बर होगा इस प्रकार के सवाल तो उठाना तो ब्रिटिश बुर्जुआ सा सवाल है और उच्च माध्यम वर्ग का सवाल उठाना है जिनको माधव प्रसाद त्रिपाठी रिप्रेजेन्ट करते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं इसको चैलेंज करता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

तो मैं कह रहा था अधिष्ठाता जी कि उन्हीं बातों की चर्चा होती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय काशीनाथ जी, मेरा आपसे आग्रह है और स्वस्थ्य परम्परा भी यही है कि माननीय जनसंघ विधायक दल के नेता कह कर सम्बोधित करें। माननीय त्रिपाठी जी का नाम बार-बार लेते रहना आप जैसे संसदीय पंडित के लिये शोभनीय नहीं है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। उनका क्या कहना है, हर आदमी अपने-अपने स्वभाव के मुताबिक काम करता है। आप माननीय नेता जनसंघ कहिए या माननीय सदस्य बस्ती कहिए?

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, आपकी बात मुझे मान्य है। नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से व्यक्तिगत लांछन तो नहीं हो गया है।

इस ढंग से इस आदरणीय सदन के नेता जनसंघ का ध्यान जरूर आकृष्ट करूंगा कि हमारी सरकार कृषकों, मजदूरों और सर्वहारा की सरकार है और यहां पर उनके इन्टेरेस्ट को रिप्रेजेन्ट करती है। आप डंके की चोट पर अपने घोषणा-पत्र को पढ़ें। जनसंघ और भारतीय क्रान्ति दल के घोषणा-पत्र को पढ़ें। किस दल के चुनाव में इस बात का वायदा किया था कि वे भूमिहीनों को बसने के लिये जमीन देंगे। हमारे घोषणा-पत्र में 150 वर्ग ीटर जमीन भूमिहीनों को देंगे और हमारी सरकार उसका इन्तजाम कर रही है और माननीय बहुगुणा जी की सरकार इस बात के लिये बधाई की पात्र है कि उसने इस बात का

[श्री काशीनाथ मिश्र]

व्यवस्था सारे प्रदेश में की है कि जितने भूमिहीन और गरीब लोग हैं, जहां-जहां पर बसे हुए है, उन-उन स्थानों पर उनकी मिल्कियत होगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। यह उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। जनसंघ के नेता माननीय माधव बाबू भी यहां पर रहे हैं और माननीय चरण सिंह जी भी यहां पर सरकार में बैठ चुके हैं लेकिन कोई हुकम इस प्रकार का उत्तर प्रदेश के पीड़ित, शोषित, गरीबों, मजदूरों और गरीब किसानों को मिल्कियत में हिस्सा दिला पाने का वे नहीं दे सके। माननीय बहुगुणा की सरकार को ही यह सौभाग्य मिला है कि इन लोगों को, जहां पर ये बसे हैं उस जमीन का मालिक बना दिया है।

आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले इसी हाउस में 60-70 साल से कांग्रेस की आजादी की तहरीक में काम करने वाले शोषित लोगों को उनके कर्जे से मुक्ति दिलाई है। जो यहां पर साम्यवादी लोगों के नुमाइन्दे बैठे हुए हैं, ये देहातों में गरीबों को 100 रुपये या 50 रुपया देकर उनको गुलाम बनाये रखते थे, उनका कर्ज ही कभी अदा नहीं हो पाता था। बहुगुणा जी की सरकार ने एक एकड़ से कम वाले किसानों को सेठों के कर्ज से मुक्ति दिलाई, ये हमारे एचीवमेंट हैं। आप कहते हैं कि नो-कॉन्फीडेन्स का मोशन सरकार को आउट करने का प्रस्ताव है।

मैं तो कह रहा था कि इस तरीके से आप आल्टरनेटिव बनने की बात कहते हैं। कौन पार्टी आल्टरनेटिव बन सकती है, उत्तर प्रदेश में, कौन दल इस सरकार को हटा सकता है? इस सरकार की जगह कौन ले सकता है, क्या कुलक्स के नुमाइन्दे ले सकते हैं? बड़े-बड़े सामन्तवादियों का हित करने वाले क्या इस सदन के नेता, मुख्य मन्त्री के पद पर बैठ सकते हैं? कतई नहीं। आप तमाम लोगों से मिल कर जो वूं-चूं का मुरब्बा खड़ा करना चाहते हैं इससे आन्दोलन की स्थिति पैदा नहीं होगी। कौन क्या आन्दोलन करेगा? क्या आप चाहते हैं कि गरीबों की आवाज बन्द कर दी जाय, और फिर यहां पर बड़े बड़े जमींदार आयें? इस देश के इतिहास को आप देखें कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले कैसे-कैसे व्यक्ति रह हैं और उनकी मुखालिफत किन लोगों ने की? आज आप कहते हैं कि तमाम जनता आपके साथ है, जय प्रकाश जी का नाम लेने लगे। जय प्रकाश जी ने खुद कहा कि हमारे आन्दोलन में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि मैं एलान कर दूं कि अडवानी साहब या मधोक साहब या चरण सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस तरह के लोग आन्दोलन नहीं कर सकते। बलिया जिले में—मैं बलिया जिले का रहने वाला हूं—जय प्रकाश जी के आन्दोलन में वह लोग हैं जो रात को ट्रेनों में डकैती डालते हैं, जिन्होंने भू-दान समिति का पैसा चुरा लिया, जो गांधी स्मारक का सारा फन्ड खा गये। लेनिन ने लिखा है कि एजेन्ट्स प्रोवोकेट्योर्स कैन नेवर ब्रिंग ए रेवोल्युशन। हिन्दुस्तान का इतिहास साक्षी है कि इस देश की जनता शान्तिप्रिय है, जोर, जुल्म और अन्याय के खिलाफ शान्तिमय तरीके से लड़ना चाहती है। इसीलिये तो गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता दिखलाया। औरंगजेब बड़ा अत्याचारी था लेकिन उसके खिलाफ भी रिवोल्ट नहीं हो पाया। यह तो धर्मभीरू देश है। तो आप इस मुगालते में न रहिये कि इस देश की जनता आपके साथ मिल कर कोई बगावत का परचम बुलन्द करेगी और न किसी तरह से आप शासत में आने वाले हैं। मैं सरकार की तरीफ इसलिये नहीं करता कि मैं सरकारी पक्ष में बैठा हूं बल्कि इसलिये

सरकार का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा काम सरकार ने नहीं किया है जिसके लिये जन साधारण की ओर से सरकार की भर्त्सना हो।

एक बात मैं यह भी बता दूं, शायद विरोधी दल के लोग कहेंगे कि एक ही काम ऐसा हुआ है सवा 6 एकड़ पर लगान वाला जो मेरी समझ से कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन यह गड़बड़ी माननीय चरण सिंह की वजह से हुई। कभी-कभी नेता सदन को मजबूरियों को झेलना पड़ता है। कल जो बिल टैक्स लगाने का आया था यह नेता सदन की मजबूरियों की बात थी और उसके लिये भर्त्सना होनी चाहिये माननीय नेता विरोधी दल की। उनकी वजह से कभी-कभी सरकार को गलत कदम उठाने पड़ते हैं। नेता विरोधी दल के साथ जो लोग बैठते हैं वह जरा ठंडे दिल से सोचें कि जो सरकार गरीबों और मजदूरों के लिये काम कर रही है उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला कर आप उसका विरोध करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। बहुत से माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुये हैं दिल और दिमाग से हमारे साथ हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और प्रदेश की जनता से अनुरोध करता हूं कि प्रजातन्त्र को बचाने के लिये वह संगठित हो।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों का विचार इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने का शुरू में तो था 15-16 दिसम्बर के आस-पास लेकिन 30 दिसम्बर को मेरी और त्रिपाठी जी की बातचीत हुई और हम लोगों ने यह तय किया कि कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 31 दिसम्बर, 1974 की सुबह मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी की एक चुनौती को पढ़ा अखबारों में, उन्होंने यह चैलेन्ज किया था कि यदि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सही होंगे तो वे पब्लिक लाईफ से रिटायर हो जायेंगे। मेरे पास अखबार की कटिंग है, मगर समय की कमी के कारण मैं उसे पढ़ूंगा नहीं। जिस वक्त उनका यह चैलेन्ज पढ़ा, वहां जब प्रश्न उठा था तो मैं मौजूद नहीं था. मेरे बी0 एल0 डी0 के एक साथी का एक प्रश्न था और उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यहां चैलेन्ज किया था। जिस प्रकार वह चेलेन्ज अखबारों में छपा उससे यह असर पड़ा कि यहां का एडमिनिस्ट्रेशन स्वच्छ है। जब मुख्य मन्त्री स्वच्छ हैं तो प्रशासन भी स्वच्छ होगा। मगर मैं इससे सहमत नहीं हुआ, न यहां की जनता इससे सहमत है कि प्रशासन स्वच्छ है। इसलिये हमने फिर तय किया कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय ताकि हमको कहने का अवसर मिल सके। मैं इतना जानता हूं कि अविश्वास के प्रस्ताव में सफल होने की सम्भावना बहुत अधिक नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी कहा, उस उद्देश्य से हमें यह लाना पड़ा। (व्यवधान) मैंने यह तय किया है कि जीवन के अन्त तक जन हित और सच्ची बात को बराबर कहता रहूंगा और यह बात सही है कि लस्ट आफ पावर जो प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री में है उसके कारण देश और प्रदेश बरबाद हुआ है .....

एक सदस्य—

वह आपमें ही है।

चौधरी चरण सिंह—

वह आप में है या नहीं यह जनता जानती है .... (व्यवधान)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

मैं शासक दल के लोगों से निवेदन करूंगा कि वे माननीय नेता विरोधी दल को शांति के साथ सुन लें, बीच-बीच में टोकना अच्छी बात नहीं है। यह नहीं होना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी खुशी होगी यदि मेरी दलीलों का जवाब एक-एक करके, माननीय मन्त्री या जो कोई भी माननीय सदस्य बोलें, वे तर्क और दलील से दें, मेरी बात अगर गलत होगी तो मैं वापस ले लूंगा और माफी मांग लूंगा। मगर मैं चाहूंगा कि मेरी बातों का जवाब तर्क और दलील से दिया जाय। (व्यवधान)। मैं जानता हूं कि आप विरोध-पक्ष की बात सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। लेकिन विरोध-पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा-पूरा हक है, उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उस चुनौती के सिलसिले में हमारे दल के एक दो सज्जन कुछ बातें माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहेंगे। मैं इस वक्त उनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रुइन, इकोनामिक रुइन यानी देश और प्रदेश की आर्थिक बरबादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि यहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से क्यों चल रहा है। उसके सिलसिले में और जो दृष्टिकोण हमारे कांग्रेसी दोस्तों का है, जिसके कारण ये सब खराबियां हैं, इकोनामिक रुइन, ऐडमिस्ट्रेटिव रुइन और मोरल रुइन, उन सबके सिलसिले में तीन चार हिस्सों में बांट कर अपनी बात कहना चाहता हूं। लेकिन इस बात को कहने के पहले मैं श्री काशीनाथ मिश्र ने जो यह कहा है कि मैं कुल को रेप्रेजेंट करता हूं, उधर बैठने वाले तमाम मेम्बरों को मैं बतला देना चाहता हूं। इस माने में कि जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, या उससे पहले जब मैं पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी था रेवेन्यु डिपार्टमेंट का—तो शुरू से आखिर तक का हमें वे बतला दें कि बड़े किसानों के हक में मैंने यह बात कही। मेरे कांग्रेसी दोस्त मेरे खिलाफ तीन प्रकार के प्रोपेगेन्डा करते हैं। देहली में और सब जगह वे प्रचार करते हैं क्योंकि उनके पास उसके लिये बहुत से साधन हैं—कि गरीब आदमियों के दोस्त नहीं हैं चरण सिंह। कुछ दोस्त बिरादरी के नाम पर मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं लेकिन मैं इस समय बिरादरी के सिलसिले में कुछ जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि उसके लिये समय नहीं है। तीसरी बात मेरे खिलाफ यह कही जाती है कि शिड्यूल्ड क्लास से जबरदस्ती वोट लेकर मैं आया हूं। शिड्यूल्ड क्लास के बारे में तो मैंने पहले जवाब दे ही दिया था, अब उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। अगर बिरादरी की बात मैं खोलने लगूं कि उसके नाम पर यहां क्या हो रहा है, या भारतीय लोक दल में कहां तक बिरादरी की बात है, और ऐडमिनिस्ट्रेटिव में कहां तक बिरादरी की बिना पर काम हो रहा है, उसका जिक्र करने में बहुत देर होगी। लेकिन मुझे तकलीफ होती है इस तरह की बातें सुन कर जब मेरे लिये कुलकों से सम्बन्धित होने की बात कही जाती है।

आपको यह मालूम होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश का जो लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट है वह हिन्दुस्तान के हर सूबे के लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट से ज्यादा रेवोल्युशनरी है। मैंने उस सिलसिले में 65-66 आर्टिकिल्स और रेडियो टाक्स दिये हैं। हमारे यहां लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट को देखने के लिये बंगाल के रेवेन्यू और एग्रीकल्चर मिनिस्टर आये थे उनका नाम शायद मुहम्मद था। इसी तरह से मध्य प्रदेश के रेवेन्यू

मिनिस्टर जो बाद में वहां के चीफ मिनिस्टर हो गये, श्री मंडलोई, वे हमारे यहां इसको स्टडी करने के लिये आये। बिहार के रेवन्यू मिनिस्टर श्री विनोदानन्द झा, जो बाद में वहां के चीफ मिनिस्टर हो गये, हमारे यहां इसको स्टडी करने के लिये आये। और एक मोटी सी बात मैं बतलाता हूं उससे साबित हो जायेगा कि मेरी राय कुलकों के पक्ष में है या नहीं है और मैं कुलकों को पसन्द करता हूं या नहीं। श्री अमीर रजा जो उस वक्त लैंड रिफार्म्स कमिश्नर थे हमारे यहां, बाद में प्लानिंग कमीशन में लैंड रिफार्म्स डिवीजन के चीफ हो कर दिल्ली चले गये थे वह एक-दो बार यहां पर आये और मुझसे मिले चूंकि वे मेरे साथ काम कर चुके थे कांग्रेस में। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और जेल भी काट चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ईमानदारी से कहीं पर भी कांग्रेस लैंड रिफार्म्स को लागू नहीं कर सकी है। इस मामले पर कहीं से भी ठीक से अमल नहीं किया गया है। मैं यह बातें बतला रहा हूं जिससे कि मेरे दोस्तों की तबियत खुश हो जाय। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि जो लैंड रिफार्म यहां पर लागू किया गया है उसके बारे में कांग्रेस रेवेन्यू मिनिस्टर और दूसरे सदस्यों ने यह कहा है कि मालूम होता है कि चौधरी चरण सिंह कम्युनिस्ट हो गये हैं। मुझे कम्युनिस्टों से कोई लड़ाई नहीं है पर उनके दल की जो ओपीनियन है और तर्क हैं वह गलत हैं। वैसे उनका लव फार द पुअर अनाडउटेड है।

एक बात और कह दूं लेडी जान जो वर्ल्ड बैंक से संबधित हैं जो हिन्दुस्तान में भी रही हैं और पेरिस में भी रही हैं उन्होंने एक पुस्तिका लिखी है। एक रिपोर्ट दी है सन् 63 में प्लानिंग कमीशन के इन्टेंसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में। उनका कहना है कि लैंड टेन्योर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर असर होता है। वर्ल्ड बैंक कृषि उत्पादन के सिलसिले में करोड़ों रुपया गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को दे रहा है। जो उन्होंने रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को दी उसमें लिखा है कि हिन्दुस्तान में कहीं भी जमींदारी का एबोलीशन नहीं हुआ है सिवाय उत्तर प्रदेश के।

(मेजों की थपथपाहट)

दूसरे सूबों में कहीं पर भी सब टीनेंट और ट्रेसपासर को इतने राइट नहीं दिये गये हैं जितने कि उत्तर प्रदेश में।

श्री काशीनाथ मिश्र—

चौधरी साहब आप जो कह रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

क्या कहा आपने, फिर कहिये।

मैं कहना चहता हूं कि जितने मेरे दोस्त हैं उनसे कि मैं सर्वविज्ञ नहीं हूं। जितना मुझे लैंड रिफार्म के बारे में मालूम है वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जब आपको लैंड रिफार्म की बाबत मालूम नहीं है तो आप बीच में न बोलें। लिहाजा जब आपको ज्ञान नहीं है तो सुनिये, नहीं तो इल्जाम लगायेंगे।

हां, तो मैं कह रहा था कि कहीं पर भी उत्तर प्रदेश को छोड़ कर जमींदारी का एबोलिशन नहीं हुआ है। कहीं पर भी सब टीनेंट और ट्रेसपासर को उतने राइट नहीं मिले हैं जितने यहां मिले हैं। इसी राइट को लेकर हमने यहां पर शोषित संघ कायम किया था टंडन जी की अध्यक्षता में। मैं इस बात को छोड़े देता हूं।

[चौधरी चरण सिंह]

30 लाख टीनेंट और ट्रेसपासरों में सबसे ज्यादा ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हैं। इसमें से वन थर्ड हरिजन हैं. हमने उनको राइट दिया था। इसके अलावा राइट उनको कहीं पर नहीं दिया गया है।

दूसरी बात यह है, प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन है कि सब जगह अगर जमींदार चाहे तो वह काश्तकार को बेदखल कर सकता है। जो काश्तकार जमीन पर खेती कर रहा है उसको जमींदार बेदखल कर सकता है खुदकाश्त करने के लिये। यह प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन वाकायदा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकेंड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान में थी कि 30 एकड़ से 60 एकड़ तक बेदखल किया जा सकता है। मगर हमने उत्तर प्रदेश में यह बात नहीं किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वह यहां पर नहीं हैं। इस बात का बड़ा विरोध किया गया। बड़ा विरोध हुआ, यहां तक कि मेरे इस्तीफे की नौबत आयी, लेकिन मैंने इसको रद्द नहीं किया। मैंने एक भी टीनेंट और ट्रेसपासर को बेदखल नहीं होने दिया जबकि अन्य सूबों में बेदखली हुयी है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

आप भी तो पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी उस समय थे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

दल बदल करके इधर से उधर गये। यह नहीं समझते हैं कि क्या बोलें? बहुगुणा जी भी जब बोलेंगे तो बांके लाल भी 10 बार हुल्लड़ मचायेगा। तुम तो दल बदलने वाला है।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य यह बोलें कि कांग्रेस की हैसियत से चौधरी साहब ने कितना अच्छा काम किया। इसमें टीका टिप्पणी की क्या जरूरत है?

चौधरी चरण सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, मैं यदि इसका जवाब दे दूं तो क्या जिसने सवाल किया है वह माफी मागेंगे? कोई जरूरत नहीं थी कहने की कि मैं कैबिनेट का मेम्बर या पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी था। पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने एक-एक शब्द, एक-एक क्लास उस ऐक्ट का देखा था और जो मैंने चाहा उसको एप्रूव किया। जमींदारी एबोलिशन कमेटी, 1946 में बैठी जिसमें रफी अहमद किदवई थे। इसकी रिपोर्ट मुझको पसन्द नहीं आयी इसलिये मैंने 17 पेज का नोट लिखा और संस्तुति पंत जी को किया कि इस रिपोर्ट को मानना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप परवाह न करें कि रिपोर्ट क्या है। तुम जमींदारी ऐक्ट को बनवा दो। 11 मई, से 18 मई, 1948 को नैनीताल में इस संबंध में मीटिंग हुई। उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर मौजूद नहीं थे। मैंने उस बिल पर पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की हैसियत से डिस्कशन किया। कैबिनेट का मुझ पर विश्वास था और रेवेन्यू मिनिस्टर कहते थे जैसा समझ वैसा करो। फाइलें इस बात का सबूत हैं कि जो बातें कही गयीं उनके विरुद्ध मैंने किया और पंत जी ने मेरी बात को माना। आखिर में 1958 में केरल में एग्रेरियन रिफार्म्स बिल पेश हुआ। चीफ मिनिस्टर ने वहां के इस बिल से अधिक बातें ली। वह जैसा बिल है वह आज भी मौजूद है। उस बिल को आप देखें तो जो बिल हम पहले बना चुके थे वह ऐक्ट कितना

ज्यादा रिवालूशनरी था मुकाबले और कम्युनिस्ट गवर्नमेन्ट के। उसमें जो प्वाइन्ट थे वह आज भी मेरे पास टाइप्ड रखे हुये हैं परन्त उनको देखने का मौका नहीं मिलता है। इस तरह यहां कुलक–कुलक करके गाली देना ठीक नहीं है। मैं काशी नाथ मिश्र जी से. . . . . ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, चौधरी साहब की बात को मैं इन्कार करता हूं कि कुलक–कुलक। अधिकांश तो उधर ज्यादा कुलक बैठे हुये हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मिश्रा जी स्टडी कर लें, यदि आपको कुछ वफादारी साबित करना है तो। इसलिये कुलक कहना ठीक नहीं है।

श्री काशी नाथ मिश्र—

कृषक समाज कुलेक्स आरगनाइजेशन था और वह लाखों रुपये खा गया है। पत्रिका निकाली गई थी और 51, 51 रुपया किसानों से चन्दा लिया गया था और आज उसका पता नहीं है।

श्री माधव प्रसाब त्रिपाठी—

कौन-कौन लोग रुपया खा गये, इसका भी जिक्र चौधरी साहब कर दीजिये। काशीनाथ मिश्रा जी इसको जानने को बहुत उत्सुक हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने श्री काशी नाथ मिश्र को बोलने की आज्ञा नहीं दी है इसलिये वह जो बोले उसको छोड़ दिया जाय।

श्री काशी नाथ मिश्र—

दैट वाज ए कुलेक्स आरगनाइजेशन।

चौधरी चरण सिंह—

जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तो कोई कृषक समाज नहीं था। कम से कम मैं उसका मेम्बर नहीं था। कृषक समाज बाद में हुआ। मैं किसान सभा का भी विरोधी था, जिसके श्री बन्शी धर मिश्र सेक्रेट्री थे। तब मैंने कहा था कि वह तभी तक हो सकता है जबतक जमींदारी अबालिशन नहीं होता है। तो कृषक समाज मैं जरूरी नहीं समझता था लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ दुबारा, तो मैंने 64 में उसमें दिलचस्पी लेना शुरू की और वह सज्जन जिन्हें मैंने सेक्रेट्री बना दिया था, बाद में एक तरफा कार्यवाही करके प्रेसीडेन्ट हो गये। उस समय लाखों रुपया उनके पास था और वह कांग्रेस के अन्दर शामिल हो गये।

अध्यक्ष महोदय, जो आदमी अपनी पार्टी त्याग देता है, उसको प्रश्रय आपके यहां ही मिलता है। मैं केवल यही कहना चाहता था। जहां तक बड़े किसानों की बात है उनका नम्बर हमारी स्टेट में लोएस्ट था। यह जो बड़े बड़े मेकानाइज्ड फार्म्स बने यह अंग्रेजों के जाने के बाद बने। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बने हैं हमारी पालिसी के कारण। यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा स्टेट है जहां कानून बनकर इम्प्लीमेन्ट भी हो जाता है। दूसरी जगह तो आधा बना या बिलकुल नहीं बना। यह मैंने कूलेक्स का जवाब दिया।

(इस समय 2 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

[चौधरी चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, श्री रामायण राय जी ने अपने भाषण में कहा था कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब होने का कारण बंगला देश का युद्ध और इन्फ्लेशन है। यह भी कहा गया कि तेल की कीमतें बढ़ने से भी अर्थ व्यवस्था खराब हुई। डा0 शंकर दयाल शर्मा ने उसमें यह भी जोड़ दिया जिसको प्रधान मंत्री भी कहती हैं कि सी0 आई0 ए0 झगड़ा करा रहा है। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी ने मथुरा में कहा था। एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि फूड की कोई कमी नहीं है। लेकिन यह बलवा सी0 आई0 ए0 करा रही है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। (हंसी)

एक सदस्य ---

चौधरी साहब, यह आपको कैसे मालूम उनको नाचना नहीं आता।

चौधरी चरण सिंह---

अब मुझे नहीं पता कि उन्हें नाचना आता है कि नहीं। लेकिन नाचना अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि सब बहनों को नाचना जरूर सीखना चाहिये, क्योंकि यह एक प्रकार का अच्छा व्यायाम है।

श्री ईश्वर सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय चौधरी साहब, हमारी आदरणीय भाभीजी को सिखाया है कि नहीं ?

चौधरी चरण सिंह---

यही कमी रह गयी ? वह तो उनको अपने यहां से ही सीखकर आना चाहिये था। अब वह जैसी आ गयीं, आ गयीं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष---

वह तो अमरीका और बाहर के देशों में भी घूम आयी हैं. . . . . .

चौधरी चरन सिंह---

और अकेले घूम आयी हैं।

तो इनकी जितनी कमियां हैं, उनके बारे में विरोधी पार्टियों को दोष दिया जाता है। इन्दिराजी ने कहा कि मैं तो देश को आगे बढ़ाना चाहती हूं लेकिन विरोधी लोग ऐसा नहीं करने दे रहे। बर्डन आफ स्पीच, प्रधान मंत्री जी के 15 दिसम्बर के भाषण का यही रहा कि विरोधी पक्ष सारी कठिनाइयों के लिये जिम्मेदार है। हम कैसे करें ? और वह बात अखबारों में भी आ गयी। वह बात एक टाकिंग प्वाइन्ट बन गयी। कुत्ता और चोर तक इन्दिरा जी ने विरोधियों को कह दिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैंने तो इसको कन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि इन्दिरा जी ने ऐसा नहीं कहा।

चौधरी चरण सिंह---

किसने कन्ट्राडिक्ट किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मैंने किया है। दिल्ली और दूसरे अखबारों में कोट करके कहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जिसने कहा है ऐसे शब्द, उसने क्यों नहीं कन्ट्राडिक्ट किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब उनके पास इसका उत्तर देने का इतना कहां मौका है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह मामूली चार्ज नहीं, विरोधियों को कुत्ता और चोर कहा जाय ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

वह तो इन्दिराजी की स्पीच टेप-रिकार्डेड है ; चौधरी साहब कभी उसको सुन सकते हैं कि इन्दिराजी ने क्या कहा ।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)—

मान्यवर, अशोक प्रकाश में भी इसका जिक्र हुआ है कि इन्दिरजी ने विरोधी पक्ष को चोर और कुत्ता कहा है और मैंने 17 तारीख को इसका प्रतिवाद किया है।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के इंटरप्शन का जवाब देना चहता हूं । मान्यवर, जब असेम्बली को साइन–डाई कर दिया गया था तो उसके बाद मुझको बात करने के लिये बुलाया गया था । आपके कमरे में बुलाया गया था । बड़ी खातिर की । बात हुई हमने जिक्र किया कि हम तो चोर और कुत्ते हैं और हम हाथियों से कैसे बात कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि इन्दिराजी ने ऐसा नहीं कहा। तो क्या यह कन्ट्राडिक्शन हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब, मैं अखबारों के कटिंग पेश कर दूं ? मैंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट को नहीं मानता । जो आदमी वनसर्ड है, उसने क्यों नहीं कंट्राडिक्शन दिया ? यह केवल मेरे और त्रिपाठी जी के लिये नहीं, सारी हिन्दुस्तान की पार्टियों के लिये कहा गया है ।

(विरोधी पक्ष से शेम–शेम के नारे)

एक सदस्य—

चौधरी साहब ने कालागढ़ में गोली चलवायी और जब उसको वह नहीं मानते तो हम क्यों मानें ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच कैननाट बी दि सब्जेक्ट मैटर आफ दिस हाउस, प्रधान मंत्री का भाषण इस सदन में विवाद का विषय नहीं बन सकता । अविश्वास का प्रस्ताव माननीय बहुगुणाजी के खिलाफ है प्रधान मंत्री जी के खिलाफ नहीं ।

चौधरी चरण सिंह—

(व्यवधान) माननीय मिश्रा जी के मुतबिक मैं प्रधान मंत्री के भाषण का जिक्र यहां नहीं कर सकता यह गलत है । प्रधान मंत्री यहां कांग्रेस के लीडर की हैसियत से आई थीं और उसी हैसियत से सब जगह उनकी स्पीचेज अपोजीशन के खिलाफ हो रही हैं और न जाने क्या-क्या गालियां नैनीताल, अमृतसर में उन्होंने दीं और उत्तर प्रदेश के लिये यहां तक कहा कि प्रदेश की बैकवर्डनेस के लिये विरोधी लोग जिम्मेदार हैं तो मैं क्यों यहां पर कुछ नहीं कह सकता ? आपके लिये वह होंगी देवी । वैसे देवी मेरे लिये भी हैं इन्दिरा देवी । आपके लिये कोई रिलीजस सैंक्टीटी हो सकती है लेकिन हम उनको पोलिटिकल लीडर मात्र मानते हैं,

[श्री चौधरी चरण सिंह]

हमारे लीडर की पुत्री हैं, महिला होने के नाते मैं उनकी इज्जत करता हूं लेकिन जब वह देश के सिलसिले में व्याख्यान देती हैं तो मैं भी देश का नेता हूं, एक पार्टी से वास्ता रखता हूं। नुक्ताचीनी करने का अख्तियार है और उसका मैं इस्तेमाल करता हूं ।

(व्यवधान)

इन्दिरा गांधी आपके लिये गाय होंगी, देवी होंगी, मैं उनको देवी और गाय नहीं मानता। आपके लिये वह दुर्गा और भवानी होंगी, मैं उनको दुर्गा और भवानी नहीं मानता। मैं उनको पोलिटीशियन मानता हूं। उनको विरोधी दलों का अगर क्रिटिसिज्म करने का हक हासिल है तो हमको भी उसका जवाब देने का हक हासिल है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम उनको देवी और दुर्गा नहीं मानते, आप नहीं मानते लेकिन अगर वह मानते हैं तो आपको क्या एतराज है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माधव बाबू आज बहुत इंट्रप्शंस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप उनको मना कर दें कि वह चौधरी साहब की इंट्रप्ट न करें।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ईल्ड कर जाते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

आज बहुगुणा जी के सीने में हमदर्दी का तूफान मेरे प्रति उमड़ पड़ा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हमेशा से है ।

चौधरी चरण सिंह—

यह मेरी खुशकिस्मती है। न सही चोर और कुत्ता। लेकिन देश की दुर्दशा, गरीबी तथा भ्रष्टाचार के लिये कौन जिम्मेदार है ? देश में जन तंत्र का ह्रास होता जा रहा है, दुनिया भर के देशों में हिन्दुस्तान की इज्जत कम होती जा रही है, उसके लिये विरोधी पक्ष किस तरह से जिम्मेदार है ? हमने उनका कौन सा हाथ रोका है ? क्या हमने किया है ? आप की मेजारिटी है। आप कानून बनाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही ल्वायल होता है, फिर उसको आपने कमिटेड बनाने की कोशिश की है। वह अमल करता है। घर साहब चले गये। उनका कहना था कि ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है अगर समाजवादी नीतियां कामयाब नहीं होती हैं तो ? अक्ल अपने आप में नहीं फिर दोष क्यों अफसरों पर मढ़ते हो ? अफसर तो हमेशा हुक्म कैरी आउट करते हैं। अगर कैरी आउट नहीं करते तो जवाब तलब कीजिये और उनको सजा दीजिये । मगर यहां तो एक तमाशा है, एक नौटंकी है। एक हवा आप पैदा करना चाहते हैं केवल व्याख्यान से, प्रचार से और ऐसा करके अपनी गलत नीतियों को आप छिपाना चाहते हैं। मैं 6 बातों का जवाब देना चाहता हूं। बयूरोक्रेसी की बात तो आपको बतला ही दी। दूसरे कहा जाता है बंगला देश की लड़ाई जिम्मेदार है। रामायण राय जो बतलायेंगे कितना रुपया उसमें सरकार का खर्च हुआ। 13 दिन यह लड़ाई हुई। 13 वर्ष तक तो नहीं चलती रही। 13 वर्ष तक चलती तब तो मैं समझता। फिर आपके इन्डस्ट्रियल लेबरर्स, फैक्टरी लेबरर्स और वर्कर्स अपना काम छोड़कर लड़ाई में तो गये नहीं, नये सिपाही कोई भरती नहीं किये गये। तनख्वाह जो वे पा रहे थे वही उन्होंने पायी। तो आपकी अर्थ व्यवस्था खराब उससे कहां हुई ? जितना आपका नुकसान हुआ है उससे ज्यादा के हथियार आपको वहां से मिले। मुझे याद है आपने चार-पांच लाख टन गल्ला जरूर दिया, क्या उसी में आपकी इकौनोमी नष्ट हो गई ?

दूसरी बात है आयल प्राइसेज की। आयल के प्राइसेज नवम्बर 1974 से बढ़ने शुरू हुये। डेट मौजूद है जब कि इजराइल और अरब की लड़ाई हुई। यह लड़ाई अक्तूबर में हुई तब इन कन्ट्रीज ने कहा कि हम आयल नहीं देंगे। क्या आप समझते हैं इन प्राइसेज के बढ़ने के बाद देश की आर्थिक दशा गिरी है ? नहीं। हमारे यहां का 70 फीसदी आदमी बे पढ़ा है उसी का आप फायदा उठाना चाहते हैं।

तीसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन वर्ड-ओवर है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। किसी दोस्त ने कहा कि गल्ला आप बाहर से मंगाते हैं क्योंकि ये-ये परेशानियां है और खाने-पहनने को नहीं मिल रहा है। मुझ आप यह बतायेंगे कि कौन सा देश ऐसा है जहां कि जाड़े से इतने लोग मर जाते हैं। जहां नेशनल पर कपिटा इनकम बढ़ी है वहां इन्फ्लेशन भी ज्यादा बढ़ी है लेकिन फिजिकल नेसेसिटीज में कहीं कोई कमी नहीं आयी है।

चौथी चीज यह है कि यह कहा गया कि "रियल डेविल आफ दि पीस इन अपोजीशन। उसके बारे में मैं कह चुका हूं, उसका आपको स्वागत करना चाहिये अगर आपकी मंशा देश की सेवा करने की है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

चौधरी साहब, क्या कहा, यह चीज मुझसे भी सम्बन्ध रखती है.....

चौधरी चरण सिंह—

असली शैतान जो हैं वह मैं और आप हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसे आप अपने तक रिजर्व रखें।

चौधरी चरण सिंह—

मैं कहता हूं कि अपोजीशन के बिना डिमोक्रेसी नहीं चलती और आपको अपोजीशन का डर नहीं है। आपकी मैजारिटी है और जब कोई खराबी आती है तो आप उस मैजारिटी के जरिये कांस्टी ट्यूशन में पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन लाकर उसे अमेन्ड कर देते हो। स्ट्रांग अपोजीशन का होना रूलिंग पार्टी के स्वयं हक में है और तभी डैमोक्रेसी चलती है। जब भी अपोजीशन पार्टीज में एक जबरदस्त अपोजीशन बनने की कोशश होती है तो उस समय आपको बुरा लगता है। श्रीमान्, बहुगुणा जी ने राय बरेली में यह कहा था कि हम एक भारतीय लोक दल बनाना चाहते हैं। यह आपका डिटेटोरियल एटीच्यूड है। इंगलैण्ड में भी अपोजीशन है लेकिन उसके लिये क्या लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ? जहां हिज मजेस्टीज गवर्नमेंट कहा जाता है वहीं हिज मजेस्टीज अपोजीशन भी कहा जाता है। आप समझते हैं कि जब हम मेजोरिटी में जीतकर आये तो "हू आर दे" आप कौन हैं ? पौलिसीज में फर्क है। आपकी पौलिसीज गलत हैं। आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा नहीं है जिसका नतीजा यह है कि बहुत से पोलिटिकल लीडर्स और मिनिस्टर्स भी भ्रष्ट हो गये हैं। डिमोक्रेसी की मान्यताओं को आप नहीं मान रहे हैं। यही मुख्य तीन चीजें हैं जिसकी वजह से आज देश बरबाद हो रहा है। जिन नीतियों पर आपको अमल करना चाहिए उन पर आप इन्हीं चीजों की वजह से नहीं कर सकते हैं।

सी0 आई0 के बारे में कहा गया। कोशिश हो रही है, अमेरिका से गल्ला लेनी की। अन्दर से कोशिशें हो रही हैं और बाहर से दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। गल्ला कहां से मंगाते हो, वह बाद में कहूंगा, रुई कहां से मंगाते हो। अगर वहां से यह न मिले तो खाना नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले। अगर वह मदद न करे तो यहां गल्ला न मिलें। आप कहते हैं कि सी0 आई0 ए0 खराबी पैदा कर रहा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपका क्या ख्याल है ?

चौधरी चरण सिंह--

मैं समझता हूं कि नहीं कर रहा है। सी0 आई0 एफ0 वहां की क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन ऐजेन्सी है। सी0 आई0 ए0 यहां के डिमोक्रेटिक आर्डर को क्यों बदलना चाहता है ? उसके साथ दो कम्युनिस्ट कन्ट्रीज लगती हैं। अगर यहां डिमोक्रेसी मजबूत होगी उसमें उसको फायदा है, वह तो उसके हक में है। वह हमारी मदद करते हैं हमारी पोलिसीज पर उससे कोई असर नहीं पड़ता है। अगर सी0 आई0 ए0 काम कर रहा है तो आपकी सी0 बी0 आई0, आ0 बी0, 'री' जिस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे है जिसको श्रीमती जी ने अपने साथ एटैच किया है जिस पर पार्लियामेंट में बहस भी नहीं होती। वह यह देखता है कि कौन पार्टी क्या कर रही है और कांग्रेस का कहां क्या काम हो रहा है। वह जो है 'रिसर्च ऐन्ड इन्वेस्टीगेशन विंग' है जिस पर करोड़ों रुपया लगाता है (व्यवधान)।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)--

वह विदेश विभाग को देखता है, भारत की पार्टी को नहीं देखता है।

चौधरी चरण सिंह--

आपने क्या चार्ज लगाया है बता सकते हैं फिर से।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मैं कह रहा हूं कि वह भारतवर्ष से बाहर की गतिविधियों को देखता है अन्दर की नहीं। वह तो सी0 आई0 ए0 करता है।

चौधरी चरण सिंह--

आपके भी सी0 आई0 डी0 और सी0 बी0 आई0 हैं जो दूसरे देशों के बारे में आपको भेजता है। इसको तो आप तसलीम करते हैं कि हर एक कन्ट्रीज की इन्टेलिजेंस सरविस जो है वह दूसरे देशों के कामों के बारे में, दूसरे देशों की गतिविधियों के बारे में नजर रखती है और अपनी गवर्नमेंट को उसकी इतलाह देती है। सवाल यह है कि वह आपकी पालिसीज में कैसे बाधक हो रही है ? जाहिर है कि वह छिपी नहीं रह सकती है, वह आपकी पालिसीज को कैसे असर करता है। आपमें कैसे करप्शन वह फैलाता है, आप जो कर रहे हैं वह जो इन्टरल्यूकेटरी एप्लीकेशन जो दी है ताकि इलेक्शन पीटीशन प्रधान मन्त्री का प्रभावित न हो उसको करने के लिये सी0 आई0 ए0 ने बताया है।

फिर राजस्थान में, गुजरात में बारिश नहीं हुई, 6 महीने या कुछ समय नहीं हुई तो उसी पर नारा देना शुरू कर दिया कि प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है इसलिये खराब हो गई, ड्राउट हुआ कह दिया, इसलिये फसल खराब हो गया या फ्लड हो गया तो इसलिये फसल खराब हो गई। तो यह तो हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। मैं कहता हूं कि फिर उसमें गवर्नमेंट कहे कि हम क्या करें प्रकृति ने साथ नहीं दिया उसको दोष देना ठीक नहीं है और अगर नारमल वेदर हुआ और पैदावार अच्छी हो गई तो उसका श्रेय आप लेने लगे। आप कहां तक इस प्रकार चलेंगे ? आज वर्षा हो गई तो दिल्ली से खबर आती है इस वर्ष के शुभ दिन के लिये शुभकामना।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

आपको अफसोस हुआ क्या ?

चौधरी चरण सिंह--

नहीं। मैं कहता हूं कि इन बातों से नहीं चलेगा। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है (व्यवधान) यह प्वाइंट नहीं है प्वाइंट यह है कि बारिश हो गयी तो आप बेफिकर हो कर बैठ जायं कि फसल अच्छी होगी। यह तो, आप किसी से भी पूंछते वह बतायेगा कि अगर बारिश हो गई तो फसल अच्छी होगी। मैं कहता हूं कि बारिश पर आप निर्भर न हों, गवर्नमेंट उसके लिये इन्ताजम करे। जब फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो अब प्रेसीडेन्ट हो गये हैं वह तीन साल तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे तो उनके साल में दो दफे बयान हो जाते थे कि फसल अच्छी है और प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है। हर महीने में एक बयान होता था। अब लोगों को सुलाया जा रहा है मीठी नींद में। कोई हर्ज नहीं है, अन्न की कमी नहीं है, वर्षा हो गई है और शुभ दिन पर हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्षा न हो तो भी आप उनके लिये इर्रीगेशन मींस प्रोवाईड करें। सा 17 प्रतिशत रकबा सिंचित था जब सन् 1947 में अंग्रेज गये।

एक सदस्य--

आप लोक सभा की बात कह रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह--

नीतियां तो दोनों की एक ही हैं। दोनों के बीच क्या आप दीवाल लगवायेंगे। आपके यहां पैदावार न हो या बहुत ज्यादा हो जाये तो आप क्या करेंगे ? दूसरों का सहारा लेंगे या नहीं ? तो सारा देश एक इकाई है।

श्री प्रेम दत्त--

आप भी सिंचाई मन्त्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं। तो उस समय के आंकड़े और आज के आंकड़े में आपको कोई फर्क नजर आता है या नहीं ?

चौधरी चरण सिंह--

आप मेरे खिलाफ ऐसा करें कि कांग्रेस की मीटिंग में मुझे अकेले बुला लें। तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जायेंगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इस दावत का आपको इन्तजार है और हम उसे जरूर देंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

चौधरी साहब, तिवारी जी आपको गलत समझ रहे हैं आप उनको समझा दीजिये कि आप खरीद-फरोख्त वाले नहीं हैं। (हंसी)।

चौधरी चरण सिंह--

अच्छा छोड़ो, हो गया मजाक। आपका दावतनामा कोई काम करने वाला नहीं है। जिन पर असर करने वाला था, जिनके साथ सौदा हो सकता था, वह हो गया। हो सकता है दावतनामे में लिफाफे के साथ और कोई चीज भी रही हो। वह जा चुके हैं, अब कोई यहां बाकी नहीं रहा है। (हंसी)

श्री प्रेमदत्त--

कैबिनेट की तो ज्वाइन्ट रिस्पांस्बेलिटी होती है। इसलिये मैं कह रहा हूं। सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री में भी आप तो रहें हैं।

चौधरी चरण सिंह-

मेरे पास इसका भी जवाब है। पहली बात तो यह है कि मैं 25 नवम्बर से मार्च के आखिर तक, करीब साढ़े चार महीने ज्यादा से ज्यादा इर्रीगेशन मिनिस्टर रहा, जिसमें कोई नई चीज हो ही नहीं सकती है। केवल 2-3 भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिनका कई साल से जवाब नहीं आया था। मित्रा साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उनसे भी उस समय में जवाब तलब कर लिया।

(व्यवधान)

श्री प्रेमदत्त--

ऐसा है, आपने चूंकि उदित नारायण शर्मा को बना दिया था। इसीलिए सारा गड़बड़ हुआ।

चौधरी चरण सिंह--

इसीलिए तो वह जहां से थे, वहीं चले गये। उनके कारनामे और गुण देखें तभी तो वह बहुत कम दिन रहे। बाकी वीरेन्द्र वर्मा जी इर्रीगेशन मिनिस्टर थे। मुश्किल से दो-एक महीने वह रहे थे। तो कुछ अर्से वह रहे। लेकिन जब मैंने उनके गुण देख लिए, सन् 1970 में जब सारी दुनियां यह जानती थी ..... (व्यवधान) उस समय आपकी ही मेजारिटी थी। तो मैंने शर्मा जी को मिनिस्टर नहीं बनाया और उसके तीन महीने के बाद आपने उसका स्वागत कर लिया और उनको मिनिस्टर भी बना दिया।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुन्तानपुर)--

आपने कांग्रेस उनको ही लेकर छोड़ी थी।

चौधरी चरण सिंह--

मैं बहन बख्शी जी से कहूंगा कि आपके आने से पहले जो उनका इलाज किया गया था वही कीजिये और उनको बिठाइये वरना यह न जाने क्या-क्या कहेंगे? डिफेक्शन के ऊपर लगे हुये हैं। डिफेक्शन के ऊपर गवाही करा लें। (व्यवधान) मैं 52 हजार वोटों से जीत कर आया था। मैं बारिस के बारे में कह रहा था कि इर्रीगेशन के ऊपर केन्द्रीय सरकार को पैसा खर्च करना चाहिये था और रुपया प्लानिंग कमीशन को देना चाहिये था। लेकिन कांग्रेसी नेताओं की ऐसी पालिसी नहीं थी जिसकी वजह से सारा मामला गड़बड़ हो गया। 27 साल के बाद अंग्रेजों के जाने के बाद साढ़े सत्तरह फीसदी से 27 साल में इर्रीगेशन एरिया साढ़े बाईस फीसदी बढ़ा है। पहले राजे-महाराजे ताल-तलैया बनाते थे, बांध बनाते थे। मुगल बादशाहों और पठान बादशाहों के जमाने में नहरें बनी। ईस्टर्न कैनाल तुगलक बादशाह के जमाने में बनी।

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फैजाबाद)--

आपने बताया कि इर्रीगेटेड एरिया 17 फीसदी से 22 फीसदी हो गया तो मजरूआ जमीन जिस पर काश्त होती थी उसमें कितनी बढ़ोत्तरी हुई है?

चौधरी चरण सिंह—

बढ़ोत्तरी जरूर हुई है लेकिन क्या दुगुनी हो गई है। इधर-उधर क्या देख रहे हैं। यह आपकी मदद नहीं करेंगे। 32 करोड़ एकड़ के लगभग अंग्रेजों के जमाने में थी और 34 करोड़ के लगभग आज है। इससे भी कम यानी पौने चौंतीस करोड़ एकड़ थी और आज आप 23 करोड़ एकड़ मान लीजिये। तब भी क्या बात हुई ? अगर वह फिगर्स चाहते हों तो टेलीफून से पूछ लें। मैं उनको दे दूंगा। मैं एक किताब लिख रहा हूं। कांग्रेसी नेताओं ने तय किया था कि सोवियट टाइप पालिसी फालो करेंगे। लिहाजा एग्रीकल्चर सब से लोयेस्ट प्लेस दी गई। इर्रीगेशन और फर्टिलाइजर को कोई ध्यान नहीं दिया गया। 60 अरब रुपया केवल गल्ला मंगाने और 20 अरब रुपया बाहर से रुई मंगाने में खर्च किये गये। कल के अखबार में था कि रूस से भी रुई मंगायेंगे सब से पहले इंसान के लिये अन्न की जरूरत है। फिर कपड़ा पहनने के लिये रुई की जरूरत है। हमारे यहां लांग स्टेपिल रूई नहीं होती है। उसको बाहर से मंगाया जाता है। हम यह कहते हैं लांग स्टेपिल रूई न मंगाई जाय और हमारे यहां के लोग मोटी रूई का कपड़ा पहनेंगे। आपने 82 अरब रुपया रूई और अन्न के लिये बाहर भेज दिया। खेती के ऊपर रुपया खर्च करना नहीं चाहते हैं।

यह मैं हार्ड फैक्ट्स बतला रहा हूं। आपका विश्वास आपको मुबारक हो। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हुनर की कमी नहीं है। हमारे किसानों को सिखाने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत हुनर हैं। कहिये तो बहुत सी बातें बता सकता हूं कि हिन्दुस्तानी किसान को हुनर में कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। उसको फर्टीलाइजर की जरूरत है, पानी की जरूरत है। प्लानिंग कमिशन का अनुमान है कि 50 लाख टन होना चाहिये। हमारे यहां फर्टिलाइजर का अनुमान लगाया है 19 लाख टन का और एक्चुअल प्रोडक्शन 9 लाख का है। गोबर का मजाक उड़ाया जाता है। यहां पर अब ढाई अरब का, 3 अरब का, 4 अरब का अन्न बाहर से मंगायेंगे। रूई बाहर से मंगायेंगे। फर्टिलाइजर बाहर से मंगायेंगे। पानी तो आ नहीं सकता नहीं तो वह भी मंगा लेते। कुछ बातों को देख कर सोच रहे हैं कि उधर रहने से टिकट मिल जायगा। आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि इसमें यह खराबी है इनको सुधारो। आप नहीं सुधार सकते हो तो सेन्ट्रल के लेबिल से कहो। गांधी जी ने यह कहा था कि पहली प्रायोरिटी एग्रिकल्चर को दें। गांवों को उठाना चाहिए, लिव इन दी विलेजेज। यू0 पी0 में 66 फीसदी जनता गांवों में रहती है। गांधी जी तो मरते-मरते कहते थे और मर गये कि चर्खा लगाओ।

पंडित जी तो ठीक उसके उल्टे चले। फार्स्ट फाइव इयर प्लान ठीक बनी थी। पंडित जी ने जो सेकेन्ड फाइव इयर प्लान बनाया तो 55 से 56 तक वह बनी। आपके सेकेन्ड फाइव इयर प्लान में पंडित जी ने यह तय किया था कि जितना रुपया हम टैक्स से ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, वह बड़ी इन्डस्ट्रीज में लगायेंगे और अन्न हम बाहर से मगायेंगे ? उसी साल पी0 एल0 एग्रिमेंट हुआ अमेरिका से, वहां से सस्ता गल्ला मंगाया गया। कभी-कभी इतना सस्ता मंगाया गया कि जो यहां के दाम थे उससे सस्ता उनका अनाज था। उनका प्लान था कि हमारी इन्डस्ट्रीज बन जायेंगी, नकल करना

[श्री प्रिये दर्शी जैटली]

चाहते थे सोवियत की। तो नतीजा क्या हुआ सेकेन्ड फाइव इयर प्लान का कि जो इन्डस्ट्रीज के लिए 37 परसेंट रुपया था वह घट गया। इक्सपर्ट्स प्लानिंग के मास्को से मंगाये, आर्किटेक्ट भी रखा मदद के लिये, तीन कम्युनिस्ट प्लानर्स मंगाये गये। अब हमारी बहन जी क्या कह रही हैं, हमारी बहन जी लाजवाब हैं साहब। अब जरा देखिये एग्रीकल्चर पर बहुत खर्च किया जाता है, ये कहते हैं डी0 पी0 धर को प्लानिंग कमीशन से हटाने के बाद हक्सर को रखा जायगा। अब एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया जायगा। श्रीमान् जी भी यही फरमा रहे हैं। वे कहते हैं कि बिना गांव के उठे देश नहीं उठेगा। अब आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अब भी कन्फ्यूजन में हैं, वह भी बताये देता हूं। गांव के बिना उठे नहीं देश उठेगा। गांव का उठाना एग्रीकल्चर को उठाना है। श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने मुझे बताया, कि एक सरकुलर जाता है गांव के सभापतियों के पास। उसमें अपनी पालिसी लिखते हैं और कांग्रेस का प्रचार करते हैं। कभी वह बहुत साफ जाता है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो पत्र आप गांव सभापतियों को भेजते हैं वह मेम्बर असेम्बली और काउन्सिल को भी भेजा करें। आप इल्लिटरेट आदमी को ऐसा पत्र भेजते हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है? हमको भी मालूम हो कि उसमें क्या लिखा है। खैर मैं फारमल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको भेजना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना है कौशिक जी के जरिए कि उसमें लिखा है कि गांव वालों की क्रय शक्ति बढ़ी है बमुकाबले शहर वालों के। गांव वालों को काफी आमदनी होती है और शहर वालों को कम। इसीलिए है यह। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर.. .

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बिना पढ़े आप बोलते नहीं।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि कौशिक जी ने बताया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब को हिवर से पर नहीं बोलना चाहिए। उसमें क्या लिखा है। मैं बताऊंगा।

चौधरी चरण सिंह--

ऐसा लगता है श्रीमान् जी के दस्तखत से चला है। लिखा नहीं है। वरना बता देते। 90 करोड़ का टैक्स लगाया है, जितने बड़े-बड़े अखबार हैं, सब कह रहे हैं कि गांव वालों की कन्डीशन अच्छी है, उन पर टैक्स लगना चाहिए। वही भाषा बोल रहे हैं। खैर, अब मैं बतलाता हूं कि आपके राज्य में गांव की हालत क्या हुई है? एक आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि 51 से 56 तक गांव वालों की आमदनी 27 फीसदी थी। यानी 100 शहर वालों की है तो 27 गांव वालों की है। इसका नतीजा क्या होता है? सेकन्ड फाइव इयर प्लान में इसका रेशिओ 100 और 24 हो गया और थर्ड फाइव इयर प्लान में 100 और 20 हो गया और उसके बाद 100 और 18 हो गया है। शहर वालों की आमदनी बढ़ती जा रही है। बड़े-बड़े आदमी हैं, बड़े-बड़े ट्रान्सपोर्ट हैं और बड़ी-बड़ी चीजे हैं। मैं एक एकोनामिस्ट की बात आपको बतलाता हूं। गांव वालों की दशा आरम्भ से गिरती ही गयी है, बदतर से बदतर होती जा रही है।

श्री प्रियदर्शी जेटली--

एक बात है। आप एक चीज बता दें। नाराज न हों। यह जो इकोनामिस्ट हैं इन्होंने कब यह किताब लिखी है। और जब पहले लिखा तो आप उस बात को मानते थे और 67 के बाद आप कांग्रेस से बाहर निकले।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं नाम जानना चाहूंगा अपने दोस्त का .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब, आप इनके बाप को जानते थे फैजाबाद के मिस्टर जैतली, यह आपका बच्चा है।

चौधरी चरण सिंह--

ठीक है, वह तो बहुत अच्छे आदमी थे। मैं जवाब नहीं देना चाहता और सुनना भी नहीं चाहता था इसलिये कि आपके दिभाग में है कि कल्टीवेटेड एरिया दुगुना और तिगुना ब गया है तो अध्यक्ष जी इनको रिग्रेट एक्सप्रेस करना चाहिये थी जब मैंने इन्हें बतला दिया था कि हां साहब मेरा खयाल गलत था।

श्री प्रियदर्शी जेटली--

मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं।

चौधरी चरण सिंह--

आप इस बात को कभी नहीं मानोगे, मेरे नवजवान दोस्त क्योंकि कांग्रेस में जो हो न, इसलिये, क्योंकि कांग्रेसवालों की पहली पहिचान यह है ही कि वह सही बात को कभी नहीं मानते। (श्री प्रियदर्शी जेटली के दुबारा खड़े होने पर) अगर आपको दोबारा कोई बात और जानना हो तो मेरे पास आओ, अकेले में सब बता दूंगा।

श्री प्रियदर्शी जैटली--

आप नाराज न हों, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आपके बारबार इसरार करने पर भी ये मानते ही नहीं है इसलिये इनको आपके कमरे तक जाने की इजाजन नहीं है।

(हंसी)

चौधरी चरण सिंह--

आप तो मेरे पड़ोस में रहते हो, आपका मैं कितना स्वागत करता हूं।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझता हूं नवजवान जेटली जी ने मुझसे पूंछा है कि जो यह एग्रीकल्चर की प्रायरिटी वगैरह की बात मैं कह रहा हूं वह तब भी मैंने कही थी या नहीं। तो मैं उनको बता रहा हूं कि सन् 1960 में मैंने एक किताब लिखी थी "ज्वाइट फार्मिंग एक्सरेड" ऐंड रियल सल्यूशन"। नाम उसका मुझको कुछ पसन्द नहीं था इसलिये एक दूसरी किताब मैंने लिखी "इंडियाज पावर्टी ऐंड इट्स सत्यशन"। उसके दो एडीशन निकल चुके उन्हीं विचारों को मैं दूसरे अल्फाज में रख रहा हूं और दे लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल एवीडेंसेज के साथ रख रहा

[श्री चौधरी चरण सिंह]

हूं। मेरे विचारों में फर्क नही आया है। मैने उसमें भी और उस समय भी यही कहा थां कि प्रायरिटी एग्रीकल्चर को होनी चाहिये।

अब मैं काटेज इंडस्ट्री के बारे में कहता हूं। जरा गौर फरमाइये। कहां काटेज इंडस्ट्री और कहां आप ? इन दोनों में कोई मेल नहीं है। माननीय गुप्ता जी हों, चाहे माननीय बहुगुणा जी हों, या डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हों, या माननीय त्रिपाठी जी हों, या मेरी बहिन सुचेता जी थीं। सब ने जब कभी भी यह प्रश्न उठा, कम से कम 69 से तो मेरा यह तजुर्बा है ही कि जब मैंने यह कहा कि विलेज काटेज इडंस्ट्रीज पर इम्फैसिस दो लेकिन कहीं 5 लाख लड़कों को वजीफा, कहीं यह स्कीम और कहीं वह स्कीम। इस तरह की बातें चलती रहीं इससे काम चलेगा ? प्रोडक्टिव एम्प्लायमेंट तभी होगा जब मिल प्रोडक्शन पर काटेज इंडस्ट्रीज को प्रायरिटी दोगे। जब इसको स्टैंटुटरी प्रोटेक्शन दोगे तभी प्रोडेक्टिव एम्प्लायमेंट बढ़ेगा। लेकिन किसी ने इस बात को नहीं माना, न गुप्ता जी ने, न त्रिपाठी जी ने, न डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने। डाक्टर सम्पूर्णानन्द की जो बात याद आती है व यही है कि उन्होंने इसको बिलकुल तरजीह नहीं दी। फर्स्ट प्लान में जो डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के जमाने में बना था उसमें काटेज इंडस्ट्रीज को प्रायरिटी मिली थी। लेकिन क्या थर्ड प्लान और क्या फौर्थ प्लान सब को देखो सब में वह प्लान ऐटमास्फियर नहीं है, किसी में काटेज इंडस्ट्री पर जोर नहीं या प्रायरिटी नहीं है, तो कैसे प्रोडक्शन होगा। सेकन्ड प्लान में उस से कम, थर्ड में बिलकुल गायब है और कहीं जिक्र नहीं है। काटेज इन्डस्ट्रीज की बात तो ला महाला मैं कहूंगा भी नहीं। जब से हमने प्रचार किया हमने कहा है कि एग्रीकल्चर फर्स्ट, काटेज इन्डस्ट्रीज सेकेन्ड और हैवी इन्डस्ट्रीज थर्ड। 1957–58 में मैं आजमगढ़ गया, वहां पर 6 तहसीले हैं, हर तहसील में दो-दो मीटिंग्स हुई। माननीय राम बचन यादव मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले पब्लिक मीटिंग में कहा कि आवर रिडैम्पशन लाइज इन इन्क्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन (Our redemption lies in increased agricultural production) जिसका मतलब है कि बिना खेती के प्रोडक्शन के बढ़ाये हमें नजात नहीं मिलेगी, खेती की पैदावार की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाय। यह मैं हमेशा से कहता रहा हूं।

काटेज इन्डस्ट्रीज का मतलब आप क्या लगाते हैं ? काटेज इन्डस्ट्रीज भी पनपे और स्पिनिंग मिल्स भी लगें। इस प्रकार से काटेज इन्डस्ट्रो कैसे बढ़ सकती हैं ? स्पिनिंग मिल्स का मुकाबला चर्खा नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि काटेज इन्डस्ट्रीज बढ़ें तो फिर स्पिनिंग मिल्स न लगाइये और यदि आप स्पिनिंग मिल्स लगाते हैं तो फिर काटेज इन्डस्ट्री की बात करना अनरियलिस्टिक है, डिसीटफुल है। आपने लिखा है कि जितने काटज इन्डस्ट्रीज के वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाह फिक्स करेंगे कानून के जरिए। इसके लिये आपको एकोनौमिक फोर्सेज को रियलाइज करना होगा।

श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

आपने अभी कहा कि अगर चर्खे चलेंगे, स्पिनिंग मिल्स चलेंगी, तो काटेज इन्डस्ट्रीज नहीं चलेंगी। अगर चर्खे चलेंगे, और उनके साथ स्पिनिंग मिल्स चलेंगी तो तमाम चर्खे नहीं चल सकते हैं। मैं गोरखपुर से आता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती की एक छोटी

बैल्ट से खलीलाबाद है, जहां पर करघे चलते हैं और हिन्दुस्तान भर करघे का माल करोड़ों रुपये का सप्लाई होता है। ये पूरे करघे तब भी नहीं चल पाते हैं जबकि वहां पर स्पिनिंग मिल्स हैं, तो यह तो कन्ट्राडिक्शन हो गया आपके विचारों में ?

चौधरी चरण सिंह--

यह तो नहीं कहूंगा कि आप समझ नहीं पाये लेकिन यह कहूंगा कि मैं आपको नहीं समझा पाया ।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

हमारी गलती के लिये भी आप ही जिम्मेदार हैं ।

चौधरी चरण सिंह--

कभी-कभी जब लड़के भी ऐसे कूढ़ मग्ज के हो जाते हैं तो पंडितों को ऐसे पढ़ाना पड़ता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पता नहीं मेरे माननीय मित्र ने पढ़ी या नहीं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में श्री आर0 एम0 बर्ड ने 1846 में सेटिलमेंट ओपेरेशन किया था। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है कि पूर्वी जिलों की एकोनोमिक्स कंडीशन क्या थी। खलीलाबाद, मुहमदाबाद, मऊ नाथ भंजन, मुबारकपुर जितने भी वहा पर सेन्टर्स थे उनका जिक्र है एकोनामिक हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इन्डिया में। मैंने वह ओरिजिनल भी पढा है आर0 सी0 दत्त का जिसको पढ़ कर महात्मा गांधी रोये थे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान की काटेज इण्डस्ट्री को रुईन किया था। खेती के बाद सब से बड़ा वही रोजगार था। अब अगर वह नहीं चल पाती है तो उसका कारण मैंने यही बताया कि फैक्टरी प्रोडक्ट से काटेज प्रोडक्ट कम्पीट नहीं कर सकता। फैक्टरी को रोकना होगा तब काटेज प्रोडक्ट बचेगा। आप टैक्सटाइल फैक्टरीज को बन्द न करके, न नेशनलाइजेशन कर के केवल यह कहते कि अपने गुड्स को बाहर भेंजे तो यहां चर्खा, कर्घा अपने आप बढ़ जायगा। प्राइसेज अगर कुछ ऊंची रहें भी तो देश को हानि नहीं होगी, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल जायगा ।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

अगर स्पिनिंग मिल के बजाय वीविंग मिल की बात कही होती तो मेरी समझ में आता।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने हार मान ली। क्योंकि सदन में मैं कह रहा हूं तो माननीय मुख्य मंत्री आपसे कुछ नहीं कहेंगे अगर आप मेरे मकान पर आ जाइये और वहां सारी बातें समझ लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारे यहां से जो आपके घर जायेगा वह दूध पी के आयेगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह--

काटेज इण्डस्ट्री और स्पिनिंग मिल दोनों साथ-साथ नहीं चल सकतीं। दूसरे यह कि वही प्रोपेगैंडा, स्टन्ट कि देखिये, हमने सब मजदूरों की तनख्वाह फिक्स कर दी। काटेज लेबरर्स की भी तनख्वाह फिक्स करेंगे। काटेज इंडस्ट्री का मतलब ही यह है कि ऐन एन्टरप्राइज

[चौधरी चरण सिंह]

कैरीड आन बाई मेम्बर्स आफ वन फेमिली। वहां ह्वायर्ड वर्कर नहीं होते जिसकी आप तनख्वाह फिक्स करें। यही तो सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन चूंकि प्रचार है भारतीय लोक दल और और लोगों की तरफ से लिहाजा आप गांव और काटेज इण्डस्ट्री की भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि माइन्ड में कन्फ्यूजन है इसलिये न एग्रीकल्चर को बढ़ा सकेंगे न काटेज इण्डस्ट्री को बढ़ा सकेंगे। अब देखिये, माननीया इन्दिरा जी क्या कह रही हैं ?

"श्रीमती इन्दिरा गांधी टोल्ड दि पीपुल (आन दि फिफटीन्थ दिसम्बर, यह मैंने खुद बढ़ा दिया है) दैट कांग्रेस वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टु ब्रिंग एबाउट ए चेन्ज इन दि प्रेजेन्ट सोशियो-एकोनामिक आर्डर आन दि गांधियन लाइन्स"। "दिस इज ह्वाट वी काल ए रेवोल्यूशन ।"

कितनी बड़ी डिस्कवरी हुई है। अब गांधियन लाइन्स की बात इन्दिरा जी कह रही हैं। इसी एलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के कैन्डीडेट को सपोर्ट करते हुये उन्होंने कहा--बाकायदा स्पीच "टाइम्स आफ इंडिया" में रिपोर्ट हुई है--कि हम कम्युनिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी डोमेस्टिक और फ्रारेन पालिसीज एक हैं। दुनिया जानती है कि काटेज इंडस्ट्री का बात उन्होंने आज तक नहीं की। दुनिया जानती है कि वह एग्रीकल्चर जिसमें 70 फीसदी आदमी लगे हुये हैं उसके लिये फाइनेन्सेज का 21 परसेंट और हैवी इन्डस्ट्री जिसमें 30 परसेंट आदमी लगे हुये हैं उसके लिये 23 परसेंट फाइनेन्सेज लगाने की बात वह कहते हैं। तीसरी प्लान, चौथी प्लान और पांचवीं प्लान जो फेल हो गयी, सब में यही रेश्यो है और अब आप कहने लगे कि मैं तो गांधियन लाइन्स पर चल रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर बोले, चीफ मिनिस्टर बोले, जो उनकी पालिसी है उसको साफ करें। गांधियन लाइन्स और सोशल लाइन्स, दे आर अगेन्स्ट ईच अदर। कौन सी ए0 आई0 सी सी0 की मीटिंग में गांधियन लाइन्स पर चलने का इरादा आपने किया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बता दूंगा, अभी नहीं बाद में। मैं जवाब दूंगा बाद में। मैंने जो चिट्ठी आपको भेजी है उसे देख लें। जिस चीज की आप चर्चा कर रहे हैं उसका मैंने जवाब दिया है।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

क्या जवाब दिया है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरी राय पाजीटिव से निगेटिव नहीं हो सकती। मैंने अपने मूल पत्र आपको भेजे हैं, आप देख लें। उसमें यह नहीं कहा है कि गांव की हालत बहुत अच्छी हो गयी है. . . . .

चौधरी चरण सिंह--

तो फिर मुझसे आप ऐग्री करते हैं न कि गांव वालों की हालत शहर वालों से खराब है ।

अब आप लेबर पालिसी को लीजिये। जिस फैक्टरी में लाभ न हो तो भी बोनस। इससे कैसे काम चलेगा ? अगर आप तब भी दिलवायेंगे तो फैक्टरी वाले गुड्स की कीमत बढ़ा लेंगे और जब गुड्स की कीमत बढ़ेगी तो वह जनता की जेब से जायेगा। जो भी सैलरी

वगैरह आप बढ़ायें वह रिलेटेड होना चाहिये लेबर प्रोडक्टिविटी से। जार्ज फर्नांडीज ने मुझे बताया कि स्ट्राइक करने के कारण अब अधिकतर लेबरर्स इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं। आपकी लेबर पालिसी बहुत गलत है। उसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।

नेशनालइजेशन को लीजिये। उससे कितना नुकसान हुआ है। कलकत्ता के एक बडे लीडिंग लाइयर मुझ से मिले थे। कोयले की एक छोटी सी खान के मालिक उनके क्लाइन्ट थे। उन्होंने मुझे बताया कि उस खान से मालिक को 36 लाख रुपये का मुनाफा होता था और वह 25 लाख इन्कम टैक्स में देता था। जब से कोयले को नेशनलाइज किया सरकार को इस टैक्स का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही प्रोडक्शन घट गया, क्वालिटी खराब हो गयी और क्वालिटी खराब होने के कारण केसा का थर्मल प्लान्ट नहीं चल रहा है, उसका असर पावर पर भी पड़ा है। तो उद्योग और पावर दोनों पर ही उसका असर पड़ा है। यह है आपकी पालिसी। मगर आपने तो कसम उसकी खा रखी है या बीट खा रखी है. . . .

(व्यवधान)

मैं थोड़ा समय लूंगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन को लीजिये। उसमें खराबियां हैं। उसके कारण क्या हैं उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिये। खराबी का पहला कारण यह है कि मिनिस्टर्स अगर एफीशियेन्ट नहीं होंगे तो प्रशासन अच्छा नहीं हो सकता। दूसरे आपको आफिसरों को पावर्स देनी होंगी। कोई भी अधिकारी जब अपनी ड्यूटी को निभायेगा तो उसे पावर्स की जरूरत होगी। पावर्स आप दोते नहीं। आप पावर करटेल कर देंगे तो वह सर्विस नहीं कर सकेगा। इस तरह से जनता के साथ अन्याय होगा। अगर इसके लिये कोई रुल नहीं है तो यह आपके ऊपर है कि आपका जजमेंट क्या हो, किसी मामले में इस सब इन्सपेक्टर ने या सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने जो रिपोर्ट लिखी है उसके सही होने की सम्भावना है या सही होने की सम्भावना नहीं है। तो माफ कीजियेगा, आपने उसको डेवलप नहीं किया। मैं कहता हूं कि एक ऐसा इत्तिफाक है कि मेरे यहां के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बिजनौर के श्री ऋषिबल्लभ को जहर दिया गया है। फैक्ट्स, फीगर्स, सरकमस्टेंसेज सब बतलाये और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि नहीं। वह बहुत अच्छा पब्लिक का वर्कर रहा है, उसका नाम याद करके बड़ी तकलीफ होती है कि उसे जहर दिया गया। तो क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आशा करूं कि उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर उनकी कड़ी निगाह हो जायेगी जिसने इस गलत रिपोर्ट को मेजा? अगर यह काम कर दीजिये तो इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसी गलत रिपोर्ट नहीं मेजेगा। लेकिन आपकी यह हिम्मत नहीं है, मुझे पता है आप इसे नहीं कर सकेंगे। मैंने सुना है कि वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आफिशिएटिंग है जब कि कई सीनियर उससे पड़े हुए हैं जिनको वहां नहीं रखा गया। जैसा कि मुझे मेरे दोस्तों ने बतलाया, बिजनौर के, कि वह बड़ा नाकाबिल आदमी है जिसने यह रिपोर्ट दी है और अभी भी उसके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं। तो यह जजमेंट आपका होना चाहिये। माननीय मंत्री जी इसको बुरा न मानें, मैं यह कह सकता हूं कि जब तक आप इस तरह से कोशिश नहीं करेंगे यह जानने की कि रिपोर्ट वास्तव में गलत है या सही है तब तक आपका डिसीजन गलत होगा। डिसीजन हर आदमी का गलत हो सकता है। रिपोर्ट को तसलीम करने में भी गलती हो सकती है। अगर आपने रिपोर्ट को गलत तसलीम कर लिया और उसके बाद भी उसे सजा नहीं देंगे तो ऐडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव नहीं करेगा। फिर भी आप चाहते हैं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाय।

[चौधरी चरण सिंह]

इटावा के सम्बन्ध में ही मैंने पढ़ा कि पुलिस ने बहुत कम बल का प्रयोग किया जहां नौटंकी का तमाशा हो रहा था। वहां लड़कों को पीटा गया, लड़के चले गये, कोलेज पहुंचे, वहां फिर लड़कों को पीटा गया। कहा यह गया कि लड़के पथराव कर रहे थे। मोटी सी बात जानने की यह है कि लड़के किस पर पथराव कर रहे थे, खाली दीवार पर पथराव कर रहे थे ? कहा जाता है कि वह स्थान कालेज से 4 फर्लांग पर था, जैसा कि श्री मुलायम सिंह ने बतलाया, मैं उसको 2 फर्लांग ही माने लेता हूं। लड़कों ने अपना दरवाजा बन्द कर लिया था लेकिन वहां भी उनको पीटा गया। उस कालेज के मैनेजर श्री नफीसुल हसन हैं जो आपके पूर्वाधिकारी रह चुके हैं, हमारे स्पीकर रह चुके हैं। वे उस मौके पर वहां आये, बुड्ढे आदमी, पुराने पब्लिक मैन हैं, लेकिन उनकी बात भी डी0 आई0 जी0 और कमिश्नर द्वारा ठुकरा दी गयी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस इंसिडेंस को जानने की क्या वे कोशिश करेंगे कि कमिश्नर और डी0 आई0 जी0 ने श्री नफीसुल हसन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। जैसा कि कहा गया है कि उनको बैठने के लिये कुर्सी तक नहीं दी गयी, तो अगर कुर्सी नहीं दी तो उनसे जवाब तलब होना चाहिये।

यहां एक पर्सनल बात मुझे कहनी पड़ती है। 7-12-60 को जब मैंने होम डिपार्टमेंट लिया, फरवरी में सेशन होने वाला था, इस बीच में मैंने कुछ स्टेप्स लिये। मैंने, प्रेस वालों को कहा कि मुझे खुशी होगी अगर आप लोग मुझे इनकी गलतियों को बतलायेंगे। मैंने आई0 जी0 को हर जिले में भेजा और कहा कि वहां जाकर वे मेरी बात बतलावें और उनसे सजेशन्स लें कि क्राइम कंडिशन किस तरह से सुधारी जा सकती है। वहां की क्राइम कन्डीशन जो है वह बतलायें और उस पर विचार करें और जो पुलिस की कमजोरियां हों जो उसके लिमिटेशन्स हों वह बयान करें। नतीजा यह हुआ कि क्राइम कन्डीशन में बहुत अच्छा सुधार हुआ। मैंने 2-3 के ऊपर ऐक्शन भी लिया आप फरवरी-मार्च की प्रोसीडिंग देख लें उसमें सब कुछ है। श्री कृष्ण पालीवाल, गेंदा सिंह जी थे उस समय अपोजीशन में उन्होंने उस समय की पुलिस की सराहना की है। मुझे माफ करिये, मैं माफी चाहता हूं मैंने अपनी परसनल बात रखी है। आज होता यह है कि पनिशमेंट ज्यादा दिया जाता है पर क्राइम बढ़ते ही जाते हैं।

आप देख लीजिये मेरे जमाने में और पिछली सरकार के जमाने में मेरे जमाने में क्राइम और पनिशमेंट दोनों कम थे। क्राइम कन्डीशन में जमीन आसमान का अन्तर पड़ गया था। पनिशमेंट देने से इफीशियेंसी में फर्क नहीं आता है। 100 में से 2 को पनिशमेंट देने से इफीशियेंसी बढ़ सकती है लेकिन केवल पनिशमेंट देने से काम नहीं चल सकता है। हमारे अफसर को यह मालूम होना चाहिये कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमारी सिफारिश से काम नहीं चलेगा। अगर वह अच्छा काम करता है तो आपको उसकी पीठ ठोकनी चाहिये आप देखेंगे कि ऐसा करने से वह कितना काम करता है। पर आज जो कांग्रेस मैन करते हैं वह बिलकुल नहीं करना चाहिये। अगर कोई काम करना चाहता है, ईमानदारी से काम करता है तो उसकी शिकायत कर दी जाती है उसका ट्रान्सफर हो जाता है। आज अफसरों का इनीशियेटिव खत्म हो गया है। यह सोच कर वह काम नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं... वह लिख रहे हैं। लिख लें तब कहूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

आप चौधरी साहब कहिये मैं सुन रहा हूं।

चौधरी चरण सिंह---

आप तरीके में सुधार कर लीजिये। बोलने की जरूरत नहीं है।

हां तो मैं इटावे की बात कर रहा हूं। वहां की बाबत जो कुछ पूछा गया था उसका ठीक जवाब नहीं दिया गया है। सतीश चन्द्र वहां का पुलिस सुपरिन्टेडेंट, ईमानदार आदमी है। वह बदमाशों के खिलाफ ऐक्शन कैसे लेता। आपका एम0 एल0 ए0 शिकायत कर देता है, उसका ट्रान्सफर हो जाता है। ऐसी हालात में वह काम ठीक कैसे कर सकेगा। वह कांग्रेस मैनों को खुश करे या अपना काम करे। आज आपके एम0 एल0 ए0 हैं, सरकार में चाहे जो कुछ करें। पर एम0 एल0 ए0 को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टरफियर नहीं करना चाहिये। स्वर्गीय श्री राज गोपालाचारी जब चीफ मिनिस्टर हुये तो उन्होंने एम0 एल0 ए0 से कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने का तुम्हारा हक नहीं है। तुम पालिसीज बनाओ, कांस्टीट्यूशन का अध्ययन करो, पर डिपार्टमेंट केसेज में कि इनका ट्रांसफर कर दीजिये या उनका ट्रान्सफर कर दीजिये इसमें दिलचस्पी न लो।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मातहत जब यह समझता है कि जो हमारे ऊपर है वह ईमानदार नहीं है तो वह बेईमानी करता है। घूस लेता है, सोचता है कि. बाद में अफसर को मक्खन लगा लेंगे ब्राइव करेंगे। तो अगर अफसर ठीक है तो उस आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह किसी से घूस ले या किसी को ब्राइव करे। अगर उसको यह ख्याल है कि हमारा अफसर घूस लेने से नाराज होगा तो उसकी मजाल नहीं है कि वह ऐसा कर सके। आप सब जवाब मुझे बहुत अच्छी हिन्दी में दे देंगे, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरे तजुर्बों के आधार पर दुहाई देते हैं, उलाहना देते हैं।

दूसरी बात मैं कहना जाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में यह जरूरी है कि जो लोग हैं उनमें तो मारल होना ही चाहिये पर इससे कहीं जरूरी है कि पोलीटिकल लीडर भी मारेल का इनज्वाय करते हुये काम करें। तभी यह संभव है कि आपको देखकर, मिनिस्टर को देखकर एम0 एल0 ए0 को देखकर तब कहीं आफिसर के दिल में आदर पैदा होगा और अच्छा काम करेंगे। यदि मिनिस्टर के कारनामे खराब हैं तो आफिसर के दिल में भी वैसी बात होगी। और इस प्रकार प्रशासन नहीं चलेगा। चार-पांच मर्डर लखनऊ में हो चुके हैं परन्तु अभी उनका कुछ पता नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उसमें इन्क्वायरी हुई कि अभी नहीं? कोई फाइल होम सेक्रेटरी के वहां चली कि नहीं, कभी आपने कौल साहब को बुलाकर पूछा कि किसी की इनइफीशियन्सी तो नहीं है। यदि यह करते तो सब ठीक हो जाता मगर नहीं किया। यदि आपकी समझ में आ भी जाय कि फलां आफिसर इनइफिशियेन्ट है तो आपकी मजबूरी है कि आप ऐक्शन नहीं ले सकेंगें। मैंने अपने समय में 27 सालों से जो चीज चली आ रही थी जैसे कि बड़े-बड़े आफिसरों के ट्रान्सफर 27 सालों से नहीं हुये थे उनको मैंने 3 महीने के अन्दर ट्रान्सफर किया। लखनऊ में एक अधिकारी 29 वर्ष से काम करता आ रहा था चुंगी की आमदनी बहुत कम हो गयी थी। तो उसका ट्रान्सफर किया और उसकी जगह पर श्री महाबीर सिंह को

[चौधरी चरण सिंह]

एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। मैं जानता था कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है? इसी प्रकार इलाहाबाद में एक 27 वर्ष से काम करता आ रहा था उसका ट्रान्सफर कर दिया। इसके लिये एक मिनिस्टर का टेलीफोन आया कि फलां व्यक्ति यह चाहता है। इस पर विचार कर लें। मैंने कहा कि नहीं। नतीजा यह हुआ कि आमदनी बढ़ गयी।

मान्यवर, एक साहब का मरडर का केस चला। 1961 में होम मिनिस्टर था और एडिशनल आई0 जी0 बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। श्री मिश्रा एडिशनल आई0 जी0 मेरे पास आये कि इस तरह का मरडर केस है। मैंने पूछा कि इविडेन्स है तो उन्होंने कहा कि है। तो मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि केस ठीक है और फिन्गर प्रिन्ट्स जांच के लिये गये हैं। इस प्रकार वह विलकुल अपनी जगह ठीक थे। वह गवर्नमेंट आफ इन्डिया में आई0 जी0 बनकर जा रहे थे परन्तु मैंने उनको जाने से रोका। परन्तु उन्होंने कहा कि चौधरी साहब मुझको वहां जाने दो। यहां सब-वरजन और कम्युनल सब-वरजन हो रहा है। मैंने कहा कि तुम मैनपुरी के रहने वाले हो इसलिये यहां रह जाओ और मैं गुप्ता जी से कहकर एडीशलन आई0 जी0 बनवा दूंगा। मैंने कहा कि जब तक मैं होम मिनिस्टर हूं तब तक आप अपने कानशस से काम करें और देश के हित में काम करें। किसी व्यक्ति विशेष का हित न देखें। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने नौजवान मुख्य मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि सभी लोग मारटल हैं, देश इममारटल है, इसलिये जितने दिन भी रहें ईमानदारी के मुताबिक देश के हित में कार्य करें, तो लोग तारीफ करेंगे और आपके जमीर को सैटिसफैक्शन होगा। किसी अल्टीरिअर कन्सीडरेशन की परवाह न करो। अब प्रमोशन में कास्ट भी देखी जाती है। मेरी कास्ट के छोटे-छोटे सब इन्सपेक्टर हैं। मैंने उनके कहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। छोटा से छोटा एस0 ओ0 अल्मोड़ा भेज दिया जाता है। कुछ आफिसर्स यह समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट है। मैं नहीं कहता कि आपकी मन्शा ऐसी है लेकिन 69 से हुआ यही है। पता लगा है कि कांग्रेस मैन आर नाट इक्वल। दे आर मोर इक्वल दैन अदर्स। तो यह फीलिंग नहीं होना चाहिये। कि हम फलां बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ ज्यादा रियायत होगी।

मुझे मालूम हुआ है कि जो मौजूदा आई0 जी0 हैं, उनका 31 दिसम्बर की पीरियड खत्म हो रहा था। उसके लिये आदेश दिये गये हैं....ही में कान्टीन्यु अनटिल फर्दर आर्डर्स। क्या यह सही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां।

चौधरी चरण सिंह--

तो मैं जानना चाहता हूं कि वह तो एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं। मैं उनको जानता हूं.....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

खराब आदमी हैं?

चौधरी चरण सिंह—

नहीं एन्ड यट नो एक्सटेन्शन शुड बी गिविन। एक्जीक्यूटिव जाब वाले को इक्सटेन्शन नहीं दिया जाना चाहिये। सरकार की शुरू से यह पालिसी है कि इक्सटेन्शन टेक्निकल जाब वालों को ही मिले। इसलिये जहां तक मुझे याद पड़ता है किसी आई० जी० को इक्सटेन्शन नहीं मिला है। अच्छे से अच्छे डी० आई० जी० मौजूद हैं। सभी जानते हैं कि इक्सटेन्शन क्यों दिया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

आप बतला दीजिये।

चौधरी चरण सिंह—

सभी जानते हैं जब उन पर पड़ेंगे तो जान जायेंगे। आफिसर अच्छा है, डी० आई० जी० मेरे सामने रहा है, लेकिन आई० जी० को एक्सटेन्शन देना ठीक नहीं है। यह आफिसर उस डिफिनीशन को पूरा नहीं करता है कि एक्सटेंशन दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मन्त्री जी तो कह चुके हैं कि 50 वर्ष से कम वाले अधिक एफीशिएन्ट हैं तो कौन सा जादू पहुंचा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय माधव बाबू, आपका अनुग्रहीत हूं यदि आप चौधरी साहब का टाइम न खराब करें।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं अब नहीं कहूंगा। राटेन एड-मिनिस्ट्रेशन के कारण बहुत सी बातें रह गयीं। एक प्वाइन्ट अटीट्यूड आफ कांग्रेस मैन के बारे में है, लेकिन मैं अब नहीं बोलूगा और सदन का समय और ज्यादा नहीं लूंगा।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं माननीय त्रिपाठी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष, महोदय,

उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये प्राप्त नामांकन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके पहले कि माननीय राजजेन्द्र कुमारी बाजपेयी बोलें, मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये 5 नाम आये हैं।

नाम इस प्रकार हैं —

(१) श्री श्री असरार अहमद,
(२) श्री हरीश कुमार गंगवार
(३) श्री शिव प्रसाद गुप्त,
(४) श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा,
(५) श्री नजीर अहमद।

चुनाव कल होगा।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)

खाद्य एवं रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) —

माननीय अध्यक्ष जी माननीय नेता विरोधी दल ने अभी अपने भाषण के आरम्भ में यह कहा कि यों तो वह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मन्त्रीजी की चुनौती अखबारों में पढ़ी इसलिये कुछ प्रोवोक होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वह विरोधी दलों के अन्य साथियों के साथ अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहते हैं और जो मुख्य मन्त्री जी की चुनौती है, उसका जवाब देना चाहते हैं ?

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

जवाब नहीं, चुनौती स्वीकार करता हूं। जवाब तो मलिक देंगे। उस चैलेन्ज को पढ़कर मेरी कर्त्तव्य-बुद्धि जाग गयी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

जब चौधरी साहब समझते हैं कि मुख्य मन्त्री जी की चुनौती का जवाब मलिक दे सकते हैं तो हमारे दल के बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों का जवाब दे लेंगे। मैं तो, चौधरी साहब ने जिन बातों को रखा उनके बारे में कहना चाहती हूं कि जब कोई भी बात प्रोवोक होकर कही जाती है तो उसमें विवेक नहीं होता और उस वक्त मनुष्य कुछ गुस्से से या नाराजगी से बातें कह जाता है। लेकिन इस बारे जो कुछ कहा बड़े ह्यूमर में और बहुत हंसी के मूड में कहा और उन शब्दों में कहा जो साधारणतया वह नहीं इस्तेमाल करते।

चौधरी चरण सिंह—

शुक्रिया। लेकिन मैं अब जा रहा हूं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

अभी चौधरी साहब कह रहे थे वह प्रजातन्त्र में यकीन करते हैं। तो प्रजातन्त्र में यह है कि जब दूसरे की आलोचना की जाय, तो उसका जवाब भी सुनना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह—

अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाता।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

नहीं चौधरी साहब, इसमें जिद की बात नहीं। आपकी तबियत ठीक नहीं है, आप जायं। कोई खास बात नहीं है।

चौधरी चरण सिंह—

राजेन्द्री जी, आप यह तो मानेंगी कि मैं बहस से भागने वाला नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

चौधरी साहब, आपकी तबियत ठीक नहीं, आप जायं, ऐसी कोई बात नहीं है बहस से भागने का सवाल तो उठता ही नहीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

चौधरी साहब ने पहले तो आरम्भ किया प्रधान मन्त्री से। फिर उसके बाद आखिरी हिस्से में वह आये। आरम्भ करने के बाद वह यह तर्क प्रस्तुत करने लगे, जो कि ज्यादातर अपने सेल्फ डिफेन्स में रहा और वह बतलाते रहे कि वह "कुलक्स" नहीं है और इसके लिये उन्होंने उन सब बातों को बताया जो कि, जब वह कांग्रेस के पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी की हैसियत से या कांग्रेस के मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे थे, उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया एक स्वांस में कि जहां उत्तर प्रदेश का जमींदारी एबोल्यूशन ऐक्ट सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी है, वहीं और उसके ही नमूने पर दूसरे सूबों में जमीमारी एबालिशन एन्ड लैन्ड रिफार्म का काम

हुआ और उसके लिये सबने उत्तर प्रदेश की नकल की। इसका श्रेय तो वह ले गये कि उत्तर प्रदेश में जो लैन्ड रिफार्म हुआ उसके बनाने वालों में चौधरी साहब ही थे। लेकिन आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में कृषि पर जितना ध्यान देना चाहिये था वह नहीं दिया गया और उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया गया और उसके लिए कुछ आंकड़े उन्होंने फाइव ईयर प्लान से भी कोट किये। इस तरह से उन्होंने कोई नई बात सदन के सामने नहीं रखी। पिछले दो वर्षों के अन्दर चौधरी साहब की जो स्पीचेज सदन के अन्दर हुई हैं और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों पर जब वह बोलते हैं तो वह विशेष रूप से यही कहते हैं कि उद्योग के ऊपर जितना ध्यान देना चाहिये था या जितना प्रतिशत बजट का खर्च करना चाहिये था वह नहीं किया गया और उसकी अपेक्षा हैवी इन्डस्ट्री पर ज्यादा खर्च किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया काटेज इन्डस्ट्रीज या दस्तकारी पर गांधी जी जोर दिया करते थे उसको कांग्रेस वाले भूल गये। चौधरी साहब को इस बात पर भी आपत्ति है कि हमारे नेता प्रधान मन्त्री ने यह क्यों कहा कि वह सोशियो-इकोनामिक चेंज लाने के लिये बेस्ट एफर्ट कर रही हैं। इस तरह से ये तीन-चार आपत्तियां उन्होंने उठाई। साथ ही यह भी कहा कि देश आज अन्तर राष्ट्रीय दृष्टि से अथवा आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर हो रहा है उसका कारण वह नीतियां हैं जो कांग्रेस की सरकारे अमल में ला रही हैं चाहे केन्द्रीय सरकार हो अथवा प्रान्तीय सरकारें। यह मुख्य रूप से उनका कहना था।

आखिर के 15 मिनट में उन्होंने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी कही। मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहना चाहूंगी कि आज जो हमारी नीतियां हैं जिनके आधार पर कांग्रेस की सरकार सोशियो इकोनामिक रिवोल्यूशन ला रही है वही कि सही रास्ता है और उसी रास्ते पर चलने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे जो विरोधी दल के लोग हैं वह उसमें रुकावट न डालें। यह कहा गया कि प्रधान मन्त्री जी यह कहती फिरती हैं कि यह अपोजीशन वाले इसमें रुकावट डालते हैं। ऐसा उन्होंने जो कहा है वह इस सन्दर्भ में कहा है कि इस देश में जो आर्थिक अथवा सामाजिक परिवर्तन लाना है और उसके लिए हमने जो प्रजातांत्रिक ढांचा तैयार किया है आजादी के बाद जिस संविधान के अन्तर्गत हमने जनता को अधिकार दिया है उस प्रजातन्त्र को अगर हिलाने की बात की जायगी, उसे विरोधी दल के द्वारा समाप्त करने की बात की जायगी, इस तरह का जो प्रजातन्त्र की मान्यतायें हैं उनको समाप्त करके जनता की सही आवाज को रोका जायेगा उठने से तो उससे इस देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में जो रुकावट आती है अथवा आयेगी उसके लिये विरोधी दल ही जिम्मेदार होगा। इस सन्दर्भ में हमारी प्रधान मन्त्री ने विरोधी दल के जिम्मेदार होने की बात कही है और मैं इस बात को मानता हूं कि आज जिस प्रकार से प्रवृत्तियां उभड़ रही हैं। हमारे देश में उसको देखते हुये अगर चौधरी साहब यह मानते हैं कि एक तरफ शासक दल होता है और दूसरी तरफ विरोधी दल का भी प्रजातंत्र में होना जरूरी है तो उससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन क्या यह कांग्रेस वालों की गलती है ? पिछले 25 वर्षों में सन् 52 से हम लगातार नये संविधान के अनुसार जो चुनाव करते चले आ रहे हैं उसमें विरोधी दल क्यों ठीक से उभड़ कर नहीं आया है ? क्या उसमें भी कांग्रेस की ही गलती है या विरोधी दलों की अपनी कमजोरी है। वे कांग्रेस के सामने एक सशक्त, सही और ठीक तरह की नीतियों के अनुसार चलने वाला विरोधी दल क्यों नहीं तैयार कर सके ; प्रजातंत्र में बराबर चुनाव में आया जाता है। चुनाव से वह पार्टी नहीं घबड़ाती है जो प्रजातंत्र में पूरी तरीके से यकीन करती है। इसीलिये प्रधान मंत्री ने सन् 71 में लोक सभा का चुनाव कराया था और 14 महीने पहले चुनाव कराया था और अपनी नीतियों को लेकर वह जनता के सामने आयीं थीं। उनको परेशानी नहीं थी कि क्या चुनाव में होने वाला है या नहीं होने वाला है। जो नीति-विहीन गठबन्धन हमारे विरोधी दल के लोग कर रहे थे उसके पीछे क्या भावनायें थीं उसको भी आपने देख ही लिया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

अभी जय प्रकाश बाबू जिनका नाम हम बड़े आदर्श से लेते हैं जब वे बनारस में आये थे तो उन्होंने कहा कि आज जो लोग क्रांति करना चाहते हैं या जिनकी क्रांति की भावना है उसके पीछे जो लोग अगर यह सोचते हैं कि किसी एक खास व्यक्ति को कहीं का मुख्य मंत्री बना देना है या किसी गद्दी पर बिठा देना है तो इस भावना को लेकर वह बात नहीं करना चाहते हैं। इससे विरोधी दल के अन्दर एक हलचल सी मची। मैं यह कहना चाहती हूं कि अवसरवादिता से विरोधी दल नहीं बन सकता है और न ही पनप सकता है जो कि आज प्रजातंत्र में अपना पार्ट अदा करना चाहते हैं ..... (श्री सत्यपाल मलिक के खड़े होकर कुछ कहने पर). मैं जानती हूं कि चौधरी साहब मलिक साहब को हाउस में छोड़ गये हैं लोगों को जवाब देने के लिये, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि उनका भी अवसर आयेगा। उस समय वे जवाब दे लें। इस समय तो वे सिर्फ नोट कर लें कि क्या-क्या जवाब उनको देना है। मान्यवर, मैं यह कह रही थी कि जो विरोधी दल का पार्ट होना चाहिये वह आज इस देश में नहीं हो रहा है...

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

जय प्रकाश नारायण का नाम माननीय मंत्री जी ने लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जय प्रकाश नारायण पर मंत्री जी के क्या विचार हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं तो यह कह रही थी कि स्वयं जय प्रकाश बाबू ने ही विरोधी दल की जो भावनायें हैं उनको खोलकर जनता के सामने रख दिया है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में भारतीय जनसंघ या आर० एस० एस० ने उसका कुछ फायदा उठाया लेकिन जनता जो कि प्रजातंत्र पर विश्वास रखती है स्वयं चतुर और सजग है और वह जानती है कि वह किन्हीं दलों या लोगों के हथकन्डों में फंसने वाली नहीं है। चुनाव के वक्त स्वयं जनता इसका जवाब देगी। इस देश और प्रदेश में किसी खास तरीके की सरकार, किन्हीं नीतियों की सरकार या किन्हीं आर्थिक या सामाजिक नीतियों पर चलने वाली सरकार चाहिये। इसका फैसला जनता चुनाव के मैदान में करती है। चौधरी साहब ने जो यह कहा कि हमारी नेता इंदिरा गांधी बार-बार विरोधी दलों के ऊपर ही प्रहार करती हैं उसी के जवाब में मैंने यह बातें आपसे कहीं हैं।

दो-तीन बातें जो आर्थिक दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखती हैं, उनके बारे में मेरा कहना यह है कि जब हमारे देश में इतना पिछड़ापन है या गरीबी है या हमारा प्रोडक्शन पीछे है चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो या उद्योग के क्षेत्र में हो तो फिर उस वक्त यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी योजनाओं को इस प्रकार से बनायें जिससे एक दूसरे के साथ कोआ-र्डिनेशन करते हुए देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ले जा सकें। यही कारण है कि जहां कृषि के क्षेत्र में आप आंकड़े देते हैं कि 21 प्रतिशत खर्च हुआ है और इडस्ट्रलाइजेशन पर ज्यादा हुआ तो उसमें आप यह नहीं सोचते हैं कि आज खेती जो है केवल हल बैल से होने वाली नहीं है। आज का किसान ट्रैक्टरों से खेती करने वाला है। ट्रैक्टर बनाने के लिये कल-कारखानों की आवश्यकता होगी और उसमें लगने के लिये लोहे की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें स्पात कारखाने लगाने होंगे। तो इसलिए जहां पहली योजना में बांधों पर जोर डाला गया जिससे कि सिंचाई के लिये अधिक नहरों का फैलाव हो, बिजली उत्पादन हो उसके लिए हर प्रदेश में बड़े-बड़े बांध बनाये गये और उसके द्वारा कई हजार मेगावाट बिजली पैदा हुई। उसके बाद दूसरी योजना में विशेष जोर स्पात और लोहे के कारखानों पर दिया, बड़े-बड़े उद्योगधंधे और मशीनरी बन सकें जिससे आगे चल कर उद्योगीकरण देश का हो और देश के लोग अपने पांव पर खड़े हो सकें, उनको काम मिल सके। तो यह कहना कि कृषि में केवल नलकूप या इरिगेशन के लिये खर्च किया जाय बाकी चीजों पर खर्च न हो यह उचित नहीं है। कहा जाता है कि दूसरे प्रकार की इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा खर्च हुआ और कृषि

पर कम हुआ या उनका कृषि से कोई संबंध नहीं, इस बात को मैं सही नहीं मानती हूं। उसे हम आर्थिक विकास की बात जो है नहीं करते हैं। तो यह एक गलत आर्गूमेंट रखने की बात की जाती है।

माधव बाबू ने भी अपनी स्पीच में कहा कि यहां पर कुछ पौष्टिक आहार की योजना थी उसमें फाइनेंस ने रोक लगा दी जिससे गरीबों पर वह खर्च नहीं हुआ और इसी तरह से दूसरी चीजें नहीं की गईं। हमारे प्रदेश में मैं ऐसा मानती हूं कि जितनी उपज है, जितना खाद्यान्न होता है, सब प्रकार के अनाज को मिलाकर हम देखें चाहे वह रबी की फसल है या खरीफ की है रबी में तो गेहूं मुख्य रूप से आता है और खरीफ में चावल मुख्य रूप से आता है उसमें ज्वार, बाजरा और मक्का भी आता है तो उन सब खाद्य सामग्री को मिलाकर आंकड़े यह बताते हैं कि हमारी जो आवश्यकता है उससे हम कुछ ज्यादा ही पैदा करते हैं, कम नहीं है। अब थोड़ी सी कमी हो जाती है तो उसको पूरा किया जाता है। पिछले वर्ष हमने उस बचत से पूरा किया। तो इतनी कमी कहीं पर नहीं है जो है उसको पूरा किया जाता है। भुखमरी है या खाने के वगैर लोग परेशान हैं आदि-आदि बातें कहना उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश तो थोड़ा सा सरप्लस स्टेट है अगर पूरे खाद्यान्न को मिला कर देखा जाय। लकिन पूरे देश में भी इतनी कमी नहीं है। जितनी कमी विरोधी दल के लोग बढ़ा चढ़ा कर अकसर बतला देते हैं जिससे कि एक साइकोलोजिकल भय पैदा हो जैसे कि बहुत कमी हो गई हो।

आज के वैज्ञानिक युग में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने यहां उद्योगों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करते है और उसके बदले खाद्यान्न दूसरे देशों से ले आते हैं। हमारे आल इंडिया स्टेटीस्टीक्स में आप देखें तो उसमें इतनी कमी नहीं है बहुत थोड़ी सी है दो या तीन परसेंट से ज्यादा वह नहीं आती है और उसको यदि हम दूसरे देशों से मंगाकर उसके बदले उन्हें अपने देश में बनी हुई चीजें, जैसे चीनी आदि देते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारे यहां जब प्रोडक्शन बढ़ा कृषि की तरक्की हुई, ईख की पैदावार में बढ़ोत्तरी हुई, कल कारखाने बढ़े, तो चीनी बाहर भेजकर हम उसके बदले में अपने देश के लिये आवश्यकता की चीजें ले भी सकते हैं। इसमें न कोई चोरी की बात है, न निन्दा की बात है और न शर्म की कोई बात है। यह लेन-देन तो चला ही करता है, और हमेशा से चलता रहा है। बड़े से बड़े देश ऐसा करते हैं। समय पड़ने पर अमेरिका-रूस आदि बड़े देश भी एक दूसरे से अपनी आवश्यकता का सामान मंगवाते हैं। तो इसको इस रूप में लेना कि बाहर से अनाज मंगा लिया तो कोई बुरा काम कर रहे हैं या उसे जनता से छिपाना चाहते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसकी हमने जिम्मेदारी ली है कि निश्चित कीमत पर जनता को देंगे, उसके लिये हम व्यवस्था करते हैं, तो इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। इसमें प्रदेश और केन्द्र सरकार के लिये कोई परेशानी की बता नहीं आती है। चौधरी साहब ने अभी मजाक के ढंग पर कहा, कल जब पानी बरसा और अखबारों में निकला कि उत्तर प्रदेश में बम्पर क्राप होने जा रही है या इस साल अच्छी क्राप होने वाली है, तो इससे खाद्य संकट हमारे यहां नहीं रहेगा तो यह खुशी की बात नये वर्ष में हुई, तो उस बात को उन्होंने बड़े व्यंगात्मक ढग से इस सदन में कहा। कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके साथ विरोध पक्ष को भी एमोशिएट करना चाहिये।

एक बात माधव बाबू ने कही कि हमारे जो डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की धाराएं हैं, उनके अनुसार हम अमल नहीं कर रहे हैं। मैं उनको थोड़े में याद दिलाना चाहती हूं कि सन् 71 में पार्लियामेंट भंग करने के पहले जबकि प्रिवी पर्स समाप्त करने का ऐक्ट आया था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बिल आया था, तो उन्हीं डाइरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने की दिशा में वह प्रधान मंत्री का एक शानदार कदम था। इसका उनके (जनसंघ) दल और अन्य विरोधी दलों ने विरोध किया था। और जब एक वोट से प्रिवी-पर्स के मामले में राज्य सभा में हमारी हार हुई थी, तो १४ महीने पहले उन्होंने चुनाव कराया था। उसके फलस्वरूप हमारी बहुत अच्छी मेजारिटी आई और उससे हमने संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये। जिनके अनुसार जो प्रापर्टी राइट्स हैं, कम्पेन्सेशन के राइट्स हैं, उनमें परिवर्तन किया। इस

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

तरह से हमने डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के मार्ग में जो हार्डिंग्स थ, रोड़े थे उनको दूर किया। उनसे ही आज मार्ग खुला है कि हम गरीब और बेसहारा लोगों के लिये, जिनके लिये माधव बाबू ने हमदर्दी दिखाई— उन्होंने कहा कि लोगों को दवायें नहीं मिलती हैं, ठीक से लोगों को खाना नहीं मिलता है, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता है, मकान की बात तो बहुत दूर है। लेकिन जब हम उन लोगों की व्यवस्था करन के लिये मार्ग ढूढ़ते हैं, जिनके हाथ में देश की पूंजी थी, उनको लेकर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा कुछ करना चाहते हैं तो दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं और हम जो गरीबी से लड़कर उनकी तकलीफ दूर करना चाहते हैं तो उनका दल कहां होता है। जब अविश्वास की बात आती है तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद आते हैं लेकिन जिस समय अमल लाने के लिये विधेयक आता है तो उनका दल दूसरी तरफ होता है, विरोध में होता है। दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। इस देश को बनाने के लिये जितनी जिम्मदारी ट्रेजरी बेंचेज की है उतनी ही जिम्मेदारी विरोधी दलों के ऊपर भी है। दोनों मिलकर काम करना होगा। विरोध के लिये विराध नहीं चल सकता है।

मान्यवर, एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार की बात की जाती है। किस तरह से विरोधी दलों को काम करना चाहिये। इसके नार्म्स वह आज तक नहीं बना पाये हैं। वास्तव में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हैं, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहती हूं कि वह केवल इधर ही नहीं है बल्कि उधर भी है। इसको तो आप स्वीकार करें। हर एक व्यक्ति समझता है कि किस की कितनी जिम्मेदारी है। चौधरी साहब ने नेशनेलाइजेशन की बात कही और कहा कि एक कनसर्न में इतनी कमी आ गई कि उसमें 25 लाख का घाटा होने लगा जब कि वह इतना गवर्नमेंट को टैक्स देता था।

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)—

बाजरे का घोटाला हुआ है 20 लाख रुपये का जब आप मंत्री थीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आप बीस लाख का घोटाला बता रहे हैं। लेकिन आपको किस्सा मालूम नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

आप बाराबंकी का मामला बता दीजिय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जब तक तथ्य सामने न आ जायं किसी बात का कहना उचित नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—

वाराबंकी का हाल बता दीजिये। वहां का जो जिलापूर्ति अधिकारी है उस पर कई हजार रुपया निकला और आपने हमसे कहा कि यह बुड्ढा हो गया है, इसको बच जाने दीजिये। उसको आपने क्यों छोड़ दिया। उसके जरिये ब्लैक मारकेट में माल बिकता है। उसमें कितना पैसा मिला था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मैं उसी को बताना चाहती हूं कि बाराबंकी में मैंने यह कहा। जब शिकायत आई तो उसकी जांच की गई और काफी लोगों को हमने सजा दी और बड़ी संख्या में दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड हुये और कैंसिल हुये। जो जिलापूर्ति अधिकारी था उसको कम्पलसरी रिटायर किया गया। आपने कहा कि इसको हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई तो मैंने कहा.....

(व्यवधान)

श्री जंगबहादुर वर्मा—

आरोप जब साबित हो गया और उसको बरखास्त किया गया तो आपका कर्त्तव्य था कि जब आपके कर्मचारी ने गलत काम किया तो आप को इस्तीफा देना चाहिये था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। मेरे विभाग में गलती हो तो उसको ठीक करना और जो गलती करता है उसको सजा देना मेरा काम है। इसलिये हमने उसको सजा दी। मैंने माननीय सदस्य से यह कहा था कि एक व्यक्ति को एक सजा मिल गई है, उसको कम्पलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया है, अब उसे दूसरी सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

मैंने आपसे बताया था कि आपके शासन में गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार है, उस अफसर के विरुद्ध कार्यवाही करिये। आपने उसको जेल क्यों नहीं भेजवाया ? आप उससे कुछ ले करके चुप हो गईं।

(व्यवधान—शोरगुल)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये और यह कहने लगे कि आप बैठिये)

श्री गंजी प्रसाद—

(व्यवधान के मध्य) आप अपने अधिकार के अन्दर बोलें, बेहयायी मत करो।

(व्यवधान—शोरगुल)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आप बैठिये, आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री गंजी प्रसाद—

आप अन्धेर मत करो। यह अन्धेर, जुल्म आपको खा जायेगा।

(व्यवधान—शोरगुल)

एक सदस्य—

आप बैठिये ? आप फौरन बैठिये।

श्री गंजी प्रसाद—

मैं बिलकुल नहीं बैठता हूं (व्यवधान) आपकी यह बेहयायी नहीं चलेगी।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप बैठिये ? आप फौरन बैठिये।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष, आप इनको बैठाइये।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, माननीय मंत्री जी बोल रही हैं, उनको बोलने दीजिये। जब आपको मौका आयेगा तब आप बोलिये।

श्री गंजी प्रसाद—

अध्यक्ष की मर्जी से मैं बैठ जाता हूं। अब आप बोलिये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं कि जब कभी विभागीय जांच होती है, तो उस पर ऐक्शन लिया जाता है और इस प्रकार से प्रशासन का काम चलता है। मैंने इसकी व्याख्या कर दी है कि जब एक अधिकारी को एक सजा दे दी गई, कम्पलसरी रिटायरमेंट उसका कर दिया गया, तो दूसरी सजा मैं आवश्यक नहीं समझती हूं। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि मैंने रुपया ले कर कुछ नहीं किया है तो यह उनकी बुद्धि की बलिहारी है।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—
आपको जब बोलने का मौका मिलेगा, तब बोल लीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री जंग बहादुर वर्मा—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—
क्या व्यवस्था है ?

श्री जंग बहादुर वर्मा—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं. . . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
जब माननीया मंत्री जी बोल रही हैं, जब वह बैठ जायं, तब आप सवाल कर सकते हैं।

श्री जंग बहादुर वर्मा—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि बाराबंकी जिले में कई लाख का ब्लैक हुआ है। हमारे यहां के दुखहरन प्रमुख ने जिलाधिकारी को एक शिकायत दी थी जो 7 पेज की थी, उसमें तमाम अधिकारियों की शिकायत थी उसमें जिला पूर्ति विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी भी फंस रहे थे और हमारे जिले की जो उस समय डिप्टी मिनिस्टर थीं मोहसिना किदवई भी फंस रही थीं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—
अध्यक्ष महोदय, यह सवाल है या भाषण।

श्री जंग बहादुर वर्मा—
आपने मुझसे कहा कि वह बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी रोजी पर क्यों लात मारते हो। आपने कहा था कि नहीं कहा था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—
मैंने उनको सजा दे दी है। यही उनसे कहा था। मोहसिना जी का उसमें कोई हाथ नहीं था। माननीय सदस्य जो एलीगेशन लगा रहे हैं वह बिलकुल गलत है और निराधार है। उनको रिटायर कर दिया गया है इस तरह से उनको सजा दे दी गयी है। उसके बाद जो यह दूसरे प्रकार की बात कह रहे हैं यह बिलकुल गलत है। खैर यह तो माननीय सदस्य जो चाहे कह लें, मैं कुछ नहीं कह सकती, केवल इतना कह सकती हूं कि यह बिलकुल गलत हैं उनका कहना। मैं उनसे कहती हूं कि वह इसको सबूत के साथ पेश करें। यह मेरा चैलेन्ज है कि बाराबंकी के मामले में किसी अधिकारी को बचाने के लिये किसी तरह का निर्णय लिया गया हो। यह मेरा चैलेन्ज है। अगर आप इसको साबित कर दें तो फिर आपको फिर जवाब दूंगी और सदन के सामने जवाब दूंगी।

श्री जंग बहादुर वर्मा—
वह जुर्म साबित हो गया और आपने केवल टेरमिनेट ही किया।

श्री गंजी प्रसाद—
आपने केवल टरमिनेट ही क्यों किया, दूसरी कार्यवाही क्यों नहीं किया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—
माननीय सदस्य अगर पूरी तौर पर गाली ही देने पर तुले हुए हैं तो दे लें। हमारी जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिये हम कार्यरत हैं। आज यह केन्द्रीय सरकार भी निश्चय कर रही है कि जो आवश्यक सामग्री की चीजें हैं उनका उत्पादन बढ़े। इसेन्शियल कमोडिटीज

ऐक्ट के अन्तर्गत कोयला, वनस्पति, सीमेंट, मिट्टी का तेल आदि चीजें हैं। इनका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि सभी को ठीक प्रकार से और उनकी आवश्यकता के अनुरूप मिल सकें। आज पूरी योजना इस सम्बन्ध में काम कर रही है। कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर में भी जिनका उत्पादन जरूरी है उनकी कीमतें निश्चित की जायें। जिससे कि वह पब्लिक को आसानी से मिल सकें। चाहे वह कपड़ा हो, मिट्टी का तेल हो, वनस्पति हो और चाहे अनाज हो, इनके वितरण की योजना चल रही है कि ठीक प्रकार से वितरण हो। कुछ चीजों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है इसमें कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ है, टेक्सटाइल्स मिलों का हुआ है और चीजों का हो रहा है। तो यह हमारी पूरी प्लानिंग है। आधी प्लानिंग से काम नहीं चल सकता है। अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में चीजें रहेंगी तो आवश्यकता पर वह नहीं मिल पायेंगी। इसीलिये नेशनलाइजेशन किया गया है। तो हम समाजवादी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। यह हमारे बढ़ते हुए कदम हैं। आज उसमें कुछ खामियां दिखायी पड़ सकती हैं लेकिन यही खामियां कल अच्छाइयों में बदल जायेंगी। और इस देश की जनता को राहत मिलने वाली है। तो हम अपने राष्ट्रीयकरण के कार्य-क्रम में जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनको जनता को उपलब्ध करायेंगे और एक अच्छे मजबूत ऐडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो हम समाजवादी कदम उठा रहे हैं हमें विश्वास है उसके उठाने में हमें सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसका विरोध करती हूं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई (जिला बाराबंकी)—

मेरा नाम लिया गया है इसलिये मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, आप दे सकती हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे जिले के बड़े बुजुर्ग साथी वर्मा जी ने जो बात कही है उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं इस वक्त अपनी तबियत के खिलाफ, अपने स्वभाव के खिलाफ जो यह ज्यादती उन्होंने मेरे साथ की है उसका जवाब देना चाहती हूं। मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय राजेन्द्री जी से दरख्वास्त करूंगी कि वे चाहें जिस एजेन्सी के द्वारा, चाहें सदन की कमेटी बना कर या कहीं से किसी भी तरह से जांच करा लें और अगर यह साबित हो कि मैंने एक पैसे की बेईमानी की है तो सदन से त्याग-पत्र देना तो छोटी बात है मैं राजनीतिक जीवन को ही त्याग दूंगी। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है (व्यवधान) और जहां तक यह बात है कि राज्य मन्त्री थी तो उस समय तो आपने या आपके नेता रामसेवक जी ने किसी को भी एक शब्द नहीं लिखा कि आपके विभाग में यह हो रहा है। यही इस बात का सबूत है।

मैंने पहले ही कहा कि मैं अपनी तबियत के खिलाफ यह सारी बात कह रही हूं लेकिन चूंकि मेरे खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं इसलिये मैं मजबूर होकर यह कह रही हूं कि एक व्यक्ति जो पुलिस की कस्टडी में था और जो डी० आई० आर० का मुलजिम था और पकड़ा गया था आपके नेताओं ने बेजा दबाव डालकर उसे भागने में मदद की और उसकी जमानत लखनऊ में हुयी चूंकि वह आपकी पार्टी से ताल्लुक रखता था (सरकार बेंचेंज मे शेम शेम की आवाजें) इसलिये आप में से किसी ने इस घटना के सम्बन्ध में सदन में कोई प्रश्न नहीं पूछा। (व्यवधान) (बैठ जाइये, बैठ जाइये की आवाजें।)

मैं एक बात कहना और चाहती हूं। 8 महीने से बाराबंकी में बहुत सी दूकानें सस्पेन्डेड हैं। वहां बाराबंकी जिले में और खास तौर से मेरी कांस्टीटुयेन्सी में आज तक आपने या आप में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि वहां जनता को तेल और दूसरी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। और आज वहां की जनता कितनी तकलीफ उठा रही है।

[श्री मती मोहिसिना किदवाई]

तो यह सारी बातें, जो जंगबहादुर वर्मा जी ने कही हैं वह सब बेबुनियाद हैं और इसमें यह साबित हो जाये कि एक पैसे का गड़बड़ मेरे नाम से मिलेगा तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से जाने के लिये या कोई भी सजा जो कोर्ट मुझे देगा, वह भोगने के लिये तैयार हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

करा ली जिये, इन सब कांग्रेस वालों की जांच कराई जावे। जरूर कराई जावे। बहुत सी आवाजें.....सबकी जांच हो जाये।)

श्री जंगबहादुर वर्मा—

मैं आपके द्वारा खाद्य मन्त्री जी को चैलेन्ज देता हूं कि ये तो 12 साल से राजनीतिक जीवन में हैं मेरा 35 सालों से राजनीतिक जीवन है, मैं आपको बतलाता हूं कि शायद 6 महीने छोड़ करके जब मैं कांग्रेस में रहा हूं, आज तक मैं विरोध में रहा हूं।..... यदि इनका 12 साल का राजनीतिक जीवन है तो मेरा भी 35 साल का राजनीतिक जीवन है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया—

मान्यवर, ये किसकी इजाजत से बोल रहे हैं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

जो वे कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा। माननीया मोहसिना किदवाई का चूंकि नाम लिया गया था इसलिये उनको बोलने की इजाजत दी गई थी वे बिना इजाजत के ही बोल रहे हैं। यदि वे उनका नाम न लेते तो मैं उन्हें भी बोलने की इजाजत न देता।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा, अगर इस प्रस्ताव के जरिये यह मंशा हो और इस बात की संभावना हो कि आज के वातावरण में जो आर्थिक व साधनों की कठिनाई हैं, उन्हें देखते हुए अगर बहुगुणा सरकार के बजाय कोई इससे बेहतरीन सरकार बन सकती या ऐसा होता जिससे देश और प्रदेश की समस्यायें हल हो सकतीं तो मैं और मेरा दल इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देता। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर इस प्रस्ताव का मतलब यही है कि मुख्य मन्त्री माननीय बहुगुणा के स्थान पर माननीय चौधरी चरण सिंह और माननीय नारायण दत्त तिवारी के स्थान पर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी बैठें तो मेरी पार्टी इस प्रस्ताव का विरोध करेगी।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आप डांगे जी को बैठा दीजिये ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आज प्रदेश के सामने जो स्थिति है, भयंकर आर्थिक संकट है, मुद्रा स्फीति, महंगाई और बेरोजगारी का संकट है, यह केवल उत्तर प्रदेश का ही संकट नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान का संकट है, पूरी दुनिया का संकट है। आज अमेरिका में देखिये ब्रिटेन में देखिए, फ्रांस में देखिए, जापान में देखिये पूरी पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा रही है, लड़खड़ा रही है। हमारे इस प्रदेश के अन्दर क्यों संकट है ? संकट इसलिये है क्योंकि हम भी उसी पूंजीवादी व्यवस्था के अंग हैं। जो अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था का बाजार है, उसके हम भी अंग हैं। हमारे देश के अन्दर जो 25 वर्ष की नीतियां रहीं हैं, जो

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्थिक रचना की गई है, वही हमारे इस प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर आर्थिक संकट का कारण है। जब तक इन नीतियों की बुनियाद में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जब तक पूंजीवाद पर चोट नहीं की जा सकती है, जब तक सामन्तवाद की व्यवस्था के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

एक बात मैं अपने मित्र नेगी जी से पूछना चाहता हूं। उस पूंजीवादी देश से रूस, जिसके आप पिछलग्गू हैं, अनाज की भीख क्यों मांग रहा है?

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

जब थोड़ी सी चोट की जाती है, पूरी व्यवस्था पर नहीं, केवल 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात पार्लियामेंन्ट में आती है, पूरे बैंकों की नहीं तो चौधरी साहब और उनका दल तिलमिला जाते हैं। राजाओं के बारे में, उन राजाओं के बारे में जिन्होंने इस देश की जनता की शोषण किया है, जब प्रीवी पर्स बन्द करने की बात आती है तो माननीय चौधरी साहब और माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के दल उसको भी सहन नहीं कर सकते।

चौधरी चरण सिंह—

मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। ('कभी उठाया भी है आपने' की आवाजें)। अब आप मुझे सिखा दीजियेगा। मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ एक नो-कान्फीडेन्स मोशन आया है। तो मौजूदा गवर्नमेंट के कामों के सिलसिले में, उनकी नीतियों के सिलसिले में बात हो सकती है। लेकिन आप एक जनरल सवाल, कैपिटलिज्म कहिये, लिबरलिज्म कहिये वर्सेज डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म कहिये, इसके क्या माने होते हैं। अगर इस पर बहस करनी है तो मैं इस बात के लिये तैयार हूं, एक दिन, दो दिन जो चाहें, रख लें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर) —

नेता विरोधी दल सी० आई० ए० की वकालत कर रहे थे तब आपने नहीं रोका।

श्री सत्यपाल मलिक—

आप तो हिन्दुस्तान लीवर का डाल्डा छुड़वाने के लिये फीस ले कर वकालत करते है जो ब्लैक में बिकता था।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

ये काला बाजारियों के एजेन्ट क्या बोलते है? बने हैं बड़े समाजवाद के मसीहा जो रूस के इशारों पर चलते हैं। ये विश्वासघाती हैं।

श्री सत्यपाल मलिक—

आप तो हिन्दुस्तान लीवर का 20 हजार कनस्तर डालडा जो ब्लैक में बिक रहा था उसको छुड़वाने के लिये फीस ले लेते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

सन् 1942 का कलंक आज तक इनके माथे पर है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मैंने भी जनरल बात कही है। चौधरी साहब इन्दिरा गांधी जी की बात कह चुके हैं, और राष्ट्रीय नेताओं के बारे में कह चुके हैं मैं तो केवल इतना कह रहा था कि आज का जो आर्थिक संकट है इसका एक बुनियादी हल है, उसमें बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन जब बुनियादी परिवर्तन का प्रश्न आता है तो भारतीय लोक दल और जनसंघ उसका विरोध करते हैं। केवल इतना मेरा निवेदन था। संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स में हमारी नीति स्पष्ट घोषित की गयी है। उसमें समाजवादी समाज की

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

रचना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह सर्वोपरि है । व्यक्तिगत स्वार्थ सबसे नीचे है । जब उसके लिये संशोधन का प्रस्ताव आता है तो यह दल उसका विरोध करता है । (व्यवधान) जब कोयले के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आता है तो वह दल उसका विरोध करता है । जब टाटा और इजारेदारों पर टैक्स लगाने की बात आती है तो यह दल उसका विरोध करता है । इजारेदारों को समाप्त करने के लिये जब कदम उठाया जाता है तो यह दल उसका विरोध करता है । यह क्या है ? (व्यवधान)

एक सदस्य—

गलत बात कहने में तो आप माहिर हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

आप बातें तो बहुत भारी समाजवाद की करते हैं मगर आपकी नीतियां कुछ और हैं । (व्यवधान)

मान्यवर, संविधान में सम्पत्ति पर इजारेदारी को समाप्त करने की बात कही गयी है । मगर आपने बड़े-बड़े इजारेदारों को करोड़ों रुपया मुआवजे के रूप में दे दिया..... (व्यवधान) । आप सुनिये । मजदूर आन्दोलनों को कुचलने के लिये आपने डी० आई० आर० का इस्तेमाल किया । पुलिस का इस्तेमाल किया । रेलवे की हड़ताल के दमन के लिये आपने तरह-तरह के हथकन्डे अपनाये, लेकिन दूसरी ओर जो बड़े-बड़े लुटेरेदार बैठे हैं उन पर चोट करने की आपमें हिम्मत नहीं है । जिन इजारेदारों ने एक वर्ष के अन्दर देश को बरबाद करके रख दिया, 50 फीसदी से 150 फीसदी तक जो मुनाफा कमाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । जब तक इजारेदारी को खत्म नहीं किया जायेगा, मैं साफ कहना चाहता हूं कि गरीबी नहीं मिट सकती ।

आप कहते हैं कि स्टेट दिवालिया हो गया, कर्मचारियों को देने के लिये वेतन नहीं है, छटनी करनी पड़ेगी मगर दूसरी तरफ आप बिड़ला को क्यों 2 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं । हमारे यहां की कीमती लकड़ी जो -9 रुपये घनफुट के भाव से बिकती है वह लकड़ी आप स्टार पेपर मिल को केवल 40 पैसे घन फुट के हिसाब से क्यों देते हो ? भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, प० कमलापति त्रिपाठी जी ने आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव रखा कि उत्तर प्रदेश में चीनी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये । यहां पर माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट को सदन में नहीं रखा गया उसने भी यह सिफारिश की थी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, वह क्यों नहीं किया गया ? आप कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार करेगी और केन्द्र कहता है कि राज्य करेगा । इस ओर आप कोई कदम उठाने के लिये तैयार नहीं हैं ।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिव प्रसाद गुप्त पीठासीन हुए ।)

और हो क्या रहा है ? आज चीनी कारखाने के मालिक एक तरफ फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों के खून-चूस रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को लूट रहे हैं और तीसरी तरफ चीनी का दाम बढ़ा कर उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे हैं । प्रस्ताव आप पास करते हैं, परन्तु इन प्रस्तावों पर अमल नहीं करते । खाद्यान्न का ही प्रश्न है । माननीय बाजपेयी जी समाजवाद की बात कह रही थीं ? ठीक है । मान्यवर, आपने आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में एक फैसला किया? कम्युनिस्ट पार्टी पहले से कहती रही लेकिन आपने उसको नहीं माना । उसके बाद आपने प्रस्ताव पास किया कि सरकर खाद्यान्न के व्यापार को अपने हाथ में लेगी । लेकिन जब उस पर अमल करने का प्रश्न आया था तो तमाम खाद्यान्न को छोड़ दिया, केवल गेहूं को लिया कि गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण करेंगे । चना

और चावल तथा अन्य अन्नों को छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है कि गेहूं की कीमत कम और चने की कीमत ज्यादा ब जाती है आपके गर्दन पर चढ़ कर। मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अन्दर किसी मुख्य मन्त्री की हिम्मत नहीं हुई कि उस चीज को अमल में लावें। उसके बाद उन आढ़तियों का दबाव सरकार पर पड़ा जिनके साथ जनसंघ की मिली भगत रही है और वे बराबर लगातार खाद्यान्नों के सरकारी व्यापार का विरोध करते रहे हैं। उस की मुखालिफत के नाम पर ही जनसंघ ने जनता से वोट लिया और इस तरह से उनके सामने आत्म समर्पण कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि तमाम देश और प्रदेश की जनता को आपने इन मगरमच्छ आढ़तियों के हाथों में सौंप दिया। ये मगरमच्छ आज जनता को खुलेआम लूट रहे हैं, और खुलेआम मुनाफाखोरी कर रहे हैं, खुलेआम चोरबाजारी व जमाखोरी कर रहे हैं और आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसको रोक सकें।

अब भूमि की समस्या लीजिये। सन् 1951 के अन्दर आपने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास किया और सन् 1960 के अन्दर सीलिंग कानून पास किया। आखिर इन कानूनों को पास करने की आपकी मंशा क्या थी? मंशा यह थी कि धरती माता पर जो कुछ लोगों की इजारेदारी है उसको समाप्त किया जाय और असली जो मालिक हैं उनको धरती दी जाय। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने दिल पर हाथ रख कर बतलाइये जो इस कानून के पीछे मंशा थी, क्या इस मंशे को आप हासिल कर सके हैं। गांवों के अन्दर जो मेहनत करने वाले खेतिहर मजदूर हैं, क्या आज उनको जमीन मिली? क्या हरिजनों को जमीन मिली? और तमाम वे लोग जो धरती के असली पूत हैं क्या उनको जमीन मिली? नहीं मिली। जानबूझ कर इस कानून के अन्दर लूपहोल्स रखे गये हैं जिससे जमीन मिलने के बाद फिर दोबारा जमीन उन्हीं लोगों के हाथों में चली गयी। श्री मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट आपके सामने है। वे आपकी पार्टी के नेता हैं। मान्यवर, क्या उस रिपोर्ट के अन्दर यह नहीं कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर आज नये-नये फार्म्स कितने हैं? इन तमाम फार्म्स के मालिक न केवल बड़े बड़े जमींदार हैं बल्कि कांग्रेस के नेता हैं। और वे नेता भी छोटे-मोटे नहीं बल्कि वे नेता है जिनके हाथों में हुकूमत की बागडोर है, और जिनकी सरकार के अन्दर आवाज है। आप जानते हैं कि देहातों का जो बेचारा गरीब हरिजन है.....।

श्री अधिष्ठाता —

आप कितना समय और चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, ५ बजे तक।

श्री अधिष्ठाता —

आप 5 मिनट और बोल लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंगल देव विशारद कमीशन जो आपन बनाया था उसकी रिपोर्ट आ गयी है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आपने उसकी सिफारिशों पर कोई अमल किया है या नहीं। खेतिहर मजदूर, बेचारा खेतिहर मजदूर आपको लगातार वोट देता आ रहा है, जो आपके साथ हर बार खड़ा होता है, चाहे जो कोई उसको रोके, वह हर बार आपको ही वोट देता है लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने उसकी न्यूनतम मजदूरी की कोई दर निर्धारित की है, क्या आपने उसको लागू करने के लिये कोई कानून बनाया है? क्या वह दरें लागू करने के लिये आपने कोई मशीनरी बनायी है?

आप हरिजनों की बड़ी बातें करते हैं, आप हरिजन कल्याण की बातें करते हैं, पर क्या आपने कुछ काम किया हैं? यह खेतिहर मजदूर जिसने अपनी जिन्दगी

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]
मजदूरी के ऊपर रेहन कर दी है उसके लिये आप न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू नहीं कर सके है। इन दरों को लागू करने के लिये कोई मशीनरी नहीं बनायी है आपने केवल वादा ही किया है।

मान्यवर, विकास की बात ले लीजिये। आज 25 साल हो गये हैं विभिन्न अंचलों का विकास नहीं हो पाया है। आपकी नीतियां कारगर नहीं हो पायी हैं। जो अंचल पिछड़े थे वह केवल पिछड़ते ही गये हैं और जो अंचल विकसित थे उनका विकास ही होता चला गया है। माननीय चौधरी साहब माफ करेंगे कि यह भी पूंजीवाद का एक नियम है। आंचलिक विषमता भी पूंजीवाद का एक नियम है। आज आप देखें पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड पूर्वी क्षेत्र यह सब पिछड़े रह गये हैं। यहां पर सिंचाई, आवागमन के साधन अन्य प्रदेशों के समान नहीं है। तमाम प्रदेशों में अंतर ही है।

श्री मधुकर दिवे (जिला गोरखपुर)—
इसमें 20 अक्षांस को भी शामिल कर लीजिगेगा। सोवियत रूस को भी शामिल कर लीजियेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
तो मेरा कहना है कि मान्यवर, जो पिछड़े क्षेत्र थे वह और पिछड़ गये हैं और जो विकसित क्षेत्र थे उनका और विकास हो गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, पटेल आयोग की सिफारिशें लागू की गयी हैं या नहीं? मुख्य मंत्री जी और तिवारी जी यहां पर मौजूद हैं क्या पर्वतीय क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है, केवल हिल डेवेलपमेंट कारपोरेशन बना दिया है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। माननीय शिवानंद नौटियाल ने कहा था कि हिल डेवेलपमेंट कारपोरेशन को एक झुनझुना बना दिया गया है। न कोई विकास की योजना बनायी गयी है और न विकास का कोई काम ही किया गया है।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सी योजना बनायी है बुंदेलखंड, पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, यूनीवर्सिटीज और कालेज आज पुलिस और पी० ए० सी० के घर बने हुये हैं। ठीक है चौधरी साहब यूनियन का विरोध करते थे, ऐजीटेशन का विरोध करते थे पर आप तो यूनियन की हिमायत करते हैं, आप भी कहा करते थे कि शिक्षा संस्थाओं के अंदर पुलिस न जाय। पर आज आपने शिक्षा संस्थाओं को क्यों जेलखाना बना दिया है?

मान्यवर, एक तरफ तो तमाम महंगाई है, दूसरी तरफ तमाम पैसा जो आज वसूला जा रहा है वह गरीब से ही वसूला जा रहा है। कल हमारे साथी भीखा लाल जी ने कहा था कि जो टैक्स लगाते हैं उस किसान के ऊपर जिसके पास 5 एकड़ या सवा 6 एकड़ जमीन है। इनके ऊपर 21 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया गया है और जो बड़े-बड़े जोतों वाले हैं उनके ऊपर केवल 23 करोड़ का टैक्स लगाया है। टैक्सेशन की जो आपकी पालिसी है वह क्या है मैं आपसे पूछना चहता हूं। करोड़ों रुपया सैल्स टैक्स का बाकी है। इस सदन के अन्दर प्रश्न आया था कि करोड़ों रुपया ए० सी० सी० के ऊपर बाकी है। 1951 से लगातार बकाया बढ़ता चला जा रहा है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि किसी भी पूंजीपति के ऊपर हाथ डाल दें। यदि गरीब किसान आपका या सहकारी संघ का ऋण समय पर न अदा करे तो आपकी पुलिस और आपकी सरकार उसको बंधवा कर जेल के अन्दर कर देती है।

मान्यवर, उन तमाम नीतियों का नतीजा यह हो रहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा जी को इस जुर्म से इकबाल करना पड़ रहा है कि आज प्रदेश की सरकार दिवालिया हो चुकी है, केन्द्र की सरकार दिवालिया हो चुकी है। आज अपने प्रदेश की सरकार अपने

कर्मचारियों को वेतन देने के लिये कहती है कि पैसा नहीं है। केन्द्र सरकार कहती है कि जब तक प्रदेश की सरकार अपने संसाधन नहीं जोड़ेगी तब तक हम कोई अनुदान नहीं देंगे।

मान्यवर, विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी है और घाटा चल रहा है। इस सदन में बिजली के संबंध में अनेकों सवाल उठ चुके हैं परन्तु कोई सुधार नहीं हो रहा है। टेहरी डैम में उत्तर प्रदेश की 1/60 बिजली की मांग की जा रही है और सरकार ने केन्द्र से इसके लिये अनुदान मांगा है। परन्तु केन्द्र ने साफ कह दिया है कि इस डैम को बनाने के लिये केन्द्र सरकार कोई सहायता देने के पक्ष में नही है। इस प्रकार टेहरी का डैम, मथुरा की रिफाइनरी और तमाम योजनायें खतरे में हैं। पंचवर्षीय योजना रिवाइज की गयी है लेकिन आज भी पंचवर्षीय योजना का क्या रूप इस प्रदेश और देश के अन्दर है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। इतना बड़ा भयंकर आर्थिक संकट है कि कर लगा दिये, विकास योजनायें नहीं चला सकते और कर्मचारियों की छंटनी कर रहे हैं लेकिन बड़े-बड़े आफिसरों की नहीं। जो रिटायर होने जा रहे हैं उनके लिये धन्धे खोल रहे हैं और वह धन्धा है कारपोरेशन का। ये कारपोरेशन तमाम नौकरशाहों के हाथों में दिये जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि यह कारपोरेशन इस प्रदेश का विकास क्या करेंगे मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन ब्यूरोक्रेसी के हाथों में कारपोरेशन चले गये हैं और इस प्रकार वह केवल राइवल सेन्टर होने जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इस सदन का कोई अधिकार नहीं है कुछ कहने का। यहां कोई बहस नहीं कर सकते हैं और ब्यूरोक्रेट जो चाहे वह करे।

मान्यवर, मैंने सुना है कि प्रदेश के मुख्य सचिव रिटायर होने जा रहे हैं लेकिन आई० ए० एस० केडर में दो पार्टी बन गयी हैं और एक प्रकार से कैम्पैन हो रहा है। ऐसा कैम्पेन हो रहा है जैसे कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिये होता है। उत्तर प्रदेश के तमाम आफिसर यह डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन मुख्य सचिव होना चाहिये, कौन नहीं। इस प्रकार यह टाप ब्यूरोक्रेसी की नीति होने जा रही है। इसलिये मैं अपने साथियों और कांग्रेस के सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि जो संकट हिन्दुस्तान और प्रदेश के अन्दर है। फारटीज का जमाना याद करो। आर्थिक हालत बिगड़ गई तो जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ, इटली में मुसोलिनी पैदा हुआ। आज बदकिस्मती से इस प्रदेश में ऐसी ताकतें हैं जो हिटलर पैदा करना चाहती हैं। इन नीतियों के कारण जनता में आक्रोष है। वही जनता जिसने 71 में, 72 में जब आपने इजारेदारी पर चोट की, समर्थन दिया, आज वही जनता ब्रह्मजाल में फंसती जा रही है। इधर के लोग जो कभी चुनाव की बात करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी को गैर प्रजातांत्रिक बतलाते थे, आज उनकी क्या हालत है? जिस दिन यह सदन शुरू हुआ, माननीय नेता विरोधी दल की तरफ से.....

श्री अधिष्ठाता—

ज्यादा समय हो गया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

इतनी देर में यह बात समझ में नहीं आई है कि यह सत्ता पक्ष की ओर से बोल रहे हैं या विरोधी पक्ष की ओर से बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह अपनी-अपनी समझ की बात है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब असेम्बली का शेशन शुरू हुआ तो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि वह वोट से नहीं तो बुलेट से हुकूमत बदल सकते हैं। कहते हैं इस सदन को नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

अगर नीतियां नहीं मानी जायेंगी और फैसला सदन में नहीं होगा, पार्लियामेन्ट में नहीं होगा, तो फैसला होगा सड़कों पर, बाजारों में डंडे और बुलेट से। इसलिये मान्यवर, मैं

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

अपने साथियों से अपील करता हूं, कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं, समाजवादी साथियों से अपील करता हूं, मार्क्सवादी साथियों से अपील करता हूं और अपने नौजवान साथी, मैं उनकी तारीफ करता हूं, मैं जानता हूं कि आज उनका दम घुट रहा, उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि अपनी नीतियां बदलें। यह लोग जनता का विश्वास खो चुके हैं। हम जनता के पास जायेंगे और पूंजीवादी राज हटायेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने श्री ईश्वरी सिंह को समय दिया है, आप बैठ जायं।

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है मैंने उस बारे में श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी और चौधरी चरण सिंह का भाषण बड़े ध्यान से सुना।

श्री रामाधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, क्या एक ही दल के 3 साथियों को एक साथ बोलने का मौका देंगे।

श्री ईश्वरी सिंह—

मान्यवर,..... (शोर)

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, उनकी बात तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

हर पार्टी को बराबर समय मिल रहा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपने मेरी बात नहीं सुनी। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, इनकी व्यवस्था तो सुन लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इतना समय विवाद में लग गया। अब तक तो इनकी बात सुन लिये होते।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी साहब बोल चुके थे और उस के बाद मैंने ईश्वरी सिंह को पुकारा। तो इतनी बीच में कौन सी अव्यवस्था हो गई?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्री ईश्वरी सिंह के पहले श्री ओम प्रकाश सिंह जी खड़े हो गये थे और वह अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब भी किसी बात पर डिस्कशन चलता है तो पक्ष और विपक्ष की बात होती है। पहले एक पक्ष का सदस्य बोलता फिर दूसरे पक्ष का सदस्य बोलता है और अब तक यही परम्परा निभाई गयी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में जो विभिन्न दलों के नेता हैं दस्तखत किया है और उन्होंने नहीं किया वह भी पक्ष के है। तो अब प्रश्न उठता है कि आपने कांग्रेस के सदस्य को बोलने का मौका कैसे दे रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता—

बोलने का हिस्सा हर दल के हिसाब से होता है। उसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं उठता। हर दल को बोलने का अवसर मिल रहा है। जब आपके दल का नम्बर आये और आपको बोलने दिया जाय तो आप भी बोलें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्न है कि एक सदस्य विपक्ष का बोले और उसके बाद फिर पक्ष का बोले।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपकी बात मैंने सुन ली आप कृपया बैठिये।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय के सामने यह आ चुका है उस समय यह बात तय नहीं हुई थी।

श्री ईश्वरी सिंह—

माधव प्रसाद त्रिपाठी ने जो प्रस्ताव रखा है तथा चरण सिंह जी ने जो उसका समर्थन किया उनकी तकरीरें सुनने के बाद ऐसा अहसास हुआ कि यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है बल्कि बहुगुणा जीने चौधरी चरण सिंह व त्रिपाठी जी के साथ कुछ सांठ-गांठ करके प्रवचन करने का एक तरीका निकाला है। प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो चौधरी चरण सिंह तथा त्रिपाठी जी ने तकरीरें कीं उनमें मुझे एक भी नई बात नहीं दिखाई दी जो बजट के दौरान न कही गयी हों।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

ऐसी बातें कहीं हैं जिनको आपने नहीं समझा और जिनसे आपको तकलीफ हुई लेकिन वे नई थीं।

श्री ईश्वरी सिंह—

मै त्रिपाठी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं और न चौधरी चरण सिंह जीके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कह रहा हूं क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में मै उन दोनों का बड़ा आदरकरता हूंऔर व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट का समय मैंने बढ़ा दिया है।

(इस समय 5 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री ईश्वरी सिंह—

मै समझता हूं कि त्रिपाठी जी तथा चौधरी साहब ने जो कहा है वह मुझे इतना अधिकार देंगे कि मैं उसका जवाब दे सकूं। जो दलीलें यहां चौधरी साहब ने दी हैं बजट के दौरान वह उनको अनेक बार दोहरा चुके हैं कि कांग्रेस दल व शासक दल के लोग सही बात कहने में बहुत हिचकिचाते हैं और सही कहने का उनमें साहस नहीं है। मैं उनसे निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं में ही यह शक्ति है कि मोरार जी जैसे आदमी को मंत्रिमंडल से हटा दिया और अपना पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से बाहर निकाल दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

के० डी० मालवीय को निकाल कर फिर रख लिया जब कि एक कांस्टेबिल अगर डिसमिस हो जाता है तो अपनी जगह नहीं रखा जा सकता।

श्री ईश्वरी सिंह—

हमारी कांग्रेस पार्टी में वैसी बेबसी नहीं है जिसके वशीभूत हो कर श्री अटल बिहारी जैसे नेता ने कह दिया कि वह संसद के बाहर जाना चाहते हैं और राजनीति से सन्यास लेना चाहते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हर कार्यकर्ता को सही बात कहने की हिम्मत होनी चाहिये और अनुशासन के अन्दर रहना चाहिये। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि माननीय त्रिपाठी जी तथा चौधरी साहब को यह यकीन दिला देना चाहता हूं कि हमारा दल किसी व्यक्ति को हुल्लड़बाजी मचाने की आज्ञा नहीं दे सकता। विरोधी दल की जो गाली गलौज की राजनीति है, हुल्लड़बाजी मचाने की राजनीति है वह हमारे दल में नहीं है। हम जानते हैं कि अपनी बात को किस मजबूती के साथ कहना चाहिये।

दूसरी दलील यह दी जाती है और बार-बार माननीय चौधरी साहब इस बात को दोहराते हैं कि नेहरू जी तथा इन्दिरा जी ये दानों खेती के पक्ष में नहीं रहे। इन्होंने खेती को प्राथमिकता नहीं दी बल्कि बड़े-बड़े कारखानों को प्राथमिकता दी है। उसी संदर्भ में उन्होंने यह भी सफाई दी कि इस प्रदेश में इतने बड़े-बड़े भूमि सुधार के कानून बने। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भूमि सुधार कानून बनाने में आपका श्रेय भी मानता हूं लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय पंडित जवाहर लाल नेहरू को है जिन्होंने लैंड रिफार्म्स कमेटी बनायी थी।

चौधरी चरण सिंह—

एक सवाल पूछना चाहता हूं कि माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान और थर्ड फाइव ईयर प्लान में राइट आफ रिजम्प्शन जमींदारों को दिया? क्या उन्होंने ट्रेस-पासर और सब टेनेन्ट्स को अधिकार दिलाया? वह केवल यू० पी० में हमने दिलाया।

श्री ईश्वरी सिंह—

मैं इत्तफाक करता हूं और मैं बार-बार यही कहता हूं कि जब तक आप कांग्रेस में रहे आपने निहायत अच्छे काम किये, अच्छे कानून बनाये और उचित कदम उठाये। बड़े भाई से मेरी शिकायत यह नहीं है। लेकिन जब से आपने कांग्रेस छोड़ी और हुल्लड़बाजों के बीच चले गये तभी से आपने हिंसात्मक तरीके अपनाये और किसानों की हमदर्दी छोड़ दी। मेरी तकलीफ इस बात से है कि आप अहिंसात्मक रास्ते को छोड़कर हिंसात्मक रास्ते पर आये और उस पर यकीन करने लगे। मैं समझता हूं कि इससे न कवल चौधरी साहब की ही हत्या हो रही है बल्कि उनके साथ उनके छोटे भाई की भी हत्या हो रही है। क्या इस देश में कोई तरक्की हिंसात्मक तरीकों से हो सकती है? क्या इस देश में खेती या उद्योग धंधों तथा कुटीर उद्योगों को हिंसात्मक तरीके से अपनाया जा सकता है? नहीं हो सकता है। मैंने आपका साथ उस वक्त छोड़ा जब लोहिया जी इन हुल्लड़बाजों के साथ में आ गये थे। मैं माननीय चौधरी साहब और माननीय माधव प्रसाद जी से उनके साथियों द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि यह कहना कितना गलत है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी या कांग्रेस, खेती को प्राथमिकता नहीं देती है खाली भारी उद्योगों को प्राथमिकता देती है। मैं इस चीज को साबित कर सकता हूं और इस सम्बन्ध में मैंने तकरीर पहले भी दी थी जब चौधरी साहब ने पिछले बजट अधिवेशन में यह प्रश्न यहां पर उठाया था। मैंने कहा था कि हो सकता है आजादी के अन्दोलन में चौधरी साहब मुझसे एक-दो महीने पहले आ गये हों लेकिन मैं भी एक-दो महीने में आ गया था आजादी के आन्दोलन में। आजादी के बाद एक भी वक्तव्य मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें जवाहर लाल नेहरू ने या इंदिरा गांधी ने यह कहा हो कि हम खेती को प्राथमिकता नहीं देंगे। वरना इस बात को कहना छोड़ देना चाहिये क्योंकि बार-बार यही कहते रहना अच्छा नहीं लगता है।

सदन में बहुत से आंकड़े दिये गये। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि कि उन्होंने जो कहा कि यहां पर सिंचाई के एरिया में केवल 5 प्रतिशत की तरक्की हुई हैं। यह बिलकुल असत्य है। अगर आप यहां के इर्रिगेटड एरिया को देखें तो उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में आज से पहले जितना सिंचित एरिया था उससे दुगना हो गया है या उससे ज्यादा हो गया है? (व्यवधान) आप आंकड़े की बात कह रहे हैं तो लीजिये मेरे पास वह भी है। सिंचाई के साधन पहले प्लान में जो थे वह 25 लाखहेक्टेयर में थे और आज 1972–73 में वह बढ़ कर 106 लाख हेक्टेयर हो गया है (व्यवधान) सुनलीजिये। आपके सहयोगी ने पूछा था और उसका जो यूटिलाईजेशन हुआ वह तब 15 लाख हेक्टेयर में हुआ और आज 8 7 लाख हेक्टेयर में हुआ है। हो सकता है कि इन आंकड़ों में गलती हो मेरे पास तो यही साधन है। इन्होंने गलत कहा कि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तरक्की हुई है सिंचाई के साधनों में।

चौधरी चरण सिंह—

क्या आपके आंकड़े हैं कितनी वृद्धि हुई है आप कहते हैं कि वह जरा बता दें और आपको इन्फारमेशन का क्या सोर्स है। मेरे पास तो गवर्नमेंट आफ इन्डिया के सोर्स से इन्फारमेशन है।

श्री ईश्वरी सिंह—

माननीय चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश की किताब नहीं है यह इन्डिया 1974 है इसके पृष्ठ 209 जहां पर सिंचाई और पावर का दिया गया है वह टेबिल नं० 16 में यह दिया गया है जिसमें मीडियम और मेजर सिंचाई के साधन हैं वह मैंने पढ़ कर सुनाई है। उसमें दिया हुआ है एडीशन्स पोटेंशियल एट दि इन्ड आफ फाइब ईयर प्लान तो वह उस वक्त 25 लाख हेक्टेयर थी और आज 106 लाख हेक्टेयर हो गई है और उसका युटिला इजेशन जो हुआ है वह 15 लाख हेक्टेयर था उस के बाद सन् 1973–74 में यह 8 7 लाख हेक्टेयर हुआ। यह हो सकता है कि यह आंकड़े सारे हिन्दुस्तान के प्रेस में गलत छप गये हों। बहरहाल मेरे पास तो एक ही तरीका है इन पर रिलाई करने का मुझे बड़ा आश्चर्य है आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की मेरा कहना है और मैं चौधरी साहब से इस बात में इत्तफाक करता हूं कि खेती के लिये जितने साधन सिंचाई और खाद आदि उसकी तरक्की के लिये चाहिये था दूसरे जो महत्व की चीजें चाहिये उनके मुकाबले में ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन चौधरी साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वह मन्त्री थे उस वक्त सारे सूबे में मुझे अन्दाज है कि केवल 50 या 60 हजार से ज्यादा ट्यूवेल नहीं थे और आज सारे उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 2 लाख के कुछ ज्यादा है। तो उससे लाखों एकड़ में सिंचाई तो हुई ही होगी? मैं जानता हूं कि जितना किसान आज चाहते हैं उतने सिंचाई के साधन उनको नहीं मिल पा रहे हैं यह बात सत्य है। लेकिन यह कहना कि सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा है, सिंचाई के साधन नहीं बढ़े हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे।

श्री ईश्वरी सिंह—

करीब 15 मिनट और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो कल आप जारी रखेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना श्री शिव प्रसाद जी की मिली है, जिसे उचित कार्यार्थ मैं शासन को भेज रहा हूं ।

अब हम उठते हैं ओर कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर, अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
2 जनवरी, 1975 ।

सत्यमेव जयते

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 847 पर)

उत्तर प्रदेश में भिक्षा वृत्ति निवारण हेतु भिक्षुकों को प्रशिक्षण देकर आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से तीन भिक्षुक कर्मशालायें क्रमश : लखनऊ, वाराणसी तथा हरिद्वार में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त एक भिक्षा वृत्ति निवारणार्थ अग्रगामी प्रायोजना, अयोध्या, जिला फैजाबाद में संचालित है जिसमें तीन कक्ष हैं—पुरुष कक्ष, महिला कक्ष तथा बालक कक्ष।

इन संस्थाओं में वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में संवासियों की संख्या एवं उन पर हुय व्यय का ब्योरा निम्न प्रकार है—

संस्था का नाम	1972–73		197 –74	
	संवासियों की संख्या	व्यय की गई धनराशि	संवासियों की संख्या	व्यय की की गई धनराशि
1	2	3	4	5
		रु०		रु०
1—राजकीय भिक्षुक कर्मशाला, लखनऊ ।	729	76,373.93	532	76,099.66
2—राजकीय भिक्षुक कर्मशाला, वाराणसी ।	777	89,088.59	1013	97,401.59
3—राजकीय भिक्षुक कर्मशाला, हरिद्वार।	237	97,059.76	215	97,686.84
4—भिक्षा वृत्ति, निवारणार्थ अग्रगामी प्रायोजना अयोध्या, फैजाबाद—				
(क) पुरुष कक्ष	269		387	
(ख) महिला कक्ष	132	2,16,582.25	121	2,40,200.19
(ग) बालक कक्ष	89		100	

1972-73 तथा 1973-74 में क्रमश: 93 तथा 88 भिक्षुक संवासी इन कर्मशालाओं से प्रशिक्षण पाकर कर्मशाला से बाहर जाकर अपने निजी धंधे में लगे।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 866 पर)

नोट

दिनांक 13 सितम्बर, 1974 को प्रात 6-10 बजे प्रधानाचार्य काल्विन कालेज, महमूदाबाद, जिला सीतापुर ने थानाध्यक्ष महमूदाबाद को टेलीफोन द्वारा यह सूचित किया कि यद्यपि छात्रों में उनकी कुछ मांगों को लेकर व्याप्त उत्तेजना के कारण कालेज बन्द कर दिया गया है फिर भी कुछ छात्र कालेज में एकत्रित हैं। अतः कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाये इसलिये पुलिस की व्यवस्था करा दी जाय। इस अनुरोध पर तीन कान्स्टेबिल प्रधानाचार्य के निवास स्थान पर तैनात किये गये तथा थानाध्यक्ष कुछ कान्स्टेबिलों के साथ कालेज के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उस समय कालेज में लगभग 500-600 छात्र प्रधानाचार्य के कार्यालय के समक्ष उत्तेजनात्मक प्रदर्शन कर रहे थे। थानाध्यक्ष ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये छात्रों को समझाने का प्रयास किया परन्तु छात्रों ने उनकी बात नहीं सुनी। छात्रों ने कालेज में प्रधानाचार्य के कमरे पर हमला करके तोड़-फोड़ की। कुछ छात्रों ने प्रधानाचार्य के घर पर तैनात सिपाहियों को खदेड़ दिया और वहां तोड़-फोड़ की तथा पथराव किया। इसके पश्चात् छात्रों का एक समूह रेलवे स्टेशन की ओर चल दिया और मार्ग में टेलीफोन के तार आदि तोड़ दिये व पुलिस चौकी महमूदाबाद पर भी पथराव किया। रेलवे स्टेशन पहुंच कर उन लोगों ने रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई व पथराव के कारण स्टेशन मास्टर को भी चोटें आईं। छात्रों की इसी भीड़ ने बाद में स्टेशन के समीप ही एक दुकादार के सामान को लूटा और इसके पश्चात् लौटते समय चौकी महमूदाबाद पर पुनः हमला किया जिससे कुछ पुलिस कर्मचारियों को चोटें आईं। ऐसी गम्भीर स्थिति पर भी पुलिस कर्मचारियों ने धैर्य से काम लिया। इस चौकी पर छात्रों ने पुलिस के क्वार्टर्स पर भी लूट पाट की व कुछ सामान में आग लगा दी। छात्रों ने एक हेड कान्स्टेबिल को कुछ दूर तक दौड़ाकर उसको घेर कर बुरी तरह मारा पीटा परन्तु चौकी बददूपूर के कुछ सिपाहियों के घटना स्थल पर पहुंच जाने के कारण उसकी जान बचाई जा सकी। छात्रगण नारे लगाते हुये थाना महमूदाबाद पहुचे। वहां पर पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाये-बुझाये जाने पर छात्र कालेज की ओर वापस चले गये।

उपरोक्त घटनाओं के संबन्ध में छात्रों के विरुद्ध थाना महमूदाबाद पर चार मुकदमें तथा थाना-जी० आर० पी० पर एक मुकदमा दर्ज किया गया।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 871 पर।)

संलग्नक

1—श्री जौहरी की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बी०एड० में छात्रों का प्रवेश है। प्रतिवर्ष श्री जौहरी पचासों ऐसे अयोग्य छात्रों को धन लेकर प्रवेश देते हैं और योग्य एवं गरीब छात्रों के साथ खिलवाड़ करते हैं। जिसकी पुष्टि विगत पांच वर्षों का रिकार्ड देखकर की जा सकती है।

2—हमारे पास कुछ ऐसे ठोस प्रमाण मौजूद हैं जो कि इस आरोप की पुष्टि करते हैं जिसमें प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्रों को प्रवेश नहीं दिया गया जबकि तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्रों को प्रवेश दे दिया गया।

3—छात्रों की सुरक्षा निधि बहुत कम छात्रों को वापस की जाती है। अन्य छात्रों की सुरक्षा निधि का पैसा प्राचार्य की जेब में जाता है।

4—छात्रों से जो साइकिल फीस ली जाती है उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता और वह धन भी प्राचार्य की जेब में जाता है।

5—प्राचार्य श्री जौहरी के निजी प्रयोग में आने वाले रिक्शे का व्यय और उसके पुलर का वेतन कालेज के कोष से दिया जाता है।

6—प्राचार्य जौहरी के घर पर भोजन का सारा सामान गेहूं, चावल, सब्जी, से लेकर मिठाई, मक्खन, डबल रोटी आदि सब छात्रावास के धन से खरीदा जाता है।

7—प्राचार्य जौहरी अनेक वर्षों से आन्तरिक परीक्षक स्वयं ही बने हुये हैं ताकि अयोग्य छात्रों से धन लेकर उन्हें उत्तीर्ण करा सकें। इस तरह वे मोटी रकम हर साल कमाते हैं।

8—छोटे कर्मचारियों और नौकरों से रजिस्टर पर वेतन की अधिक रकम पर दस्तखत लिये जाते हैं किन्तु वेतन से कम पैसा दिया जाता है और शेष रकम जौहरी साहब की जेब में जाती है।

9—जिन कर्मचारियों की नियुक्ति प्राचार्य जौहरी की इच्छा के विरुद्ध की जाती है उनसे प्राचार्य नाराज रहते हैं और दन्डस्वरूप उन्हें प्राविडेन्ट फन्ड के लाभ से वंचित रखते हैं।

10—अनेक शिक्षकों को निर्धारित वेतन-मान नहीं दिया जाता और इस प्रकार सेवा की शर्तों का उल्लंघन होता है।

11—अनेक शिक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाते हैं और फरवरी-मार्च में उन्हें निकाल दिया जाता है।

12—इन्टर कक्षा के ऐसे अनेक अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स से प्राप्त नहीं की गयी है ताकि उन्हें मनचाहा वेतन दिया जाय और चाहे जब निकाल दिया जाय।

13—छात्रों के यूनियन फन्ड का कोई हिसाब नहीं है और न ही कोई हिसाब छात्रों को दिखाया जाता है। जाहिर है कि सारी रकम प्राचार्य की जेब में जाती है।

14—यही हाल बी०एड० में छात्रों के यूनियन फन्ड का होता है।

15—वार्षिक परीक्षाओं के समय प्राचार्य धन के लालच से तीनों मीटिंगों में काम करते हैं, और पर्चों को खुलवा कर ही घर चले जाते हैं।

16—श्री जौहरी का अयोग्य पुत्र, जो दो वर्षों से इन्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहा था, श्री जौहरी ने उसकी व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप म आर० ई० आई० कालेज में ही सेन्टर डलवाकर, नकल कराकर उत्तीर्ण घोषित करा दिया, श्री जौहरी इस तरीके से अपने ही कालेज से परीक्षा दिलाना बोर्ड की परीक्षा नीति का एक दम उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त अपनी पुत्री को कुछ वर्षों पूर्व अपनी ही सुपरिन्टेंडेन्ट शिप में परीक्षा दिलाकर परीक्षा नियमों का घोर उल्लंघन किया है हमारी मांग है कि श्री जौहरी के पुत्र एवं पुत्री के सार्टीफिकेटों को जब्त किया जाय।

1 —प्रत्येक वर्ष उपस्थिति पूर्ण न होने पर छात्रों की परीक्षा रोके जाने के लिये एक सूची तैयार होती हैं। अन्त में प्रिन्सिपल महोदय छात्रों से रिश्वत लेकर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रवेश-पत्र दे देते हैं।

श्री जौहरी की चारित्रिक कमजोरियों और भ्रष्ट-आचरण का प्रमाण है कु० शमीम बेगम का दर्दनाक कान्ड जो एक सर्वविदित मामला है। ज्ञातव्य है श्री जौहरी की धर्मपत्नी बीस वर्षों से लकवे से पीड़ित हैं तथा शैया पर विराजमान हैं। इसी कारण श्री जौहरी अपनी हविश की पूर्ति कालेज की छात्राओं से करने में भी नहीं हिचकते। श्री जौहरी को कई बार होटलों में नग्न कैबरे नृत्य देखते हुये व शराब पीते हुये पाया गया है।

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछ पृष्ठ 878 पर)

वर्ष 1974 के जून महीने में अपराध निरोधक अभियान के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में पकड़े गये अपराधियों व अवैध हथियारों का विवरण

25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत 121 अपराधी पकड़े गये। उनके पास से निम्नांकित अवैध हथियार पकड़े गये —

1 विदेशी स्तौल,
2 रिवाल्वर
2 डी०बी0बी०एल० गन
2 एस०बी0बी०एल० गन
54 देशी पिस्टल,
39 रामपुरी चाकू,
3 गुप्ती,
1 करौली,
2 बल्लम तथा 1 :0 कारतूस,

धारा 80 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत 258 अपराधी पकड़े गये।

एक्सप्लोसिव ऐक्ट के अन्तर्गत 4 अपराधी पकड़े गये।

धारा 109 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत 41 अपराधी पकड़े गये।

धारा 110 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत 12 अपराधी पकड़े गये।

गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत 20 अपराधी पकड़े गये।

3/7 ई० सी० ऐक्ट के अन्तर्गत 19 अपराधी पकड़े गये।

धारा 398/402 भारती। दन्ड विधान के अन्तर्गत 68 अपराधी पकड़े गये ।

धारो 13गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत 52 अपर।धी पगड़े गये।

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 879 पर)

कानपुर जिले के अन्तर्गत तहसील भोगनीपुर व घाटमपुर में निम्नलिखित कार्य 1972 से नवम्बर, 1974 तक की स्थिति

भोगनीपुर—

(1) अ—सिकन्दारपुर से राजपुर तक
ब—जैनपुर से पिवौरा द्वारा माल तथा
स—जैनपुर से दोराहा तक 11 के० बी० लाइनें खींची गईं।

(2) 76 विद्युत पावर कनेक्शन दिये गये।

(3) 45 बल्ब एवं पंखों के कनेक्शन दिये गये।

(4) ग्राम बरौर तथा शाहजहांपुर के विद्युतीकरण का कार्य बिजली की लाइन बिछाकर किया जाना शेष है।

घाटमपुर—

(1) अ—घाटमपुर के बीरसिंहपुर एवं साढ़ तक
ब—घाटमपुर से गजनेर तक
स—घाटमपुर से गासगंज तक 11 के० बी० लाइनें खींची गईं।

(2) 78 विद्युत पावर कनेक्शन दिये गये।

( ) 100 बल्ब एवं पंखों के कनेक्शन दिये गये।

(4) ग्राम बीरसिंहपुर, देहली, घरहरा, बकाउली तथा रेवना का विद्यतीकरण लाइन बिछाकर करने का प्रस्ताव है। ग्राम रेवना का कार्य प्रगति पर है।

———

पी०एस०यू०पी०—एल० 88 वि० सभा(499)—1975—845।